प्रतिवेदन

१९५७-५८

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

इस्पात, खान व ईंधन मन्त्रालय

प्रतिवेदन

१९५७-५८

सत्यमेव जयते

इस्पात, खान व ईंधन मन्त्रालय

प्रतिवेदन

१९५७-५८

सत्यमेव जयते

इस्पात, खान व ईंधन मन्त्रालय

प्रतिवेदन

१९५७-५८

सत्यमेव जयते

इस्पात, खान व ईंधन मन्त्रालय

विषय सूची

			पृष्ठ संख्या
अध्याय	१	भूमिका	१
अध्याय	२	लोहा व इस्पात	३
अध्याय	३	कोयला	२४
अध्याय	४	लिगनाइट	३६
अध्याय	५	खान व खनिज नीति	४०
अध्याय	६	भारतीय खान विभाग	४३
अध्याय	७	भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग	४५
अध्याय	८	तेल व प्राकृतिक गैस आयोग व इन्दो-स्टैंवाक पैट्रोलियम, आयोजना	५२
अध्याय	९	तेल शोधनशालाएं व पैट्रोलियम संभरण ...	५५
परिशिष्ट	१	विवरणी—राज्य कोयला खानों के खनन से लाभ व हानि	५९
परिशिष्ट	२	विवरणी—सन् १९५२-५३ से १९५६-५७ के लिए ११ विद्यमान कोयला खानों का कोयला उत्पादन ...	६०

अध्याय १

भूमिका

अप्रैल, १९५७ में मन्त्रालयों के पुनर्संगठन के परिणामस्वरूप, १७ अप्रैल, १९५७ से इस्पात खान व ईंधन मन्त्रालय को निंम्नलिखित कार्य सौंपा गया :—

(१) *लोहा व इस्पात विभाग*

रूरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में स्थित इस्पात संयन्त्र, मैसूर लोहा व इस्पात कारखाना, निजी क्षेत्र के सभी इस्पात संयन्त्र। लोहा व इस्पात नियन्त्रण का कार्यालय।

(२) *खनन विभाग*

सभी खानें और खनन। भारतीय खान विभाग, भारतीय खनि तथा व्यावहारिक भौवृतिकी स्कूल, धनबाद।

(३) *ईंधन विभाग*

ईंधन, जिसमें कोयला, लिगनाइट, तेल व गैस भी शामिल हैं (तेल से अभिप्राय है उसकी खोज, व्यधन, विद्यमान और भावी शोधनशालाएं (Refineries) वितरण और मूल्यन)

प्रशासकीय सुगमता के लिए खनन विभाग (Department of Mining) और ईंधन विभाग (Department of Fuel) प्रथम जून, १९५७ से एक विभाग में अर्थात खान व ईंधन विभाग (Deptt. of Mines and Fuel) में परिणित कर दिया गया। दिनांक २२ अगस्त, १९५७ से भारतीय खनि व व्यावहारिक भौवृत्तिकी स्कूल, धनबाद (Indian School of Mines and Applied Zeology, Dhanbad) शिक्षा व वैज्ञानिक गवेषणा मन्त्रालय (Ministry of Education and Scientific Research) के प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन हो गया, इसके साथ ही भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग (Geological Survey of India) खान व ईंधन विभाग के अधीन हो गया। पैट्रोलियम डिवीज़न, जो पहले निर्माण, आवास और प्रदाय मन्त्रालय (Ministry of Works, Housing and Supply) के अन्तर्गत और बाद में खान व ईंधन विभाग के अन्तर्गत सम्बद्ध कार्यालय (Attached Office) के रूप में कार्य कर रहा था, प्रथम सितम्बर, १९५७ से विभाग के सचिवालय के साथ मिला दिया गया। उड़ीसा राज्य में लोह अयस और अन्य खनिजों के विक्रय व निर्यात के लिये उत्पादन को बढ़ाने, एकत्रित और परिवहन करने के उद्देश्य से दिनांक १६ मई, १९५६ से केन्द्रीय सरकार (वाणिज्य व उद्योग मन्त्रालय) और

उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में सम्मिलित की गई उड़ीसा खनन निगम (निजी) लि० (Orissa Mining Corporation (Private) Ltd.) को दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५७ से खान व ईंधन विभाग (Mines and Fuel Deptt.) को हस्तान्तरित कर दिया गया।

अध्याय २

लोहा और इस्पात

संगठन—लोहा और इस्पात विभाग को भूतपूर्व लोहा और इस्पात मंत्रालय से सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात संयंत्रों से संबन्धित कार्य मिला। व्यक्तिगत क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों, लोहा और इस्पात नियन्त्रक संघ, दी री-रोलिंग इन्डस्ट्री (The Re-Rolling Industry) और दी फैरो-एलोय इन्डस्ट्री इस विभाग को उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय से हस्तान्तरित किये गये थे। विभाग का सचिवालय छोटा ही रहा जिसमें एक सचिव, दो उप-सचिव और चार अवर-सचिव हैं।

मार्च, १९५७ के अन्त तक, दो प्रयोजनाओं, भिलाई और दुर्गापुर, से संबन्धित आवश्यक प्रारम्भिक कार्य पूर्ण हो चुके थे। संयंत्र और मशीनों के लिये आर्डर दिये जा चुके थे और संयंत्रों के मुख्य अनुभागों में सिविल इन्जीनियरी कार्यों के प्रबन्ध हो चुके थे। सरकार ने विचार किया कि यदि इसके बाद तीनों इस्पात प्रयोजनाओं को एक एकीकृत कम्पनी के अधीन कर दिया जाये तो लाभदायक होगा। अतः १ अप्रेल, १९५७ को भिलाई और दुर्गापुर प्रायोजनाएं हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड कम्पनी को सौंप दिये गये। आरम्भ में इस कम्पनी को रूरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण और प्रबन्ध करने के लिए बनाया गया था। उत्तरदायित्व के इस बड़े भार को सँभालने के लिये निदेशकों के एक बोर्ड का पुनः निर्माण किया गया था और संघ के अनुच्छेदों को पूर्ण रूप से संशोधित किया गया था। तीन मुख्य प्रबन्धकों को कम्पनी के निदेशकों के रूप में नियुक्त करने के साथ ही दो अन्य निदेशकों को भी नियुक्त किया गया था जिनके मुख्य कार्यालय दिल्ली में हैं। संघ के संशोधित अनुच्छेदों में कम्पनी की अधिकृत पूंजी बढ़ाकर तीन सौ करोड़ रुपये कर दी गई थी। तमाम शेयरों को केन्द्रीय सरकार ने ले लिया है सब निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति ही मुख्य प्रबन्धकों, आर्थिक सलाहकारों और मुख्य लेखा परीक्षक औफिसरों के प्रबन्धकों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। निम्न विषयों पर केन्द्रीय सरकार को निर्णय करना है :—

(क) चालीस लाख रुपये से अधिक व्यय की जाने वाली पूंजी के लिए कार्यक्रम बनाना।

(ख) कम्पनी का समापन (वाइन्डिंग)।

(ग) कोई महत्वपूर्ण विषय जिस पर निदेशक राष्ट्रपति का अनुमोदन लेना आवश्यक समझते हैं, उनके अनुमोदन के लिए रखना।

(घ) कोई अन्य विषय जो अध्यक्ष के मत में इतने महत्व का हो कि उस पर राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक है तो उसको उनके अनुमोदन के लिए रखना।

राष्ट्रपति कम्पनी के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं। कम्पट्रोलर एन्ड आडिटर जनरल के परामर्श से केन्द्रीय सरकार कम्पनी के लिए औडिटरों की नियुक्ति करती है कम्पट्रोलर एन्ड औडिटर जनरल को निम्न अधिकार दिये जायेंगे :—

(१) औडिटर/औडिटरों को कम्पनी के लेखों की जांच करने के तरीकों को बताना और आडिटरों के कार्यों के विषय में सलाह देना।

(२) कम्पनी के लेखों को उन व्यक्ति/व्यक्तियों, जिनको वह अपनी तरफ से अधिकृत करे, के द्वारा पूरक या परीक्षण लेखों की जांच का प्रबन्ध करना और ऐसे लेखों की जांच के लिए उपयुक्त समयों में तमाम लेखों, लेखे की कापियों, प्रमाणिक कागजात के अन्य कागजातों में प्रवेशों की जांच करना और व्यक्ति या व्यक्तियों को दी जाने वाली सूचनाओं के विषय में कम्पट्रोलर या औडिटर जनरल की सामान्य या विशेष आज्ञाओं के द्वारा निर्देशित ढंग से पूछताछ करना।

(३) उपर्युक्त औडिटर अपनी रिपोर्टों की एक प्रतिलिपि भारतीय कम्पट्रोलर और औडिटर जनरल को भेजेंगे जिनको लेखा जांच रिपोर्टों पर कानूनी ढंग से टिप्पणी या अनुपूर्ति करने का अधिकार होगा।

(४) इस प्रकार के कार्य भी लेखा जांच रिपोर्ट की टिप्पणी या अनुपूर्ति कम्पनी की वार्षिक मुख्य बैठक में जांच-रिपोर्ट की भांति ही प्रस्तुत किये जायेंगे।

इस्पात संयंत्रों के निर्माण की प्रगति :—द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस्पात पिंडों के साठ लाख टन—लगभग ४५ लाख टन विक्रय की इस्पात—का लक्ष्य इस प्रकार पूर्ण किया जायेगा।

	वर्तमान	१९६०-६१ का लक्ष्य (दस लाख टनों में)
१ वर्तमान कार्यों के विस्तार के द्वारा :—		
टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी	०.७८	१.५०
भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी	०.३३	०.८०
मैसूर वर्क्स	०.०३	०.१०
२ सरकारी क्षेत्र में नये कार्यों की स्थापना के द्वारा :—		
रूरकेला संयंत्र	...	०.७२
भिलाई संयंत्र	...	०.७७
दुर्गापुर संयंत्र	...	०.७९
कुल		४.६८

वर्तमान इस्पात कार्यों का विस्तार तो कठिन समस्या है फिर भी ऐसी परिस्थिति में तीन नये इस्पात संयंत्रों के लगाये जाने में तो और भी अधिक कठिनाइयां हैं। इसके लिए पर्याप्त विस्तृत योजना की आवश्यकता होगी। मनुष्य, खनिज और पूंजी के साधनों की तो इतने बड़े पैमाने पर आवश्यकता होगी जिससे देश आज तक अनभिज्ञ है। इन्जीनियरों और प्रबन्धकों को बड़ी संख्या में भर्ती करना तथा प्रशिक्षित करना होगा। सामान सप्लाई करने वाले विदेशियों से समझौते करने पड़ेंगे। देश के सिविल इन्जीनियरों के ऐसे कार्यों के ठेकेदारों का प्रबन्ध करना होगा जो इस कार्य से अपरिचित है। तीनों इस्पात के कार्य स्थलों पर होने वाले कामों के प्रबन्ध एवं निरीक्षण के लिए एक नये और संयुक्त संघ का निर्माण करना होगा। कच्चे खनिज के लिए साधन इकट्ठे करने और इन कच्चे खनिजों को बड़े पैमाने पर खदानों से निकालने एवं परिवहन की योजना बनानी होगी, फिर भी, १९५७-५८ में रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में निर्माण कार्य काफी प्रगतिशील एवं सन्तोषजनक रहा। आशा की जाती है कि रूरकेला और भिलाई की प्रथम ब्लास्ट भट्टियों से कार्य दिसम्बर १९५८ से पहले ही शुरू कर दिया जायेगा।

रूरकेला :—रूरकेला में संयंत्र के समस्त अनुभागों के लिए आर्डर दिये गये। विशाल और जटिल सिविल इन्जीनियरी के कार्यों, विशेषतया रोलिंग मिलों के लिए उपयुक्त सिविल इन्जीनियरों के ठेकेदारों का मिलना कठिन था। सन् १९५७ में यह देखा गया कि इस कारण होने वाली देरी की वजह से कुछ उपकरणों की सप्लाई और स्थापना में भी देर हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि आरम्भिक निर्माण कार्य पूरा न किया जा सकेगा। एक प्रतिनिधि मंडल जर्मनी गया जिसने वहां परामर्शदाताओं और ठेकेदारों से बातचीत की। और प्रथम बड़ी भट्टी को १९५८ से पहले ही काम शुरू करने का मासिक कार्यक्रम बनाया गया। संयंत्र के अन्य अनुभागों, विशेषतया रोलिंग मिलों में कुछ कठिनाइयां अनुभव की गईं और इस में ३-६ महीनों की देरी होने की सम्भावना की गई। बाद में कुछ भागों में और भी अधिक देर होने का भी डर है। उसके कई कारण हैं जर्मन परामर्शदाताओं से सर्वश्रेष्ट विशेषज्ञ भेजने को कहा गया है जो कार्य को निश्चित समय में और सावधानी के साथ पूरा कर सकें और इस देरी को दूर करने के प्रबन्ध पर विचार विमर्श कर सकें।

शंख नदी पर मंदिरा में बनाये जाने वाला बांध, जिससे इस्पात कार्यों के लिये आवश्यक जल मिल सकेगा, का कार्य काफी प्रगतिशील है। मुख्य इस्पात संयंत्र को आवश्यक जल सप्लाई करने के लिये आवश्यक पम्प सैटलिंग पौन्डस (Pump Settling Ponds) और कूलिंग टावर्स (Cooling Towars) के प्रबन्ध हो चुके हैं।

बस्ती में १५२९ मकान बन चुके हैं और २१८३ मकान बन रहे हैं। कुल ३२००० एकड़ भूमि में से १८००० एकड़ भूमि प्राप्त की जा चुकी है। जनवरी सन १९५८ के अन्त में प्रायोजना द्वारा जो कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए गए थे उनमें से २०७ प्राविधिक अफसर, ५६ गैर-प्राविधिक अफसर तथा १५०२ प्राविधिक और गैर प्राविधिक कर्मचारी थे। इनके अतिरिक्त ५४२० वर्क चार्जड कर्मचारी और ११४०० ठेकेदारों के मजदूर थे। लोह खनिज के लिए इस्पात कार्यस्थल से लगभग ४५ मील दूर बरसुआ (तल-

डीह) में एक खान विकसित की जा रही है । प्रतियोगी टैंडरों के मांगे जाने के बाद मुख्य संयंत्र और उपकरणों की सप्लाई और स्थापना के लिए अमेरीका को एक फर्म का ठेका दे दिया गया है । कार्यस्थल की तैयारियां पूरी हो गई हैं और मकान बन रहे हैं । क्योंकि १९५९ के अन्त तक इस खान से सप्लाई की आशा नहीं की जाती है अत: रूरकेला की ब्लास्ट भट्टी को आरम्भ में चलाने के लिए कच्चे लोहे की आवश्यकता गुआ क्षेत्र और एकत्रित किए हुए साधनों से पूरी की जाएगी ।

रूरकेला के लिए कोयला झरिया खदानों के कारगली, वोकारो से प्राप्त किया जाएगा । कारगली, बोकारो से आने वाले कोयले को धोने के लिए कारगली में एक शोधनशाला बनाई गई है । झरिया के कोयले को धोने के लिए डाडा में एक शोधनशाला बनाने के लिए टेन्डर प्राप्त किए जा चुके हैं जब तक यह शोधनशाला कार्य करने के लिए तैयार होती है तब तक छंटा हुआ बिना धुला कोयला ही प्रयोग किया जायेगा । उपयुक्त किस्म के चूना पत्थर की स्थापना में कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं । हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड सप्लाई के साधनों, विशेषतया संयंत्र को आरम्भ में चालू करने के लिए साधनों की खोज में है ।

भिलाई :—गत वर्ष में इस्पात संयंत्रों के सब भागों के लिए सिविल इंजीनियरी कार्यों के ठेके पूरे हो गये थे । सोवियत संघ से अधिकतर विस्तृत सेवायें प्राप्त की जा चुकी हैं । संयंत्र और वस्ती के लिए प्राय: समस्त भूमि प्राप्त की जा चुकी है । पानी और बिजली के अस्थायी प्रबन्ध किये जा चुके हैं । जनवरी, १९५८ के अन्त तक १४३,६०० टन स्टोरों के उपकरण सोवियत संघ से प्राप्त किए जा चुके हैं । सोवियत संघ के ठेके के अन्तर्गत भिलाई के लिये लाया जाने वाला सामान विसाखापट्टनम के बन्दरगाह पर उतारा जाता है । यह बन्दरगाह सोवियत विशेषज्ञों की सिफारिशों और रेलवे आफीसरों के परामर्श से भिलाई के लिए सबसे सुविधाजनक बन्दरगाह चुना गया था । अनुभव से यह मालूम हुआ है कि सोवियत संघ से आने वाले सब जहाजों का इस बन्दरगाह में ठीक समय में नियंत्रण नहीं हो सकता । कलकत्ते के बन्दरगाह में व्यापारिक आयात के साथ ही जमशेदपुर, बरनपुर और दुर्गापुर के तीनों इस्पात संयंत्रों के निर्माण के उपकरण, संयंत्र और मशीनों के आयात को नियंत्रित करना है । रेलवे से कलकत्ते से भिलाई के लिए यातायात का प्रबन्ध करना संभव नहीं है । पिछले कुछ माह तक बम्बई की बन्दरगाह पूर्णरूप से संकुलित थी और भिलाई के लिए आने वाले एक भी जहाज को वहां नहीं उतारा जा सकता था । और फिर बम्बई से भिलाई की ढुलाई भी अधिक है और भेजी हुई वस्तुओं का आकार बड़े होने तथा बोझवाली होने की वजह से काफी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं । जब विसाखापट्टनम में सोवियत संघ के जहाजों के नियन्त्रण में देर हुई तब शीघ्र होने वाले सुधारों की आवश्यकता अनुभव की गई और उनमें से बहुतों को प्रयोग में भी लाया गया । क्रेन में पूर्णरूप से सुधार किए गए । अब अधिकतर जहाज नौ बन्धन स्थल पर ही खाली कर दिए जाते हैं और भिलाई के लिए एक पूरी बर्थ सुरक्षित कर दी गई है । इन सुधारों के साथ ही जिन्होंने जहाज खाली करने की गति तीव्र करदी है यह प्रबन्ध किया गया है कि बम्बई बन्दरगाह में प्रति माह तीन जहाज

उतारे जायेंगे । सोवियत संघ से प्रार्थना की गई है कि बम्बई में खाली होने वाले जहाजों में ऐसा सामान भरा जाए जो रेल के द्वारा भिलाई तक आसानी से पहुंचाया जा सके ।

भिलाई में सिविल इंजीनियरी के ठेकेदारों को ढूंढने की कठिनाई के कारण आरम्भ में कुछ देर हो गई थी । सोवियत चीफ इंजीनियर से बातचीत करने के बाद उपयुक्त रूप से मासिक कार्यक्रम बनाया गया और यह आशा की जाती थी कि पहली ब्लास्ट भट्टी से सन १९५८ के पहले ही कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा । और यह विश्वास करना व्यर्थ है कि यह नहीं होगा । जनवरी, सन १९५८ के अन्त तक बस्ती में ११०४ मकान बन गए थे और ७५४ मकान बन रहे थे ।

जनवरी सन् १९५८ के अन्त तक प्राय: योजना के द्वारा नियुक्त किए गए प्रत्यक्ष कर्मचारियों में ४७६ प्राविधिक और गैर प्राविधिक अफसर, ३०७६ प्राविधिक और गैर प्रावि-धिक कर्मचारी, जिनमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, ८५५२ विभागीय श्रमिक, जिनमें वर्कचार्ज कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, थे । इनके अतिरिक्त ठेकेदारों के २०६०० कर्म-चारी कार्य कर रहे थे ।

रजहरा में एक नई खान का निर्माण हो रहा है जो कि ६० मील की दूरी पर है इस खान का डिजाइन भारतीय और सोवियत विशेषज्ञों की एक टीम ने बनाया है । संयंत्र और उपकरण की सप्लाई के लिए सोवियत संघ से ठेके पूर्ण हो चुके हैं । कार्यस्थल का समतल करना और बस्ती बसाने इत्यादि के प्रारम्भिक कार्य समाप्त हो गए हैं । सोवियत संघ से कार्य की विस्तृत रूपरेखायें प्राप्त की जा रही हैं । यह निश्चय किया गया है कि इस्पात कार्य के चालू होने के १२ से १५ महीने तक फिलोट ओर का एकत्रण और प्रयोग किया जाएगा । कारगली, बोकारो से धुले हुए कोयले की सप्लाई के लिए एक शोधनशाला का निर्माण किया गया है । डुगडा शोधनशाला जिसके लिए टेन्डर प्राप्त किए जा चुके हैं सन् १९६० तक तैयार नहीं होगी तब तक झरिया खदानों के छांटे हुए बिना धुले कोयले का प्रयोग किया जाएगा । भिलाई से १२ मील दूर बन्दनी में चूना-पत्थर की खदानें विक-सित की जा रही हैं । इन खदानों के लिए संयंत्र और उपकरण सोवियत संघ से प्राप्त किए जायेंगे । जब तक मशीनें पूर्ण होंगी तब तक इन खदानों में मनुष्यों द्वारा काम होता रहेगा ।

दुर्गापुर—दुर्गापुर में सिविल इंजीनियरी के निर्माण में कठिनाइयां अनुभव की गई थी । ये कठिनाइयां अधिकतर भूमि की दशा के कारण थी जिसकी आशा भी नहीं की जाती थी । हाल ही में ब्रिटिश ठेकेदारों और परामर्श दाता इंजीनियरों से इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के साधनों के बारे में बातचीत की गई थी और यह कहा जा सकता है कि कार्य, कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है । यह विश्वास करना व्यर्थ है कि निर्माण की आरम्भिक तिथि पूर्ण नहीं की जायेगी यह तिथि एक अनुभाग दी व्हील, टायर एण्ड एक्सील प्लांट में पूर्ण न हो सकेगी जहां पर आरम्भिक कार्यों को, रेलवे की आवश्यकताओं में परि-वर्तन हो जाने के कारण बड़े पैमाने पर दोहराना आवश्यक समझा गया है ।

जनवरी, १९५८ के अन्त तक लगभग १४ हजार टन मिट्टी की ईंटें, संयंत्र मशीनें

इत्यादि योरुप के विभिन्न वन्दरगाहों से लदाई जा चुकी है। जनवरी सन् १९५८ के अन्त तक वस्ती में ४६२ मकान वन चुके हैं और ३०४ वन रहे हैं। जनवरी सन् १९५८ के अन्त तक ७५ प्राविधिक और १० गैर प्राविधिक, अफसर ३४३ प्राविधिक और ५०८ गैर प्राविधिक कर्मचारी और ७०६३ वर्कचार्जड कर्मचारी हैं। इनके अतिरिक्त ठेकेदारों के ३० हजार श्रमिक कार्य कर रहे हैं।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए कच्चा लोहा एक नई खान से प्राप्त किया जायेगा जिसका विकास एक कम्पनी कर रही है और जिसमें सरकार के बहुत शेयर हैं ये खानें गुआ क्षेत्र के बोलनी में होंगी। (इस स्थान को रेल के स्टेशन बार हवाली से जोड़ने के लिए रेलवे की पटरी बिछाने का परिवेषण पूर्ण हो गया है। और साइडिंग के निर्माण के लिए टेंडर मांगे जा चुके हैं। कार्यस्थल पर आरम्भिक भूगर्भीय अन्वेषण पूर्ण हो गये हैं और परामर्श दाता इंजीरियरों की एक फर्म से प्रायोजना रिपोर्ट प्राप्त की जा चुकी है यह आशा की जाती है कि यह खानें ३१ अक्टूबर १९५८ तक सप्लाई के लिए तैयार हो जायेंगी जब संयंत्र की प्रथम ब्लाट भट्टी कार्य आरम्भ करेगी।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये झरिया के धातु शोधक कोयले को बरकरा के कोक वाले उड़नशील कोयले के साथ मिला दिया जायेगा। झरिया का कोयला एक शोधनशाला में शोधित किया जायेगा जोकि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के एक मुख्य भाग के रूप में बनाया जा रहा है।

यह आशा की जाती थी कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये भी चूना पत्थर रूरकेला इस्पात संयंत्र की तरह उन्हीं साधनों से बिरमित्रापुर हाथीवारी क्षेत्रों से ही लाया जायेगा। इस क्षेत्र की खदानों के उद्घाटन की प्रारम्भिक प्रायोजना रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि डिपोजिटों की कठिनाइयों के कारण खुदाई की कीमत बहुत अधिक होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छी तरह से चूना पत्थर को प्राप्त करने के लिये आवश्यक भाग की तिगनी मात्रा खोदनी पड़ेगी। वर्तमान रेलवे लाइन भी पर्याप्त न होगी और एक नई रेलवे लाइन जोकि बुन्डामुन्डा—मूरी लाइन का एक भाग है—के बन जाने पर भी दोनों दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात संयंत्रों को १० लाख से अधिक सप्लाई करना संभावित न होगा। हिन्दुस्तान प्राइवेट लिमिटेड सप्लाई के अन्य साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त है।

योजना का क्रियाकरण—यह स्पष्ट कर दिया जाय कि एक इस्पात संयंत्र में बहुत से अनुभाग होते हैं और यदि वह सब कार्य करने लगे तो भी पूर्ण उत्पादन प्राप्त करने के लिए कई महीने लगते हैं। लोहे का उत्पादन होगा तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि लोहे की पूर्ण मात्रा प्राप्त होगी। इसी प्रकार जब यह कहा जाता है कि इस्पात का उत्पादन आरम्भ होगा तो इसका अभिप्राय केवल यही होगा कि परिरूपित इस्पात की कुछ मात्रा उत्पादित होगी। विभिन्न प्रकार की इस्पात प्राप्त करने के लिए इसके बाद और कुछ माह लगेंगे। पूर्ण उत्पादन तक पहुंचने से पहले प्रत्येक अनुभाग को सुदृढ़ करने एवं मनुष्यों को भली भांति प्रशिक्षित करने में भी समय लगेगा। दिसम्बर १९५८ के अन्त तक रूरकेला और भिलाई

की प्रथम ब्लास्ट भट्टियों के कच्चे लोहे के उत्पादन के आरम्भ से, उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ता जायेगा। फिर भी लगभग पूर्ण उत्पादन द्वितीय योजना काल तक पूर्ण हो सकेगा।

यह अनुमान किया जाता है कि प्रत्येक इस्पात संयंत्र के लिये ६७० इंजीनियर और उच्च निरीक्षक कर्मचारियों, ६३०० चतुर कर्मचारी और ऑपरेटर्स की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण का प्रबन्ध इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक अनुभाग में कार्य करने वाला व्यक्ति उस अनुभाग के चालू होने तक, कार्य संभालने को तैयार हो जायेगा। सन् १९५७ के अन्त तक १८० इंजीनियरों को सोवियत संघ में प्रशिक्षणार्थ भेजा गया था इन में से ८१ प्रशिक्षण समाप्त कर के भारत लौट आये हैं। इस वर्ष कार्य-क्रम के अनुसार और इंजीनियर सोवियत संघ जायेंगे और ६८६ व्यक्तियों को कार्य-क्रम के अनुसार प्रशिक्षण समाप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है।

रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात प्रायोजनाओं के १ हजार इंजीनियरों को फोर्ड फाउन्डेशन की सहायता से अमेरिका में प्रशिक्षण मिल जायगा। दो सौ इंजीनियरों का पहला दल अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत दुर्गापुर के तीन सौ इंजीनियरों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध ब्रिटेन में हो गया है और उस देश में ४४ इंजीनियर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ५ इंजीनियर आस्ट्रेलिया और एक कनाडा में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कनाडा और आस्ट्रेलिया ने क्रमशः १४ और १२ व्यक्तियों के प्रशिक्षण की सुविधायें देने की अनुमति दे दी है। रूरकेला इस्पात प्रायोजना के ८१ इंजीनियरों ने पश्चिमी जर्मनी में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा ५० इंजीनियरों का एक नया दल शीघ्र ही पश्चिमी जर्मनी जायेगा।

जमशेदपुर में पर्याप्त मात्रा में शिक्षण कार्य चल रहा है। जहां पर प्रशिक्षित किये जाने वाले प्रत्येक इंजीनियर को पहले आरम्भिक प्रशिक्षण के लिये रखा जाता है।

लागत :—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात प्रायोजनाओं के लिए निम्नलिखित उपबन्ध किये गये थे :—

	लागत का योग (करोड़ रुपयों में)	विदेशी विनिमय की आवश्यकतायें (करोड़ रुपयों में)
रूरकेला इस्पात संयंत्र	१२८.०	८९.०
भिलाइ इस्पात संयंत्र	११०.०	६७.०
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	११५.०	७२.०
कुल	३५३.०	२२८.०

सन् १९५७-५८ की मांग अनुदानों के समय बहस में दोहराये हुए निम्नलिखित प्राक्कलन थे ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र	१७० करोड़ रुपये
भिलाई इस्पात संयंत्र	१३१ करोड़ रुपये
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	१३८ करोड़ रुपये

पहले और दोहराये हुए प्राक्कलन केवल इस्पात संयंत्रों से ही सम्बन्धित है, इनमें निम्नलिखित नहीं हैं :—

कच्चे खनिजों और खदानों, भूमि, नमूनों और पूर्वेक्षण, जल पूर्ति के साधनों का विकास, संयंत्र में शक्ति पूर्ति की सुविधायें, चालू करने के लिए व्यक्तियों और उनके प्रशिक्षण की लागत सहित संयंत्र क्षेत्र के बाहर रेलवे कार्य, प्रायोजना के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किये गये व्यक्ति, सीमा शुल्क, कार्यालय का व्यय और अन्य सहायक व्यय ।

नवम्बर १९५७ को एक प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि आरम्भिक प्रायोजनाओं के प्राक्कलन विभिन्न हैं और तीनों प्रायोजनाओं में एक से नहीं हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए रूसी प्रायोजनाओं प्राक्कलन, सोवियत संघ से सप्लाई की जाने वाली ऐसी मशीनरी और उपकरण, जैसी कि विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट में सुझाई गई है, सप्लाई करने वालों का ही कुटेशन (Quotation) तथा दुर्गापुर के लिए ११५ करोड़ रुपये का प्राक्कलन, प्रारम्भिक कुटेशनों का ही प्रतिनिधित्व करता है, केवल कुछ अनुभागों में ५ प्रतिशत के लगभग वृद्धि हुई है ।

रूरकेला के लिए परामर्शदाताओं का ही मत प्राक्कलन था और किसी भी सप्लाई करने वाले का प्रतिनिधित्व नहीं करता ।

योजना में आरम्भिक उपबन्धों और दोहराये प्राक्कलनों में अन्तर के निम्न कारण हैं :—

(क) प्रायोजना रिपोर्ट में सुधार कर देना तथा कुछ और जोड़ देना ।

(ख) इस्पात कार्यों के ढांचों, रिफरैक्ट्रियों तथा अन्य ऐसे सामान का जिनको विदेशों से खरीदना, आरम्भ से यह सोचा गया था कि भारत से ही खरीदी जा सकती है क्योंकि विदेश में इन चीजों का मूल्य प्रायः भारत से अधिक है ।

(ग) परामर्शदाताओं का योरुप में प्राक्कलन के समय और ठेके देने के समय मूल्यों में वृद्धि करना । यह मुख्यतः रूरकेला में लागू होती है ।

प्राक्कलनों के चार अंग होते हैं (१) संयंत्र और उपकरणों की लागत (२) सिविल इंजीनियरों की लागत; (३) स्थापना का शुल्क; (४) आकस्मिक व्यय जैसे समुद्री किराया और नियंत्रण व्यय ।

रूरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कार्यों के संयंत्रों और उपकरणों के ठेकों के मूल्य निश्चित हो गये हैं और उनमें अन्तर केवल कुछ मुख्य खनिजों और मजदूरों के परिवर्तनों के कारण ही हो सकता है । इस प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्राक्कलनों में कोई भत्ता नहीं रक्खा है । सिविल इंजीनियरी प्रायः ऐसी दरों पर रहती है जो परिवर्तित होते रहते हैं और ऐसे परिवर्तनों का प्राक्कलनों में कोई लेखा नहीं है । अन्य प्रायोजनाओं की तरह सिविल इंजीनियरों की लागत से प्राक्कलनों के कार्य की अनुमानित मात्राओं और वास्तविक मात्राओं में अन्तर हो सकता है । अन्य दो अंगों के लिए ठेकेदारों और परामर्शदाताओं के अनुभव से ठीक प्राक्कलन किये गये हैं लेकिन भुगतान अधिकतर वास्तविक कीमत पर होता है इस तरह वर्तमान समय लेखों के परिवर्तन और सिविल इंजीनियरी मात्राओं के परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके लिए अनुमानों को फिर से दोहराया जाय ।

मैसूर लोहा और इस्पात:—प्लानिंग आयोग के द्वारा निम्न प्रसार आयोजनक मंजूर किये गये हैं ।

(क) काष्ट आयरन स्पन पाइप प्लान्ट (Cast Iron spun Pipe Plant)

(ख) सिन्टरिंग प्लान्ट (Sintring plant)

(ग) बिजली सप्लाई और ट्रामवेज का प्रसार (Extention of Electric supply and Tramways)

(घ) फैरो अलॉय प्लान्ट (Ferrow Alloy Plant)

(ङ) इसपात बनाने की सुविधायें और बिलेट और स्ट्रक्चरल मिल (Steel making facilities and Billet and Structural Mill)

पहली तीन आयोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना से आगे बढ़ाई जा रही हैं । स्पन पाइप प्लान्ट की स्थापना पूर्ण हो चुकी है और संयंत्र की परीक्षा की जा रही है । सिन्टरिंग प्लान्ट के लिए आर्डर जर्मनी में दिये जा चुके हैं और सप्लाई करने वालों ने जहाज लाद दिया है । इस संयंत्र की १९५८ के अन्त के तीन महीनों में या १९५९ के आरम्भ में लगने और चालू होने की आशा है । इस्पात प्रसार कार्यक्रम के लिए मैसूर लोहा और इस्पात वर्क संयंत्र और मशीनों की सप्लाई के आस्थगित शोधन अवधि पर विचार कर रही है । फैरोमिक्किन प्लान्ट के लिए मैसूर आइरन वर्क्स ने नार्वे की फर्म का कुटेशन स्वीकृत कर लिया है ।

१९५१-५६ में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स को १,१६,८८,००० रुपये ऋण के रूप में दिये गये थे । १९५१-५६ में मैसूर सरकार ने ६३,१६,००० रुपये व्यय किये । सन् १९५६-५७ और १९५७-५८ में प्रसार कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई ऋण नहीं दिया गया ।

मैसूर सरकार ने सिद्धान्तः यह स्वीकार कर लिया है कि अन्य सरकारी अधिकृत उद्योगों की तरह केन्द्रीय सरकार के आधीन एक निगम या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बनाई

जाय। १९५८-५९ के वजट अनुमानों में १ लाख रुपये इस कम्पनी के वनाये जाने पर व्यय करने का निश्चय किया है।

टाटा लोहा और इस्पात की प्रसार योजनाएं :—टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी की प्रसार आयोजनाओं का अभिप्राय वेची जाने वाली इस्पात के उत्पादन में १९५८ के अन्त तक दो अवस्थाओं में ७५०,००० टन बढ़ाकर १५ लाख टन कर देना है पहली अवस्था में जिसे आधुनिकरण और प्रसार कार्यक्रम कहते हैं, कार्यक्षमता ९३१,००० टन बढ़ा दी जायगी और दूसरी अवस्था में इसे २० लाख टन इस्पात पिन्डकों और १५ लाख टन परिरूपित इस्पात में वदलने के लिए बढ़ा दी जायगी।

टाटा आधुनिकरण और प्रसार कार्यक्रम के प्रथम भाग में निम्नलिखित सम्मिलित है :—कोक भट्टी की एक बैटरी का बदला जाना (दिसम्बर १९५३ में पूर्ण हो गई)। संख्या ३ मैल्टिंग शॉप (Melting shop) का पूर्ण रिमोडलिंग करना। बिलूमिंग मिल का आधुनिकरण, प्लैट मिल को सुधारना, एक नई लगातार स्कैल्प मिल का निर्माण, (जो मार्च १९५६ में चालू हो गई) स्टीम और पावर प्लान्ट का प्रसार (जो पूर्ण हो गई है)। सम्पूर्ण कार्यक्रम ३१ मई १९५८ तक पूर्ण हो जाना है।

दूसरे भाग में कुछ मुख्य कार्य सम्मिलित हैं जो कार्यक्षमता को २० लाख इस्पात पिण्डकों, एवं अर्ध परिरूपित इस्पात और परिरूपित इस्पात के उत्पादन को १५ लाख टन बढ़ा देगा। प्रायोजना के भाग में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—नई बैटरीदार भट्टी, का निर्माण और वर्तमान बैटरियों का री-मोडलिंग एवं प्रसार करना, बौइलर और पावर-हाउस का प्रसार और दो नई बैटरियों को लगाया जाना, एक क्रशिंग प्लान्ट और नये सिंटरिंग प्लान्ट का लगाया जाना, एक नई ब्लास्टभट्टी का निर्माण, संख्या ३ मेल्टिंग शॉप का २०० टन, आपन हर्ण की भट्टियां एवं १३२ टन के कन्वरटर के मिला देने से प्रसार करना, ४६ इंच एक नये बिलूमिंग मिल का निर्माण, एक मिडियम और लाइट स्ट्रक्चरल मिल और एक नई राल शॉप का निर्माण।

उपर्युक्त सुविधायें मई, १९५८ तक पूर्ण होजायेगी।

तीसरा भाग—तीसरा भाग जो कि २० लाख टन कार्य के कार्यक्रम से सम्बन्धित है—उसका अधिकतर भाग विभाग के द्वारा चलाया जाना है इसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं :—कार्य स्थल को तैयार करना, खनिज स्टोक यार्ड का निर्माण, इस्पात मेल्टिंग शॉपों का और कैपेनिंग प्लान्ट का री-मोडलिंग और आधुनिकरण, शीटवार, बिलेट मिल, रैल-मिल और मर्चण्ट मिल का आधुनिकरण, १ इनगोट फाउन्ड्री का निर्माण, रौलिंग स्टौक का प्राप्त करना, कौलरी का विकास, खनिज खदानों का विकास, और जमशेदपुर में मकानों का निर्माण। यह कार्य ३० जून, १९६० तक पूर्ण हो जाने हैं। चतुर्थ खंड :—सहायक कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं।

२० लाख टन के अनावश्यक कार्यक्रमों में सुधार करना, एक फैरो मैंगनीज संयन्त्र (Ferro Manganese Plant) का निर्माण, एक नये रीफैक्ट्री (Refactory) प्लान्ट

तथा सलफेट वाशिंग प्लान्ट (Sulphate Washing Plant) का निर्माण और हौकिट प्रक्रिया के द्वारा सिलेग से स्क्रैप बदलने के प्लान्ट का निर्माण। ये कार्यक्रम मार्च १९६० तक पूर्ण हो जाने हैं।

भारतीय सरकार ने आधुनिकरण और प्रसार कार्यक्रमों के लिए १० करोड़ रुपये अग्रम दिये हैं और उन्हें विश्व बैंक से क्रमशः ७५० लाख डालर और ३२५ लाख डालर के दो ऋण स्वीकृत किये गये है इन ऋणों के द्वारा २० लाख टन कार्यक्रम के पूरा करने के लिए आवश्यक विदेशी नियम की अधिक मात्रा पूर्ण होने की आशा है। आधुनिकरण और प्रसार कार्यक्रम के अधीन कम्पनी ने अब तक निम्न कार्य पूर्ण कर लिया है :—

५२ बैटरियों की एक नई कोक भट्टी (New Coke Oven), प्लेट मिलों में सुधार, एक नई स्कैल्प मिल (New Skelp Mill) नये डब्ल्यू० पी बौइलर और डी० वी० सी० शक्ति को प्राप्त करने के उपकरणों का लगाया जाना, वर्तमान इस्पात मैल्टिंग शॉप जिसमें पांच १६५ टन की भट्टियां हैं, केरी-मोडलिंग में काफी प्रगति हुई है, बिलूमिंग मिल, शोकिंग पिटस और कैल्पनिंग प्लान्ट के सुधारने और आधुनिकरण में अच्छी प्रगति हुई। इन समस्त विभागों में निर्माण कार्य प्रगति कर रहे हैं और आयात के लिए जाने वाले समस्त उपकरण प्राप्त किये जा चुके हैं। २० लाख टन के कार्यक्रम में २४ भट्टियों की एक कोक की बैटरीदार भट्टी पूर्ण होने को है। अक्टूबर १९५७ में भट्टी के गर्म करने का कार्य आरम्भ हो गया था। कोक की दूसरी बैटरीदार भट्टी से शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर देने की आशा है। दूसरे विषयों में अच्छी प्रगति की सूचना मिली है।

भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी के प्रसार की योजनायें

भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी के प्रसार का अभिप्राय उसकी इस्पात की कार्य क्षमता को ३ लाख टन से ८ लाख टन प्रति वर्ष बढ़ा देना और ४ लाख टन बचे जाने वाले कच्चे लोहे के लिए बढ़ा देना है। प्रसार और आधुनिकरण कार्यक्रम के प्रथम खंड में निम्नलिखित सम्मलित हैं :—

(क) **बरनपुर वर्कस में** :—दो कोक की (Coke Oven Battries) बैटरीदार भट्टियाँ और दो ब्लास्ट भट्टियों को लगाया जाना, कनर्वटर हाऊस (Convertor House) प्रसार और तीसरे कनर्वटर (Convertor) का लगाया जाना, दूसरे मैलटिंग शॉप और, चारसोकिंग पिटो (Soaking Pits) का अतिरिक्त निर्माण दो मिलों के परिरूपित विभागों का प्रसार जल गैस, शक्ति, और वाष्प जैसी सहायक सेवाओं का प्रसार।

(ख) **गुआ में** :—खनिज खदानों में मशीनें लगाना और उनका प्रसार करना, जिससे कम्पनी अपने स्वयं के खदानों से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके।

दूसरे भाग में बरनपुर की उत्पादन सुविधाओं का प्रसार और आधुनिकरण के कार्य क्रम सम्मलित है। इसमें परिरूपित और अर्ध परिरूपित इस्पात के उत्पादन की कार्यक्षमता को ७ लाख टन से ८ लाख टन प्रति वर्ष बढ़ा देने का इरादा है।

१. विलेंट मिल में दो स्टेन्डों का जोड़ना,

२. ३४ इंच की स्ट्रकचरल (Structural) मिल में एक स्टेन्ड का जोड़ना,

३. एक नई बार मिल (Bar Mill) का लगाया जाना,

४. २० हजार किलोवाल स्टीम टरवाइन मैरेटर और आवश्यक बॉयलरों का लगाया जाना,

५. समस्त सहायकों (उद्योग) का लगाया जाना। उपकरणों और सेवाओं का उपबन्ध। इन कार्यों के दिसम्बर १९५८ तक पूरा होने की आशा है।

भारतीय सरकार ने कम्पनी को अपने प्रसार कार्यक्रम के लिए ७ करोड़ ९० लाख रु० का व्याज युक्त ऋण और एक विशेष वापिस किया जाने वाला १० करोड़ रुपये का अग्रिम धन दिया ह। विदेशी विनिमय की लागत के पूर्ण करने के लिए विश्व बैंक ने क्रमशः ३ करोड़ २० हजार और २ करोड़ डालर अग्रिम ऋण दिये हैं। भारतीय सरकार के द्वारा इसके लिए गारंटी दे दी गई है। ५० प्रतिशत संयंत्र और मशीनों के लिए आर्डर दे दिये गये हैं। कोक की भट्टी की एक वैटरी नवम्बर १९५७ में जल चुकी थी और दूसरी समाप्ति पर है। सलफ्यूरिक एसिड (Sulphuric Acid) प्लाँट पूर्ण हो गया है और उसने व्यापारिक रूप स कार्य शुरू कर दिया है। दो नई ब्लास्ट भट्टियों में से एक में फरवरी १९५८ में आयोजनाओं म अच्छी प्रगति हुई। जहाँ स्थापना कार्य प्रगति कर रहे हैं समुद्र द्वारा आयात किये जाने वाले ८० प्रतिशत उपकरणों के आर्डर दिये जा चुके हैं।

रिरौलिग इन्डस्ट्री (Re-Rolling Industry)—भूतपूर्व व्यापार और उद्योग मन्त्रालय के संकल्प दिनांक २५ जुलाई १९५६ के अन्तर्गत एक समिति की स्थापना की गई थी। इसका कार्य ऐसे सिद्धान्त बनाना था जिनके द्वारा रिरोलिंग मिलों के स्थापना के समय समस्याओं के परिक्षण किये जा सके और रिरोलिंग उद्योग के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त की जा जके। समिति ने अपनी रिपोर्ट जून १९५७ को प्रस्तुत कर दी थी अन्य चीजों के साथ इनकी मुख्य सिफारिशें यह हैं :—

(१) गौण उत्पादकों सहित विविध प्रकारों के रि-रौलिंग मिलों की वर्तमान क्षमता। एक पाली पद्धति के आधार पर १-११-५६ को लगभग ७००,००० टन प्रतिवर्ष है। कुछ विवरणियों की फिर से जांच होने की आवश्यकता है इसलिए इन आँकड़ों को फिलहाल अस्थायी समझा जाये।

'सम्पूर्ण वर्तमान क्षमता इतनी से अधिक है जितने के लिए वैध मंजूरी हुई है प्लांट और यन्त्रजात मुख्यतया पुरानी जगह लगाये जाने के लिए था उसे भी पहले से लगे हुए प्लांट के साथ कहीं-कहीं लगा दिया गया है। ठीक तो यह होगा कि उचित मंजूरी के बिना उत्पादन क्षमता को माना नहीं जाना चाहिए। तथापि यह राष्ट्रीय हित में नहीं होगा कि ऐसे प्लांट और मशीनरी के अस्तित्व की उपेक्षा कर दी जायें।

(२) इसके अतिरिक्त लौहा एवं इस्पात नियंत्रक ने कुछ प्लांट एवं मशीनरी को मुख्यतया पुरानी की बदल में लगाने के लिए विदेशों से मंगाने अथवा देशी साधनों से प्राप्त करने का लाइसेंस दिया है। यह विश्वास करने के लिए कारण है कि अब लगाये जाने वाले प्लांट एवं मशीनरी से अधिकांशतः रिरौलिंग जारखानों की क्षमता में वृद्धि होगी। इस अतिरिक्त क्षमता की बावत यह अम्दाजा है कि वह १०४,७६० टन प्रतिवर्ष है तथा इसे परियीजित अतिरिक्त क्षमता माना जा सकता है।

(३) जबकि वर्तमान क्षमता का बड़ा भाग बिलेटों के प्रयोग पर आधारित है तो भी केवल कुछ ही कारखाने, विशेषतः छोटे कारखाने अपने काम के लिए रिरौल किये जाने योग्य स्क्रेप पर निर्भर करते हैं। रिरौल किये जाने योग्य स्क्रेप अच्छे किस्म के उत्पाद के अभिनिर्माण के लिए समुचित सामग्री नहीं है किन्तु ८ इंच परिमाप से कम वाली मिलों में इसका प्रयोग होता रहेगा। ये कारखाने रिरौल किये जाने योग्य स्क्रेप के आधार पर लाभदायक रीति से चल सकते हैं। जो कारखाने रिरौल किये जाने योग्य स्क्रेप के आधार पर सुगमता से चल सकते हैं, जिनकी क्षमता २६२०० टन प्रति वर्ष है अवशिष्ट क्षमता बिलेटों पर आधारित है। यह क्षमता दो पाली पद्धति के आधार पर १,३२५,७४६ टन होगी।

८ इंच परिमाप से कम वाली मिलों कोरिरौल किये जाने योग्य स्क्रेप की भविष्य में जितनी मात्रा में आवश्यकता होगी आशा है कि जैसा अब तक होता रहा है उसकी पूर्ति में कोई कठिनाई नहीं होगी।

जहाँ तक बिलेटों पर आधारित कारखानों का प्रश्न है, उनमें से बहुतों को अपनी गतिविधियाँ एक पाली या उससे कम तक सीमित करनी पड़ीं। इन कारखानों में यह सामान्यतया प्रचलित कार्य प्रणाली है कि लाभकारी उत्पादन के लिए दो पाली पद्धति पर कार्य किया जाये। १० प्रतिशत छीजन के लिए छोड़ने के बाद दो पाली पद्धति पर उनकी बिलेटों की सम्पूर्ण आवश्यकता १४,५८,०२४ टन प्रति वर्ष होती है।

बिलेटों के देशी प्रदायक तथा उदार नीति से किये गये आयात इस क्षेत्र की सामान्य कार्यप्रणाली के अनुसार रिरौलिंग उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए हैं।

१९६०-६१ तक बिलेटों तथा बिजली में ही इंगोटों रिरौलिंग उद्योग के लिए सम्पूर्ण प्रत्याशित प्राप्यता ८९०,००० टन प्रतिवर्ष है। यह परिमाण बिलेटों में ८७६,२५० टन होता हैं।

(४) बिलेटों की जो मात्रा निकट भविष्य में उपलब्ध होगी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो भी यह स्पष्ट है कि दो पाली के आधार पर जैसे

कि आजकल यह उद्योग चल रहा है उसकी जो आवश्यकताएं लाभकारी उत्पादन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए हैं उन्हें पूरा करना सम्भव न होगा ।

(५) विलेट के बारे में भारत सरकार की आयात नीति उदार है तो भी यह आवश्यक पाया गया कि जिन भागों के लिए देश में क्षमता वर्तमान हैं उन्हें भी पर्याप्त मात्रा में बाहर से मंगाया जाये । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विदेशों से विलेट मंगाना कठिन है । इसलिए सरकार को इस्पात उत्पादक देशों से व्यापार करार करके उतना मंगाने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि स्वदेशी उत्पादन बढ़ सके और लाभकारिता के आधार पर रिरौलर्स काम कर सकें ।

(६) यदि विलेट की पर्याप्त पूर्ति की व्यवस्था नहीं की जा सकती है तो प्राप्य सामग्री को रिरौलर्स में क्षमता के उसी आनुपातिक आधार पर वांटना होगा जिसे कि अभी हाल में ही लोहा और इस्पात नियंत्रक ने निर्धारित किया है । विलेट के ऐसे आवांटन में······

(१) उन कारखानों की जिन्हें अभी हाल में बिलेट के आधार पर काम करने का विकल्प दिया गया था किन्तु जिन्होंने स्क्रेप से ही काम करना पसन्द किया और

(२) जिस क्षमता के लिए मंजूरी नहीं दी गई है उसकी उपेक्षा करनी होगी ।

जब तक कि उद्योग को कम से कम एक पाली (शिफ्ट) की पूर्ति का आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक बड़े कारखानों (यूनिटों) को अपना काम वन्द कर देने का डर बना रहेगा ।

(७) रिरौलिंग उद्योग का विकास क्षेत्रीय आधार पर हो सकता है । नये उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें कि कमी की पूर्ति यथा सम्भव स्थानीय रूप से हो सके । निम्नलिखित राज्यों में रिरौलिंग क्षमता का अभाव है ।

१. आंध्र
२. असम जिसके अन्तर्गत मनीपुर, त्रिपुरा और उत्तरी पूर्वी सीमा एजेन्सी है ।
३. बिहार
४. हिमाचल प्रदेश
५. जम्मू और कश्मीर
६. मद्रास (जिसके अन्तर्गत पांडेचेरी है)
७. मध्य प्रदेश
८. मैसूर
९. केरल
१०. उड़ीसा

अन्य राज्यों में रिरौलिंग क्षमता का आधिक्य है ।

(८) बाँटे गये सब बिलेटों के लिए उत्पादन क्रम लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा उसी रूप में तय किया जायेगा जैसे कि वे मुख्य और गौण उत्पादकों के बारे में हैं ।

(९) रिरौलर्स का वर्तमान वर्गीकरण (रजिस्ट्रीकृत और अरजिस्ट्रीकृत) का पुनरीक्षण होना चाहिए और भविष्य में केवल दो कोटियाँ होनी चाहिए । प्रयोग किये गये कच्चे माल की किस्म के आधार पर बिलेट या स्क्रेप केवल ८ इंच से कम वाली मिलों को ही स्क्रेप से अपना काम चलाना चाहिए ।

(१०) वर्तमान या परियोजित इस्पात भट्टियों की अनुमानित कुल तरल धातु क्षमता को ढालने के लिए और इगनाटों या बिलेटों के उत्पादन के लिए काम में लाया जायेगा । आशा है कि सन् १९६०-६१ तक प्रति वर्ष २,६०,००० टन लाया गया स्क्रेप मिलने लगेगा । इससे वर्तमान और परियोजित इस्पात भट्टियों की आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकती क्योंकि उनकी वास्तविक मांग प्रतिवर्ष २८५००० टन स्क्रेप की है ।

वर्तमान इस्पात ढलाई के कारखानों की क्षमता २१००० टन प्रतिवर्ष है । उन्हें आशा है कि वे अपनी १९६०-६१ तक ३६००० टन प्रतिवर्ष बढ़ा लेंगे । इन ढलाई के कारखानों को केवल ढालने के काम में लगाने के लिए ही प्रोत्साहित करना चाहिए ।

(११) सन १९६०-६१ तक ढाले गए इस्पात ढांचे की अनुमानित मांग ७२००० टन प्रतिवर्ष होगी और उस समय तक इस्पात ढलाई के कारखानों की क्षमता ८६००० टन होने की आशा है । इससे इस्पात कास्टिंग्स की सब मांगें पूरी हो जाएगी । इसलिए १९६०-६१ से पहले और अतिरिक्त ढलाई क्षमता कायम करना आवश्यक नहीं है । उसके बाद स्थिति पर पुनर्विचार किया जाएगा ।

(१२) अब रिरौल किए जाने योग्य औद्योगिक स्क्रेप के भिन्न गलाए जाने वाले स्क्रेप की प्राक्कलित प्राप्यता २००,००० टन प्रति वर्ष है । इस समय जो २००,००० टन का निर्यात हो रहा है, उसको और इस मात्रा को मिलाकर कुल ४००,००० टन हो जाता है और अनुमान है कि १९६०-६१ के बाद से होने वाले ६० लाख टन प्रति वर्ष के पिंडक (इंगाट) उत्पादन को लेकर १९६१-६२, १९६५-६६ तक स्क्रेप की प्राप्यता १,०००,००० टन अर्थात ४००,००० टन के अतिरिक्त ६००,००० टन और हो जाएगी ।

देश में इस्पात रोलिंग उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्पात पिंडकों (इंगाट्स) या विलेटों के निर्माण के हेतु अतिरिक्त इस्पात भट्टियों की

निश्चय ही आवश्यकता है। इस समय दूसरी और तीसरी श्रेणी का जो २५०,००० टन स्क्रेप निर्यात करने दिया जा रहा है, वह भी १९६०-६१ में उपलभ्य होगा। इस स्क्रेप का २० प्रतिशत भाग बहुत हल्के प्रकार का होता है, जो देश के सभी भागों में मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के हल्के स्क्रेप देश के सभी भागों में मिल सकते हैं। यह प्रयत्न होना चाहिए कि इस प्रकार के स्क्रेप का उपयोग उन्हीं प्रदेशों में किया जाए जहां वह मिले। इस प्रकार का स्क्रेप कुल मिलाकर लगभग ८०,००० टन प्रति वर्ष प्राप्त होगा। इस स्क्रेप को रोलिंग मिलों के लिए विलेटों में परिवर्तित करने के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक और यदि अधिक स्क्रेप प्राप्य हो तो एक से अधिक मेन्स फ्रीक्वेन्सी इंडक्शन भट्टियां लगाई जानी चाहिए जिनकी मासिक क्षमता १५०,३०० टन हो।

(१३) जो स्क्रेप इस समय निर्यात किया जा रहा है उसके उपयोग के लिए जब तक कि भट्टियां स्थापित नहीं कर दी जाती हैं, तब तक उनके निर्यात के लिए परमिट इस शर्त पर दिए जा सकते हैं कि प्रत्येक छः मास पर उसका पुनर्विलोकन किया जाए और यह कि निर्यातकर्ता उसका कुछ प्रतिशत भाग विद्युत भट्टियों के लिए देंगे। सिद्धान्तः निर्यात बन्द कर दिया जाना चाहिए।

स्क्रेप पर से नियंत्रण हटा लेना चाहिए ताकि उसका मूल्य स्तर सामान्य व्यापार क्रम के द्वारा स्थिर हो जाए।

२. भारत सरकार ने सिफारिश संख्या (४), (८), (१०) और (११) को स्वीकार कर लिया है। सिफारिश संख्या (१), (२), (३) और (६) के विषय में भारत सरकार का मत है कि १ नवम्बर, १९५६ को जो क्षमता निर्धारित की गई थी वह पहले के प्राक्कथनों से अधिक है। उनका विचार है कि कच्चे मालों के बटवारे के लिए अलग अलग (री-रोलिंग) मिलों के क्षमता सम्बन्धी आंकड़ों को मानने से पूर्व और आगे विस्तृत प्राविधिक निर्धारण करना आवश्यक होगा।

सामान्य रूप से सिफारिश (५) पर विचार किया जा सकता था, परन्तु वर्तमान विदेशी विनिमय स्थिति को देखते हुए विलेटों के आयात में और वृद्धि करना उचित न होगा।

सिफारिश (७) के सम्बन्ध में भारत सरकार का कहना है :—

कि यद्यपि सम्पूर्ण सामर्थ्य कच्चे मालों की मांग और उनकी प्राप्यता दोनों से अधिक है, तथापि प्रादेशिक विकास के आधार पर कतिपय राज्यों में नई क्षमता स्थापित करने की सिफारिश की जाती है। गुण दोष के आधार पर नए कारखानों की उन क्षेत्रों में सिवाय स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर अभी थोड़ी अथवा कुछ भी क्षमता नहीं है और जहां पर यातायात की सुविधाओं और लाभकारी उत्पादनों की दृष्टि से नए कारखानों

की स्थापना उचित है, ऐसे कारखानों के स्थान और उनके आकार को निश्चित करने में
इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि कमी वाले बाजार की वितरण व्यवस्था में
संभवतः क्या उथल पुथल होगी। भारत सरकार ऐसे मामलों पर उनके गुण दोष के आधार
पर विचार करने का इरादा रखती है।

सिफारिश (९) के सम्बन्ध में भारत सरकार का आशय यह है कि जैसे ही देशज
विलेटों की प्रदाय स्थिति इस बात की अनुज्ञा दे ८ इंच और उसके ऊपर के विलेटों का
रिरौलिंग में बंटवारा किया जाए। इस बीच विलेटों का बंटवारा अभी तक अपनाए गए
आधार पर परिवर्तनों के साथ जैसे कि विलेटों की उपलब्धता के आधार पर समय समय पर
सम्भव हों किया जाता रहेगा।

सिफारिश (१२) यद्यपि सिद्धान्तः मानों योग्य है फिर भी भट्टियों के संस्थापन के
आवेदनों पर विचार करने के पूर्व ऐसे स्क्रेप की उपलब्धता और उपयोगिता और उसी के
साथ उत्पादन के लाभालाभ का परीक्षण करना आवश्यक होगा। प्रत्येक कारखाने का
अर्थदायी आकार का अवधारण मामले की विशेष परिस्थितियों पर ध्यान रखकर किया
जाएगा।

स्क्रेप के सम्बन्ध में सिफारिश (१३) के विषय में भारत सरकार का इरादा है कि
उचित समय पर इस सिफारिश पर उसके गुण दोष के आधार पर विचार किया जाए।

फैरो मैंगनीज उद्योग—इस्पात के उत्पादन के लिये फैरो-मैंगनीज एक महत्वशाली
कच्चा खनिज है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये निर्धारित १६०,००० टन के प्रति
वर्ष के लक्षय में से, सात दलों को १२३,३०० टन कार्य क्षमता के फैरो-मैंगनीज संयंत्र
बनाने के लाइसेंस स्वीकृत किये जा चुके हैं। इन में से तीन यूनिटों ने उत्पादन आरम्भ कर
दिया है। ५४,००० टन वार्षिक कार्यक्षमता के दो अन्य दलों को शीघ्र ही लाइसेंस दिये जाने
वाले हैं।

फैरो-मैंगनीज के लिये आरम्भिक कच्चे खनिज के लिये भारत में मैंगनीज की बहुत
सी खदानें हैं। इस समय इस खनिज का मुख्यतः निर्यात कर दिया जाता है। अब उच्च
वर्ग के खनिज की १५० रूपये प्रति टन मूल्य की तुलना में बनोहरा फैरो-मैंगनीज का मूल्य
८०० रू० प्रति टन होगा। अतः विदेशी विनिमय प्राप्त करने के दृष्टिकोण से भी फैरो-मैंग-
नीज उद्योग का विकसित करना आवश्यक होगा। परिरूपित उत्पादन के नियति से जहाजों
के किरायों में बचत होगी। स्वदेशी मांग को पूर्ण करने के उपरांत जनवरी १९५८ में
५००० टन के फैरो-मैंगनीज के निर्यात की अनुमति दे दी गई है।

इस्पात का उत्पादन और वितरण—१९५७ में इस्पात का कुछ उत्पादन १९५५ के
१,२९०,००० टनों तथा १९५६ के १,३३७,००० टनों की तुलना में १,३४४,००० टन
रहा। यह उत्पादन मुख्य दो इस्पात उत्पादन संयंत्रों में आधुनिकरण और प्रसार कार्यक्रमों
को लागु करने के लिये संयंत्र के उखाड़ने के उपरान्त हुआ।

इस वर्ष वितरण के लिये प्राप्त इस्पात २८ लाख ८० हजार टन रहा। (२८·८ लाख टन स्वदेशी उत्पादकों के द्वारा और १५·४ लाख टन आयात के द्वारा) यह १९५६ में प्राप्त इस्पात के प्रायः बराबर ही रहा। इस वर्ष सहायक इस्पात की प्राप्ती भी, जोकि एलोकेशन मूल का एक भाग है, १९५७-५८ की भांति न्यूनाधिक नहीं रहीं। १९५७-५८ के किये गए वांट (एलोटमन्ट) और गत वर्ष के वांटों की तुलानात्मक तालिका इस प्रकार है :—

कोटा होल्डर		१९५६-५७	१९५७-५८
प्रतिरक्षा और रेलवे	...	४,८९,०००	५,२०,०००
औद्योगिक संरक्षण और सामान बांधना	...	१,०९,०००	१,०८,०००
इस्पात उत्पादक उद्योग	...	४,३०,०००	३,८३,५००
सरकारी विकास आयोजना	...	४,७०,०००	५,६२,५००
व्यक्तिगत उद्योगों का विकास आयोजना	...	९६,०००	१,४४,०००
राज्य की अकृषिक और कुटीर उद्योग	...	१,७६,०००	२,६६,०००
कृषी	...	१,०१,०००	८०,०००
विस्थापित कार्यों के लिये आवास	...	१०,०००	१२,०००
निर्यात	...	८,०००	८,०००
		१८,९८,०००	२०,८४,०००

टिप्पणी—(१) उपयुक्त के अतिरिक्त १९५६-५७ में अधिकतर इस्पात संयंत्र और छोटे उद्योगों के लिये २,६०,००० टनों का एलोटमेन्ट हो गया था।

(१) इस के साथ ही चालू उद्योगों ने, जिन के लिये इस्पात दिया हुआ था, बहुत से न्यादेशकों से इस्पात प्राप्त कर लिया था।

फिर भी, बांटे हुए इस्पात की सप्लाई में, उत्पादकों की अधिक मांग होने के कारण, कठिनाईयाँ बनी रही, उत्पादकों की मांग को कम करने के लिए इस वर्ष कतिपय प्रयास किये गये और मांग को पूर्ण करने के लिए समस्त प्राप्य इस्पात का उपयोग करने का प्रयत्न किया गया है। उदाहरणार्थ मार्च, १९५७ में यह निर्णय किया गया था कि उत्पादको के पास १३ अप्रेल, १९५६ से पहले आई हुई, रेलवे, डी० जी० एस० एन्ड डी०, नये इस्पात संयंत्रों प्रतिरक्षा-सेवाओं तथा पोर्ट ट्रस्ट, की मांगों के अतिरिक्त सब मांगों को रद्द कर दिया जाय। जुलाई, १९५७ में उत्पादकों को यह निर्देश दिये गये थे कि वे अपने अतिरिक्त उत्पादन को अपनी इच्छा से किसी भी ग्राहक को बेचने के स्थान पर रजिस्टर्ड और नियंत्रित स्टाकिस्टों को दें। इस वर्ष टैरिफ आयोग की सफारिशों में कच्चे खनिज की अतिरिक्त लागत को

पूर्ण करने लिए टाटा लोहा और इस्पात और भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी के प्रतिधारण मूल्यों में १२ रुपये प्रति टन कुछ वृद्धि कर दी गई थी। सीमा शुल्क के बढ़ जाने के कारण १६ मई १९५७ से ४६ रुपये की अस्थाई वृद्धि कर दी गई थी।

उत्पादकों को स्वीकृत प्रतिधारण मूल्यों में वृद्धि को पूर्ण करने के लिए, १६ मई १९५७ से सब प्रकार की इस्पात में ७० रु० प्रति टन के हिसाब से विक्रय मूल्यों में वृद्धि कर दी गई थी, ७ जुलाई, १९५७ से टिन प्लेटों के मूल्यों में भी १०० प्रति टन वृद्धि कर दी गई थी।

१६ मई से खराब और री-रोलिंग स्क्रेप (Re-Rolling Scrape) तथा इन्डस्ट्रीयल स्क्रेप (Industrial Scrape) के विक्रय मूल्यों में क्रमशः ६० रु० व ५० रु० प्रति टन वृद्धि कर दी गई थी। फिर भी छोटे पैमाने वाले कुटीर उद्योगों को सहायता देने के लिए शीट कटींग (Sheet Cutting) के मूल्य में २० रु० प्रति टन वृद्धि कर दी गई थी। इस वर्ष कच्चे लोहे और मेल्टिंग स्क्रेप (Melting Scrape) के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई थी।

टैरिफ आयोग का ध्यान रजिस्टर्ड री-रोलिंग के परिवर्तित लागत के प्रश्न को दोहराने की तरफ आकर्षित किया गया है। इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

लोहा और इस्पात का निर्यात् स्क्रेप के कुछ प्रकारों तक सीमित है जिनका देश में उपयोग नहीं किया जा सकता। १९५६ में १७,३५,००० टन के लिए लाइसेंस की तुलना में इस वर्ष १,८५,००० टन के लिए लाइसेंस जारी किये गये थे। १९५६ के १,७४,००० टन वास्तविक निर्यात की तुलना में इस वर्ष ९७,४१८ टन का वास्तविक निर्यात किया गया।

इस्पात से बनाये गये इंजीनियरी के सामान का निर्यात बनाये रखने तथा उसमें वृद्धि करने के लिए एक विशेष एक्सपोर्ट री-इबसमैंट कोटा चालू किया गया। यह कोटा इंजीनियरी के सामानों के बनाने में प्रयोग होने वाली इस्पात में उस हद तक उपयोग में लाया जायेगा जितना कि निर्यात करेगा।

कच्चे लोहे की सप्लाई की दशा में तब तक कठिनाई रही जबतक कि वर्ष के अन्त में कच्चे लोहे का पर्याप्त मात्रा में आयात हो गया। १९५६ में ३५१, ६२८ टन विक्रय किये जाने वाले कच्चे लोहे की तुलना में १९५७ में ३,८३,१५४ टन का विक्रय हुआ। उत्पादन के अवशेषों को कम करने के लिए १९५६ के मार्च-जून में कच्चे लोहे की कोई जाँच नहीं हुई थी। १९५८ में भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी की नई ब्लास्ट भट्टी के कार्यारम्भ से कच्चे लोहे की सप्लाई की दशा में सुधार की आशा है।

इस वर्ष देश में विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण इस्पात के आयात पर भी प्रभाव पड़ा।

१९५८-५९ का पूर्वेक्षण—आगामी वर्ष में आशा की जाती है कि रूरकेला और भिलाई में एक ब्लास्ट भट्टी पूर्ण रूप से कार्यारम्भ कर देगी और कच्चे लोहे का उत्पादन

आरम्भ कर देगी। टाटा लोहा और इस्पात कार्यों के विकास का कार्य समाप्त हो जायेगा। इसी प्रकार भारतीय लोहा और इस्पात कार्यों के कार्यक्रम भी पूर्ण हो जायेंगे। यह आशा की जाती है कि १९५८ में विक्रय किये जाने वाले इस्पात का उत्पादन लगभग १४.५ लाख टन तथा १९५८ में १८ लाख टन होगा। १९५८ में लगभग ३.२ लाख टन तथा १९५९ में १२.५ लाख टन कच्चा लोहा उत्पादित किया जायेगा। इस प्रकार आयात की कठिनाइयों के कारण होने वाली वर्तमान समय में, इस्पात की कमी किसी हद तक दूर हो जायेगी।

डूगडा की शोधनशाला तथा रूरकेला के खाद संयंत्र के ठेके भी पूर्ण हो जायेंगे। और इसी प्रकार मौजूडीह और पस्थरडीह की शोधनशालाओं के ठेके भी पूर्ण हो जायेंगे। यह दो शोधनशालाएं जमशेदपुर और बर्नपुर के इस्पात कार्यों के लिए शोधित कोयले की सप्लाई करेंगी। आशा की जाती है कि एक अलॉय एन्ड स्टील प्लान्ट (Alloy and Steel Plant) के लिए आर्डर दे दिये जायेंगे। इस आयोजना में ब्रिटेन, फ्रान्स, इटली और जर्मनी ने अभिरुचि प्रदर्शित की है। इन समस्त देशों ने वित्तीय सहायता दी है। विशेष और अलॉय स्टील की मांगें निर्धारित की जा चुकी है और विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट मंगाने का निर्णय किया गया है।

नये इस्पात संबन्धों के लिए संधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति मैग्नेजाइट क्रोम, क्रोम मेगनेंटाइट और हाई एलूमीना ब्रिक्स की अति आवश्यकता है। दो या तीन फर्मों ने प्रति वर्ष २४,००० टन के ईंटों के उत्पादन के संयंत्र लगाने के लिए अपनी अभिरूचि दिखाई है। तीन नये इस्पात संयंत्रों में से एक के लिए एक सहायक संयंत्र के लगाये जाने के प्रबन्ध पूर्ण होने की आशा है।

लोहा और इस्पात विभाग ने संबन्धित अन्य मंत्रालय तथा योजना आयोग के परामर्श से तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य पर विचार किया है। प्रायः निश्चय किया गया है कि प्रारम्भिक योजनाएं इस आधार पर प्रगति करें कि लक्ष्य १५० लाख टन होगा। इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए यह स्पष्ट है कि वर्तमान यूनिटों के प्रसार को प्रथम प्राथमिकता दी जाय। रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के संयंत्रों को ४० लाख टन तक प्रसारित किया जा सकता है। जमशेद पुर और बर्नपुर के कार्यों में अन्य प्रसार से कार्य क्षमता में १० टन के उत्पादन में वृद्धि हो जायेगी, फिर भी ४० लाख टन की कार्यक्षमता के नए इस्पात कार्य की आवश्यकता पड़ेगी।

तीसरा इस्पात संयंत्र लगाये जाने के लिए बिहार के बोकारो क्षेत्र उपयुक्त समझा गया था परन्तु बोकारों के कार्यस्थल पर यातायात के साधनों की कमी के कारण बंगाल के दुर्गापुर को प्राथमिकता दी गई थी। इस कार्यस्थल से अन्य भी कई लाभ हैं यह कोयले की कारगाली बोकारो और झरिया खदानों के पास है। यद्यपि कच्चा लोहा कुछ दूरी पर होगा, फिर भी जिन डिब्बों में रूरकेला और भिलाई के लिए कारगाली और झरिया से कोयला जायेगा वापसी में उन्हीं में कच्चा लोहा जा सकता है। लोहा और इस्पात विभाग के परामर्शदाता इंजीनियरों ने, जिन्होंने कार्यस्थल पर कुछ आरम्भिक अन्वेषण किया इस आधार

पर सिफारिश की है कि बोकारो में २५ लाख या ३० लाख टन कार्यक्षमता का संयंत्र लगाने में मितव्ययता होगी।

योजना आयोग ने बोकारों के पास दामोदर नदी पर एक बांध बनाने की स्वीकृति देदी है जिसकी लागत का अनुमान ५० से ६० लाख रुपये तक है, साथ ही कार्यस्थल के लिए विस्तृत अन्वेषण का आरम्भिक अध्ययन करने का सुझाव दिया है।

आगामी वर्ष में, कार्यस्थल पर आरम्भिक ऐसे कार्य जिनके लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता नहीं होती, पूर्ण हो जायेंगे। ये कार्य इस प्रकार हैं :—

परीक्षणीय छिद्रों की खुदाई करना, कार्यस्थल का समतल करना, बस्ती की योजना, मुख्य सड़कों का निर्माण, निर्माण कार्य के कर्मचारियों के रहने का प्रबन्ध और कार्यालय के लिए भवन का निर्माण। यह अनुमान है कि १९५८-५९ में ऐसे कार्य पर ५० लाख रुपये व्यय होंगे।

अध्याय ३

कोयला

नियन्त्रण :—सन् १९५७ में कोयले के उत्पादन, वितरण, प्रेषण, और मूल्यों पर नियन्त्रण।

उत्पादन और प्रेषण :—सन् १९५७ में भारत में कोयले का उत्पादन †४३.५ मिलियन टन और प्रेषण ३७.६ मिलियन टन था। (सन् १९५६ के उत्पादन और प्रेषण आंकड़े क्रमश: ३९.४ मिलियन टन और ३४.९ मिलियन टन थे)। जून-जुलाई, १९५७ में इन्फल्युन्जा की बिमारी विस्तृत फैली हुई थी। जिसके कारण थोड़ी देर के लिए उत्पादनों, प्रेषणों में अन्तर पड़ा फिर भी वर्ष में वृद्धि हुई।

३—**परिवहन अवस्था** :—सन् १९५७ में पूर्व वर्ष की अपेक्षा परिवहन अवस्था अच्छी थी। पश्चिमी बंगाल, बिहार में औसतन दैनिक लदान ३६६९ वैगन थी जबकि सन् १९५६ में ३४०५ बैगन थी। सन् १९५७ में दूरस्थ क्षेत्रों (Out lying areas) में औसतन दैनिक लदान बढ़कर ९०८ बैगन हो गई जबकि सन् १९५६ में केवल ८४७ वैगन थी।

.४—**निर्यात** :—सन् १९५७ में कोयले का निर्यात †१.७५ मिलियन टन हुआ जबकि सन् १९५६ में १.७३ मिलियन टन था।

देश			निर्यात टनों में	
			१९५६	१९५७
पकिस्तान	...	...	१,१७५,६९१	९८३,०५२
बर्मा	...	...	२५०,९८१	२९२,०५८
श्रीलंका	...	...	१९०,४५९	२०५,८४५
जापान	...	...	११,४२८	९९,०८७
सिंगापुर	...	...	४८,३२३	५५,३९५
हांगकांग	...	...	—	३८,८६५
सूडान	...	...	५,७४१	२४,३०१
सायगोन	...	...	—	१७,२५८

†अन्तर्कालीन आंकड़े

देश			निर्यात टनों में	
			१९५६	१९५७
एडिन	...	...	१३,३०८	१३,८२९
इथोपिया	...	...	—	८,२८२
मिस्र	...	...	२४,५५९	५,८५०
मैडागास्कर	...	...	—	३,००७
नैपाल	...	...	७,२८८	६,७६४
बैंगकोक	...	...	६०	—
पूर्वी अफ्रीका	...	...	६७०	२८०
कुल			१,७२८,५०८	१,७५३,८७३

५—**सरकारी क्षेत्र में कोयले का उत्पादन** :—सन् १९५५ में भारत में कोयले का उत्पादन ३८ मिलियन टन था। प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं और आवश्यक उपभोक्ताओं के कोयला नियन्त्रक (और आयोजना आयोग द्वारा भी अलग से) द्वारा किये गये "मांग सर्वेक्षण" के परिणामस्वरूप, सन् १९६०-६१ तक कोयले की मांग ६० मिलियन टन प्रति वर्ष गणित की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आयोजित २२ मिलियन टन के अतिरिक्त उत्पादन में से १२ मिलियन टन कोयले का उत्पादन सरकारी क्षेत्र और १० मिलियन टन का निजी क्षेत्र के लिए नियत किया गया था।

सरकारी क्षेत्र में यथासंभव उपयुक्त ढंग से उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से कम्पनी विधेयक, सन् १९५६ के अन्तर्गत दिनांक ५-९-५६ को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (निजी) लि० (इसके पश्चात केवल निगम कहा जायेगा) की स्थापना की गई। दिनांक १-१०-५६ से विद्यमान राज्य कोयलाखानों की आस्तियाँ (Assets) और दायित्त्व (Liabilities) निगम को हस्तान्तरित कर दी गई। कम्पनी का संतुलन पत्र (Balance Sheet) तैयार हो रहा है। सन् १९५७ में बोर्ड के संचालकों की छः बैठकें हुई। दिनांक १४-८-५७ से इस्पात, खान व ईंधन के मन्त्री, जो सभापति थे, ने त्यागपत्र दे दिया और खान व ईंधन विभाग के सचिव ने उसी तिथि से वह पद ग्रहण किया। वर्ष में एक—अ—दफ्तरी संचालक, श्री कान्ती मेहता का नाम भी बोर्ड में सम्मिलित किया गया।

पूर्व तीन वर्षों में राज्य कोयला खानों के कार्यकरण से सम्बन्धित लाभ हानि लेखा विवरणी (परिशिष्ट) में दिया गया है।

नए कोयला विधेयक का कार्यकरण :—कोयला युक्त क्षेत्र (अर्जन व विकास) विधेयक, १९५७ (Coal bearing Areas Acquisition and Development Act, 1957) दिनांक १२-६-५७ से लागू हो गया। इस विधेयक के अनुसार निजी पट्टों

और पूर्वेक्षण लाइसैंसों के अधीन कोयला युक्त क्षेत्रों को प्राप्त करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को मिला और निजी क्षेत्र के उत्पादन लक्ष्य से अतिरिक्त पाया, जो पूर्वेक्षण करने के लिए व नई कोयला खानों को स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। कोयला विधेयक के धारा ९ के अन्तर्गत कथारा, गिडि-सौन्दा और बचरा क्षेत्रों और प्रथम दो स्थानों में निगम द्वारा भूमि को अधिकार में लेने के सम्बन्ध में तीन घोषणाएँ की गई।

दिनांक ८ जून, १९५७ को आयोजित की गई सभा में सहकारिणी समिति (जिसके प्रमुख वित्त सचिव, सभापति थे) द्वारा सरकारी क्षेत्र का उत्पादन कार्यक्रम पुनरीक्षित किया गया और ठोस आधार पर ८.०१ मिलियन टन के अतिरिक्त उत्पादन के लिए एक कार्यक्रम अनुमोदित किया गया। उत्पादन के क्षेत्रानुसार अनुमान निम्नलिखित है :—

क्षेत्र	उत्पादन (मिलियन टन में)
१—कोरबा (भूतल प्रवर्तन)	१.००
२—कोरबा नतियाँ (Inclines)	०.६०
३—कथारा	१.००
४—गिडि (करनपुरा)	१.५०
५—सौन्दा (बचरा)	०.६०
६—कोरिया	१.००
७—विद्यमान कोयला खानें	२.३१
कुल	८.०१

निगम नियत किये गये अतिरिक्त उत्पादन (सिगरेनी से १.५ मिलियन टन सहित १२ मिलियन टन) लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अन्य प्रयोजनाओं पर विचार कर रही है।

विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अब तक निगम द्वारा की गई कार्यवाही संक्षिप्त रूप में निम्न है :

कोरबा :—विस्तृत व्यघन (Drilling) किया गया है। कोयले की जतराज मोटी तह पर एक जांच उत्खान (One Pilot Quarry) पहले से ही खोल दी गई है। जो २०,००० से ३०,००० टन प्रति मास प्रदान करने में समर्थ हैं परन्तु अभी यह मात्रा उत्पन्न नहीं की जा रही है, क्योंकि मध्यप्रदेश विद्युत-बोर्ड (Madhya Pradesh Electricity Board) के स्थानीय तापीय स्टेशन (Local Thermal Station) के लिए आवश्यकताएँ अभी निश्चित करनी हैं। घोरदेवा तह में एक जोड़ा नतियाँ (Inclines) खोली गई है और आशा है कि मार्च, १९५८ से ५,००० टन प्रति मास की दर से कोयला प्राप्त होगा। नतियां (Inclines) के दूसरे जोड़े का कार्य भी प्रगति पर है। नतियों (Inclines

के इन दो जोड़ों से सन् १९५८ के अन्त तक १५,००० टन प्रति मास कोयले के उत्पादन की आशा है।

कथारा :—यहाँ पर मुख्य कठिनाई भूमि की रही है। निगम ने कोयला विधेयक की धारा ९ के अन्तर्गत आवश्यक भूमि और अधिकारों आदि के प्राप्त करने के लिए एक अधिसूचना (Notification) निकाल कर भूमि को प्राप्त किया। प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो चुका है और ६ लाख घनफुट क्षेत्र से निरर्थक पदार्थ अब तक हटा दिए गये हैं।

विद्यमान कोयला खानें :—सन् १९५६-५७ में विद्यमान कोयला खानों के कार्यकरण से कुल ३२ लाख रु० का लाभ हुआ। सन् १९५६-५७ में अंत होने वाले पूर्व पाँच वर्षों में विद्यमान कोयला खानों के कोयला उत्पादन आँकड़े परिशिष्ट २ में दिए गए हैं। गिरडिह कोयला खानों से सम्बन्धित आँकड़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यह दो कोयला खानें धीरे-धीरे कम उत्पादन वाली होती जा रही थीं। अब भी कोयला खानों के उत्पादन में हुई कमी मुख्यतः इनके कारण ही हुई हैं परन्तु फिर भी हाल ही में हुआ सुधार ध्यान देने योग्य है।

विद्यमान कोयलाखानों में विकास योजनाएँ और उनसे उत्पादन में हुई अनुमानित वृद्धि निम्नलिखित है :—

१—भुरकुण्डा	.६४	मिलियन	टन
२—कुरासिया	.५५	"	"
३—तालचर	.५६	"	"
४—दियुलबेरा	.०६	"	"
५—सावान्ग	.०७	"	"
	१.९७		

दियुलबेरा और तालचर के अतिरिक्त सभी के प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार हो चुके हैं। दियुलबेरा की स्थिति में वृद्धि अपेक्षातया कम है, तालचर में व्यघन का काम (Drilling operations) अभी भी जारी हैं।

गिडि करनपुरा :—कोयला विधेयक की धारा ९ के अन्तर्गत भूमि और अधिकार प्राप्त करने के लिए एक घोषणा की गई और दिनांक २५ जनवरी, १९५८ से निगम ने भूमि का अधिकार प्राप्त कर लिया। निरर्थक पदार्थों को हटाने के लिए प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो चुका है। उत्खानों (Quarries) की स्थिति पहले से ही निश्चित कर दी गई है, सभी कार्यकरण योजनाएँ तैयार हैं और संयंत्र और उपकरण के पहुँचने की सम्भावना किसी भी समय है। क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में पुल और रेलवे लाइन का निर्माण तो २वर्ष का समय

लेगा परन्तु निगम अन्तरिम अवधि में, कोयले को सड़क द्वारा ले जाने का प्रबन्ध कर रहा है।

कोरिया—यहां पर कोयला निकालने की आयोजित प्रणाली निर्गममार्ग (Adits) तह स्तरों में सुरंगें बनाने की है। दो वर्षों के अन्त में ही सुरंग कार्य में प्रगति होने और पर्याप्त गैलरियां बन जाने के उपरान्त कोयले के पर्याप्त प्रेषणों की आशा की जा सकती है। अभी कुछ समय के लिए समीपस्थ रेलवे स्टेशन तक कोयला पहुंचाने के लिए एक रज्जुमार्ग (Rope Way) निर्माण की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है।

बचरा-सौन्दा—सौन्दा क्षेत्र में कार्य आरम्भ करने की योजनाएं तैयार है और बचरा की योजनाओं को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाएगा। यहां पर रेलवे सुविधाओं से सम्बन्धित कोई विशेष कठिनता नहीं है और आवश्यक उपकरणों के पहुंचने पर उत्पादन आरम्भ हो जाना चाहिए। औन्डा की स्थिति में कोयला विधेयक के धारा ९ के अन्तर्गत एक घोषणा प्रेषित की गई और क्षेत्र का भूमि अधिकार निगम ने दिनांक २८ जनवरी, १९५८ को ले लिया। सौन्दा क्षेत्र से .८ मिलियन टन और बचरा क्षेत्र से .३ मिलियन टन उत्पादन की आशा है।

बिस्रामपुर—बिस्रामपुर कोयला क्षेत्र से कम से कम १ मिलियन टन की आशा की गई थी इस क्षेत्र का विकास आयोजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है, चूंकि सन् १९६०-६१ से आवश्यक रेलवे लाइन उपलब्ध नहीं हो सकती, इस प्रयोजना से वर्तमान योजना की अवधि में सम्भवतः उत्पादन प्राप्त न हो।

भोरकण्डा सोनहत क्षेत्र के समीप और पिण्डरकोम (करनपुरा) में भी अतिरिक्त कोयले की प्राप्ति के लिए निगम खोज कार्य कर रहा है।

कारगाली धावनशाला (Washery)—रुरकेला और मिलाई के नए इस्पात संयन्त्रों के लिए धोए हुए धातुयुक्त कोयले की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कारगाली/बोकारो कोयला क्षेत्र में एक सरकार के स्वाभित्व में एक कोयला धावनशाला (Coal Washery) का निर्माण लगभग पूर्ण होने को है। यह धावनशाला कारगाली और बोकारो में स्थिति कोयला खानों से उपलब्ध २.२ मिलियन टन कच्चा कोयला प्रति वर्ष धोएगी परिणामस्वरूप प्राप्त साफ कोयले में से १.६ मिलियन टन रुरकेला इस्पात संयन्त्र और ०.५ मिलियन टन मिलाई इस्पात संयन्त्र को प्रदान किया जायगा।

सन् १९५६-५७ के प्रतिवेदन के अनुसार धावनशाला के लिए मुख्य संयन्त्र ले जाने और उपकरण का ठेका मार्च, १९५६ को प्रदाय और निपटान महा संचालक (Dir. Gen. Supply and Disposals) ने मैसर्स ईस्टरन इक्वीपमैंट व सेलैस्ट लि० (जापानी उपकरण) को दिया। ठेके का मूल्य १,७२,३८,३२० रु० था। इस ठेके के अतिरिक्त व्यर्थ के कुल सहायक पद जैसे कि निवास भवनों, सड़कों, नालों का निर्माण पानी की सप्लाई, और स्वच्छ पात्रों का प्रतिष्ठापन, कार्यों कर्षों (Haulages) उलटपाने वाली पेटिकाओं (Tippers) आदि का प्रबन्ध करना आदि थे। प्रायोजना को समय पर सर्वांगीन रूप से पूर्ण करने के

लिए (जिससे सन् १९५८ में इस्पात संयन्त्रों को धोया हुआ कोयला प्रदान करना आरम्भ कर सके), निगम ने भी इन कार्यों को हाथ में लिया, जिनका अनुमानित मूल्य ६५,६२,३१३ रु० है, जिसको सम्मिलित कर लेने से सम्पूर्ण प्रायोजना का कुल मूल्य २,३८,००,६३३ रु० हो जाता है।

मार्च, १९५८ के अन्त तक धावनशाला कार्य करना आरम्भ कर देगी, ऐसी आशा की जाती है।

कर्मचारी वृन्द का प्रशिक्षण—निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक बड़ी संख्या में खनन इन्जीनियरों और अधीनस्थ तकनीकी कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता होगी। यह समस्या खानों के धनबाद स्कूल (Dhanbad School of Mines) में अधिक व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए स्थान देने और इन्जीनियरिंग कालिजों में खनन श्रेणियों के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करने से हल हो सकती है। जहां तक अवर कर्मचारियों का सम्बन्ध है, निगम ने पहले से ही प्रत्येक कारगाली, कुरासिया, गिरडिह, और तालचर चार प्रशिक्षण स्कूल खोले हुए हैं इन स्कूलों को चले एक वर्ष हो चुका है और प्राप्त किए गए अनुभव के प्रकाश में अग्रेतर सुविधाएं देने और विद्यमान कोयलाखानों में प्रशिक्षण लेने वालों की संख्या में वृद्धि करने के लिए भी पुनार्वतित प्रस्तावों पर अभी भी विचार किया जा रहा है।

सिविल इन्जीनियरिंग कार्य—कोरबा में खनिकों के १२० क्वार्टर पहले ही से निर्मित किये जा चुके हैं। कोरबा में अन्य भवनों जैसे, कि कर्मचारी वर्ग के क्वार्टर, कार्यालय, कारखाना, संग्रहागारों और उप-स्टेशन आदि, का निर्माण कार्य कुछ समय पूर्व आरम्भ किया गया था और कार्य में सन्तोषजनक प्रगति हुई है। खनिकों के लिए और १८० क्वार्टर बनाने का कार्य कथारा और करनपुरा क्षेत्रों में भी उपक्रमित किया गया है। अप्रैल, १९५८ तक १२० ऐसे क्वार्टरों को तैयार करने का ठेका दे दिया गया है। कथारा और भुरकुण्डा में कार्यालय, कारखाना जैसे सेवाभवनों का निर्माण भी उपक्रमित किया है।

विद्युत प्रदाय का प्रबन्ध :—दिसम्बर, १९५५ में कोयला खान अधिकारियों जिनके द्वारा शक्ति प्रदान की जाती थी, और बिहार सरकार के विद्युत विभाग के अधिकारियों, जिससे बिहार सरकार ने शक्ति खरीदनी थी, की एक बैठक में कोयला खानों के कारगाली समूह और कारगाली में स्थित कोयला धावनशाला (Washery) के लिए शक्ति प्रदान करने का प्रबन्ध-कार्य आरम्भ किया गया था। तब से सम्बन्धित अधिकारियों में सभायें और पत्र-व्यवहार होता रहा और कार्यक्रम के अनुसार कुछ शक्ति प्रदान की जा चुकी है। कारगाली धावनशाला, जिसका कार्य आगामी कुछ महीनों में आरम्भ होना है, को शक्ति प्रदान करने में कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं। करनपुरा क्षेत्र में भी विद्यमान और नई कोयला खानों के विकास के लिए दामोदर घाटी निगम से शक्ति प्राप्त करने के लिए भी ऐसा ही प्रबन्ध किया गया था शक्ति की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की सूचना बिहार सरकार और दामोदर घाटी निगम को दे दी गई। तालचर

और दियुलबेरा के नए कोयला क्षेत्रों की शक्ति आवश्यकतायें, जो अब कोयला खान शक्ति घर से प्रदत्त की जा रही हैं, शीघ्र ही हीराकुड से प्रदान होंगी जिसके परिणाम-स्वरूप व्यय में पर्याप्त मितव्ययता होगी।

विदेशी प्रशिक्षण—तकनीकी अमले के कम होने के कारण, उतनी बड़ी संख्या में व्यक्तियों को भेजना संभव न हो सका जितना कि मूलतः आयोजित किया गया था। इसलिए हमें कुछ ही तकनीकी आदमियों को बैल्जियम, पश्चिमी जर्मनी और रूस को भेज कर ही सन्तोष करना पड़ा। पहले भारत में फिर विदेश में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी अमले को नियुक्त करने के लिए अधिक विस्तृत योजना तयार की गई है।

व्यधन—(Drilling) नई कोयला प्रयोजनाओं के क्षेत्रों में भूतास्विक समीक्षा विभाग और भारतीय खान विभाग द्वारा पर्याप्त व्यधन किया जा चुका है। अनुभव के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि तृतीय आयोजना की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कोयला निगम यदि अपनी स्वतन्त्र व्यधन संस्था स्थापित करे तो अपेक्षतया अच्छा होगा।

नई रेलवे लाइनें—नए कोयला प्रयोजना क्षेत्रों से कोयला परिवहन करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित रेल पथों के निर्माण के लिए रेलवे बोर्ड और पूर्वी और दक्षिणी पश्चिम रेलों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठकें हुई :—

(क) लगभग ५० मील का लम्बा एक रेल पथ (बिजीरी से करेन जी) बिस्रामपुर क्षेत्र।

(ख) चम्पा—कोरबा शाखा रेल पथ विस्तार-कोरबा में हसदिओ नदी पर एक पुल।

(ग) गिडि क्षेत्र —पत्रातु दामोदर शाखा रेल पथ बिस्तार—दामोदर पर पुल।

(घ) **कोरिया कोयला क्षेत्र**—बिजीरी-कैरनजी के मुख्य रेल-पथ से कम से कम १६ मील की लम्बाई का एक शाखा रेल-पथ।

(क) (ख) और (ग) से ठोस आधार पर आयोजना आयोग और रेलवे बोर्ड सहमत हैं, और कार्य हो रहा है।

एक सम्पर्क अधिकारी, जो कोई निवृत (Retired) रेलवे महा प्रबन्धक था, रेलवे बोर्ड के साथ इस कार्य में सहकारिता देनें और शीघ्र कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया।

विदेशी विनिमय और मशीनों का आयात—योजना में कोयला उत्पादन का महत्व-पूर्ण स्थान है और मशीनों और उपकरण के आयात के लिए विदेशी विनिमय का प्रबन्ध सन्तोषजनक आधार पर किया गया है। प्रथम बार सन् १९५५ में डेढ़ करोड़ रु० की मशीनें व उपकरण प्रदान करने के लिए निगम ने आदेश दिए। व्यावहारितः सारी सामग्री

और मशीनें प्राप्त हुई और विभिन्न कोयला क्षेत्रों में वितरित की गई। इसके पश्चात जुलाई १९५७ में ३॥ करोड़ रुपये से अधिक के कुल मूल्य की सामग्री प्राप्त करने का आदेश दिया गया। पांच वर्षों की अवधि से अधिक समय में इस राशि को अदा करने की अनुमति प्राप्त करना संभव हो सका है। अक्तूबर १९५७ में तीसरी बार लगभग ६ लाख रु० की राशि के आदेश दिए गए। अग्रेतर २॥ करोड़ की मशीनरी और सामग्री क्रय करने के लिए निगम ने निविदा (टेन्डर) लेने आरम्भ कर दिए हैं।

कोयला निगम अमला—निगम की स्थापना के पश्चात संगठन ढांचे में परिवर्तन और परिवर्धन करना आवश्यक था। द्वितीय योजना अवधि में खुलने वाले नए कोयला क्षेत्रों में कार्य की अधिकता होने के साथ ही साथ प्रधान कार्यालय और क्षेत्र दोनों स्थान पर कर्मचारियों की नियुक्ति होती रही है। प्रधान कार्यालय पर जहां कि केवल, दो मुख्य खनन इन्जीनियर थे, वहां अब तीन हैं एक संयुक्त मुख्य खान इन्जीनियर भी है जो प्रबंधक संचालक (Managing Director) के अधिकार में चालु कोरबा कोयला खानों के कार्यभारी हैं। एक सिविल इन्जीनियरिंग अनुभाग स्थापित किया जा चुका है और सभी सिविल इन्जी-नियरिंग निर्माण कार्य इसे सौंपे जा रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसे कार्य ८ से १० करोड़ रु० के मूल्य के हाने की आशा है। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत एक खनन परामर्शक (Mining Adviser) कोयला विकास से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर परामर्श दे रहा है। एक वैद्युतिक और यान्त्रिक इन्जीनियरी अनुभाग (Electrical and Mecahnical Engineering Section) बनाया जा रहा है। भारी भूसक्षोभन उपकरण (Earth Moving Equipment) की प्राप्ति के पश्चात मुख्य इंजीनियर (उत्खनन) (Chief Enginneer Excavation) भी नियुक्त किया गया। सामग्री की प्राप्ति, देखभाल और प्रेषण के लिए एक पृथक अनुभाग का प्रबन्ध करने के लिए सामग्री नियन्त्रक (Controller of Stores) की भी नियुक्ति की गई। विभिन्न शाखाओं में कार्य करने के लिए भी कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं। नई प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में लगभग १२० प्रवर तकनीकी पदों की (Senior Technical Posts) अब तक सृष्टि की जा चुकी है।

रूसी वार्ता—नवम्बर, १९५७ की मुख्य भारत—रूसी ५०० मिलियन रूबल उधार-सहमति के अनुसरण में दिल्ली में दिनांक १४-१२-५७ को कोयला निगम द्वारा मैसर्स टैक्नो-ऐक्सपोर्ट, मास्को के साथ ४ गौण ठेके निष्पादन किए गए। यह कोरबा कोयला क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित थे और निम्नलिखित हैं।

(क) दो कोयला खानें

(ख) एक भूतल खान (Open Cast Mine).

(ग) कोयला धावन व साधन संयन्त्र।
(Coal Washing and Dressing Plant).

(घ) मरम्मत के लिए केन्द्रीय कारखाना।
(Central Workshop)

इन ठेकों के सम्बन्ध में भारत में रूसी विशेषज्ञों के एक समुदाय के शीघ्र ही पहुंचने की आशा है। विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदनों की तैयारी में भाग लेने के लिए अफसरों के एक समुदाय को रूस भेजने का प्रबन्ध किया गया है।

६—निजी क्षेत्र में उत्पादन :—द्वितीय प्रायोजना की अवधि में २२ मिलियन टन के अतिरिक्त उत्पादन में से १० मिलियन टन कोयला उत्पादन का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपा गया है। यह उत्पादन रानीगंज, झरिया, केन्द्रीय भारत और करनपुरा कोयला क्षेत्रों से प्राप्त करना है। उपयुक्त लक्ष्य प्राप्ति के अतिरिक्त केन्द्रीय भारत के कोयला क्षेत्रों से अतिरिक्त १.४ मिलियन टन पैदा करने का निश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्पादन के लिए परिवहन की आयोजना के प्रश्न पर रेलवे मन्त्रालय के परामर्श में विचार किया जा रहा है।

निजी क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन विद्यमान खानों और उनसे अत्यन्त सन्निकट क्षेत्रों से प्राप्त करना है। निजी कोयला खानों द्वारा ऐसे क्षेत्रों के कार्यकरण के लिए उपस्थापित की गईं। योग्य योजनायें सरकार द्वारा अनुमोदित की गई हैं। उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों जैसे कि कच्चा लोहा, इस्पात और सीमेंट और खनन उपकरण, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं परन्तु खानों के चलाने के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं, के प्राप्त करने के लिए आवश्यक विदेशी विनिमय की प्राप्ति के लिए भी कार्यवाही की गई है।

पर्याप्त परिवहन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की ओर सरकार का ध्यान निरन्तर जा रहा है। बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से अतिरिक्त उत्पादन परिवहन के लिए आवश्यक आवश्यकताओं की परीक्षा करने के लिए रेलवे मन्त्रालय द्वारा नियुक्त की गई समिति ने रानीगंज क्षेत्र के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन उपस्थापित कर दिया है। अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन के शीघ्र ही उपस्थापित होने की आशा है।

उत्पादन योजनाओं द्वारा निजी क्षेत्र में की गई वृद्धि समय समय पर पुनरीक्षित की जा रही है। सन् १९५७ में इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ कर ४० मिलियन टन हो गया जबकि सन् १९५५ और १९५६ में क्रमशः ३५ और ३६ मिलियन टन था। योजना के क्रमिक वर्षों में वृद्धि की गति संग्रहित किए जाने की आशा है। द्वितीय योजना की अवधि में यह उद्योग इसके लिए अतिरिक्त उत्पादन के निश्चित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा करता है।

७—कोयला बोर्ड—वर्ष में कोयला बोर्ड संरक्षण और सुरक्षा के लिये कोयला खानों को, क्षेप्य भरण कार्य करने के लिये, सहायता देता रहा है। क्षेप्य भरण संयंत्रों (Stowing Plants) के प्रतिष्ठापन के लिये कई एक कोयला खानों को कर्ज़ा भी दिया गया। कोयला बोर्ड, संरक्षण और सुरक्षा की ओर उचित ध्यान देते हुए कोयला के आयोजित उत्पादन निश्चित करने के उद्देश्य से कोयला खानों के खोलने और बन्द करने, विद्यमान खानों में तहों के पुनः खोलने, और विकसित क्षेत्रों से निखनन से सम्बन्धित मामलों की जांच भी करता रहा है। बोर्ड ने तहों की उचित अवला बदली करके कार्य करने पर भी बल दिया। कोयला तहों (Coal Seams) की श्रेणियों को निश्चित करने की शक्तियों को प्रयोग करते हुए

कोयला बोर्ड ने कोयला प्रेषणों की किस्म की परीक्षा के अतिरिक्त केवल विशेष चुने हुए क्षेत्रों के खनन की ओर ध्यान देने को निरुत्साहित करने के लिए भी कार्यवाही की। कोयला बोर्ड ने तहों के विशिष्ठ भागों के खनन की प्रवृति को रोकने के लिए निश्चय किया है कि, कोयला तहें, तह की पूर्ण या अधिकतम खनन योग्य मोटाई तक वर्गित की जाय।

८—धात्विक कोयले के उत्पादन की लक्ष्य निर्दिष्टि—प्रत्येक कोयला खान के लिए उत्पादन की सीमा निश्चित करके धात्विक कोयले के लक्ष्य निर्दिष्ट की योजना जो सन् १९५२ में उपक्रमित की गई थी, इस वर्ष में जारी रही। निम्नलिखित स्तरों पर धात्विक कोयले (चयनित श्रेणियां—श्रेणी १ और २) का उत्पादन लक्ष्य निर्दिष्ट किया गया है।

उत्पादन के निर्दिष्ट स्तर

वर्ष	चयनित श्रेणियां (मिलियन टन)	श्रेणी १ व २ मिलियन टन	कुल (मिलियन टन)	वास्तविक उत्पादन (मिलियन टन)
१९५२	७·९	...	... १३·८	१३·७
१९५३	७·४ १९५२ उत्पादन स्तर	६·४	१३·८	१३·६
१९५४	७·४	"		
१९५५	७·३२	श्रेणी १ ३·९५ श्रेणी २ ३·०५	१४·३२	१३·४
१९५६	७·७०	श्रेणी १ ४·२० श्रेणी २ ३·१०	१५·०	१३·८
१९५७	८·००	श्रेणी १ ५·०० श्रेणी २ ३·७०	१६·७	१४·६ (अन्तर्कालीन आंकड़े)

सन् १९५४ से, धात्विक कोयले के उत्पादन की सर्वाधिक सीमा में निरन्तर प्रति वर्ष वृद्धि की जा रही है। जिससे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सन् १९६०-६१ में वास्तविक उत्पादन उस समय की अनुमानित आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकेगा।

९—केन्द्रीय रेत क्षेप्यभरण योजनाएं (Central Sand Stowing Schemes)—विद्यमान खानों से झरिया क्षेत्र से कोकिंग कोयले और रानीगंज क्षेत्र से अच्छी किस्म के अ-कोकिंग कोयले के उत्पादन में कुछ सीमा तक वृद्धि भले ही संभव हो सके परन्तु इन क्षेत्रों की कोयलाखानों 'के' लिए निरन्तर उत्पादन तब तक देना संभव नहीं जब तक झरिया, जामबाद, कैजौरा और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्षेप्यभरण कार्य आरम्भ न किया जाय। इस लिए इन क्षेत्रों में क्षेप्यभरण कार्य का महत्व पर्याप्त बढ़ गया है झरिया कोयला क्षेत्र में इस समय नए विकास की अपेक्षा बड़े पैमाने पर क्षेप्यभरण कार्य अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षेप्यभरण कार्य होजाने पर ही स्तम्भों पर खड़ी हुई मोटी तहें

खनिज की जा सकती हैं। वैयक्तिक कोयला खानों के प्रयत्नों द्वारा क्षेप्यभरण कार्य की प्रगति अब तक धीमी रही है। इसलिए कोयला बोर्ड ने रानीगंज क्षेत्र में जामवाद कंजोरा क्षेत्र और झरिया क्षेत्र के लिए केन्द्रीय क्षेप्यभरण योजनाएं (Central Stowing Plans) तैयार करने के लिए दो समितियां, जिनमें खनन इन्जीनियर भी हैं, नियुक्त की। यह समितियां इन क्षेत्रों में कोयलाखानों में क्षेप्यभरण के लिए रेत की आवश्यकताओं की परीक्षा करेंगी और प्रत्येक कोयलाखान या कोयला खानों के समूहों के लिए प्राथमिकता के क्रम से क्षेप्यभरण योजनाओं की तैयारी करेंगी, रज्जुमार्गों की ढोने की सामर्थ्य बताएगी और इन क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय रज्जुमार्ग योजनाओं के लिए योजनाएं भी तैयार करेंगी।

१०—**भारत में कोयला परिषद**—भारत सरकार के दिनांक २८ अगस्त, १९५६ के प्रस्ताव के अनुसार बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। अधिक अधिकार देने का उद्देश्य यह था कि परिषद् देश के संसाधनों के विकास, प्रयोग व संरक्षण की आयोजना के लिए अपने परीक्षण और निर्देश में समीक्षाएं तैयार करा सके और अध्ययन करवा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिषद ने निम्नलिखित चार समितियों की स्थापना की है:—

१) संसाधन निर्धारण पर समिति

२) आवश्यकताओं और उपयोग पर एक समिति

३) उत्पादन और तैयारी पर एक समिति

४) परिवहन पर एक समिति

वर्ष में इन सभी सनतियों ने उन्हें सौंपी गई सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन किया और प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपस्थापित किए। दिनांक २७, दिसम्बर, १९५७ पर परिषद की दूसरी बैठक में प्रतिवेदनों पर विचार किया गया। परिषद ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोयला उत्पादन में हुई वृद्धि भी पुनरीक्षित की और तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में कोयले के उत्पादन के लक्ष्यों को निश्चित करने के आरम्भिक प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया। कोयला परिषद द्वारा दिये गए सुझावों की मन्त्रालय परीक्षा कर रहा है।

११—**कोयले की दरें**—सन् १९५६ में अखिल भारत औद्योगिक अदालत (कोयला झगड़े) (All India Industrial Tribunal) (Coal Disputes) द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध कुछ श्रम संस्थाओं और वैयक्तिक रूप में मालिकों द्वारा अपीलें भेजी गई। इन अपीलों पर श्रम अपीलीय अदालत (Labour Appelate Tribunal) द्वारा विचार किया गया जिसने मूल निर्णय जो दिनांक २६-५-१९५६ को दिया गया था, के भूतलक्षी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निबन्धनों में विभिन्न स्थानों पर संशोधन किया निर्णय के लागू करने में पड़ती हुई अतिरिक्त कीमत को पूर्ण करने के लिए सभी क्षेत्रों (आसाम को छोड़ कर) से प्राप्त कोयले और कठिन कोक की दरें क्रमशः १-८-० रु० और

२-८-० रु० प्रति टन बढ़ा दी गई १-८-०। रु० प्रति टन की वृद्धि में भूतलक्षी कीमत को छादन करने के ६ आने का तत्व विभाजन है।

आसाम में आसाम रेलवे व ट्रेडिंग क० लि० द्वारा उनकी खानों से उत्पादित कठिन कोक और कोयलें की दरों में क्रमशः २-८-० आ० और ३.३३ रु० प्रति टन दिनांक ३१-१०-१९५७ से वृद्धि की गई।

भारत सरकार ने दिनांक ३ मई, १९५७ को कोयले और कोक के मूल्य ढांचों का अध्ययन करने और परामर्श देने के लिए एक समिति की स्थापना की, जिसे कोयला मूल्य पुनरावर्तन समिति (Coal Price Revision Committee) कहा जाता है। इस समिति में सम्बन्धित मन्त्रालयों के प्रतिनिधि हैं। इस समिति के निर्देश निम्बन्धन निम्नलिखित थे :—

१) देश में कोयले। कोक के उत्पादन के मूल्य की परीक्षा करना और उसकी सूचना देना। ऐसा करते समय विभिन्न निर्णयों और अन्य सम्बन्धित कारकों को जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना में आयोजित कोयला उत्पादन के कार्यक्रम से सम्बन्ध रखते हुए, विचार में रखा जाय।

२) इन जांचों के आधार पर सिफारिश करें कि कोयले और कोक के मूल्य ढांचे में क्या आवश्यक परिवर्तन होने चाहिए—होने भी चाहिये या नहीं और।

३) समिति द्वारा सुझाए गए मूल्य परिवर्तनों का देश की, सामान्यतः उद्योग की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर विचार करें और सूचित करें।

समिति को विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कोयले की विभिन्न श्रेणियों के उत्पादन के मूल्य से सम्बन्धित आधारिक न्यास प्राप्त कराने के उद्देश्य से, सरकार के लागत लेखा अधिकारी (Cost Accounts Officers) सम्पूर्ण देश में चयनित कोयलाखानों में कोयले की उत्पादन की लागत की जांच कर रहे हैं। लागत सम्बन्धी जांचे पूर्ण होने को हैं और समिति आशा करती है कि थोड़े ही समय में अपना प्रतिवेदन उपस्थापित कर सकेगी।

अध्याय ४

लिगनाइट

भूमिका—नेवेली लिगनाइट प्रयोजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष ३½ मिलियन टन लिगनाइट का खनन, २५०,००० किलोवाट विद्युत जनन के लिए इसका परिष्करण और प्रयोग प्रतिवर्ष ७०,००० टन के निश्चित नाइट्रोजन अंशयुक्त यूरिया के रूप में नाइट्रोजीनीय उर्वरकों का उत्पादन और घरेलू और अन्य कार्यों के प्रयोग के लिए प्रतिवर्ष ३,८०,००० टन कार्बन युक्त लिगनाइट की छोटी ईंटें बनाने और कई एक उपसृष्टों को पैदा करने के लिए शेष उत्पादन का कार्बनीकरण और उससे छोटी ईंटें बनाना, हैं। दिनांक ६ दिसम्बर, १९५६ से नेवेली लिगनाइट निगम (निजी) लि० ने प्रयोजना के कार्यों को हाथ में लिया।

२—खनन योजना—भारतीय सरकार ने योजना के खनन भाग के लिए १६.९० करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की। क्षेत्रीय मशीनरी केन्द्र और मरम्मत कारखाने में प्रबन्ध करने में विशेष ध्यान दिया गया था। एक दो छोटे कार्यों को छोड़कर इनका निर्माण और उपकरण मई, १९५७ को समाप्त हुआ। खनन योजना के प्रारम्भिक प्रक्रम के लिए आवश्यक कर्मचारी समय पर ही नियुक्त किये गये और क्षेत्र में ही प्रशिक्षित किये गये।

दिनांक १० मई, १९५७ से ३½ साल की अवधि की खनन योजना के लिए मैसर्स पावल डफरिन टैकनीकल सर्विसस, परामर्शी इन्जीनियरों के रूप में नियुक्त किए गए। दिनांक २०-५-१९५७ को प्रधान मन्त्री द्वारा भूसंक्षोभन (Earth moving) प्रवर्तन उद्घाटित किये गये थे। सन् १९६० के मध्य तक इस कार्य के अन्तर्गत २७,०००,००० घन गजों से निरर्थक पदार्थ को हटाना है जिसके पश्चात ही लिगनाईट का मिलना सम्भव होगा। भूसंक्षोभन मशीनरी के द्वारा दो शिफ्टों में कार्य करने का विचार था, जिसके परिणाम स्वरूप मशीनरी से प्रति दिन दस घंटे कार्य लिया जा सकता था। इस आधार पर सन् १९५७-५८ के लिए निरर्थक पदार्थों को हटाने के लिए ४,०००,००० घन गजों का लक्ष्य निश्चित किया गया था। मशीनरी के अधिकतम चालक जो पूर्ण होने वाली अन्य प्रायोजनाओं से चुने गए थे, समय पर न आ सके और खनन क्षेत्र में विद्युत का विस्तार करने के लिए आवश्यक ट्यूबलैक्स स्तम्भ (Tublax Poles) जैसे वैद्युतिक पदार्थों के आयात के लिए विदेशी विनिमय प्राप्त करने में भी कुछ कठिनाई उपस्थित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सितम्बर १९५७ के मध्य से ही दूसरी शिफ्ट नियमित रूप में आरम्भ की जा सकी। इसके अतिरिक्त मौनसून के कारण दो वैद्युतिक फावड़े (Shovels) के कार्यकरण में भी देरी हो गई थी और बहुतसा समय नष्ट हो गया। जिसके कारण लक्ष्य को कम कर ३ मिलियन घन गज निश्चित करना पड़ा। जिसमें से जनवरी १९५८ के अन्त तक २.१७७ मिलियन घन गजों से निरर्थक पदार्थ हटा दिये गये हैं। विशेष खनन मशीनरी के सम्बन्ध में प्रदायकों ने उनके कारखानों में चार महीनों के लिए हड़तालें होने के कारण उपकरण के भेजने में देरी

सूचित की। क्षेत्र में मशीनरी के कुछ एक पद प्राप्त हो चुके हैं जो जर्मनी से उनके लगान के विशेषज्ञों के पहुँचने पर ही लगाये जायेंगे। सन १९५८-५९ के लिए लक्ष्य ५ मिलियन घन गजों से निरर्थक पदार्थ हटाना निश्चित किया गया है। लिगनाइट तल के नीचे आर्टिसियन जल वेग को कम करने के लिए लगाए गए नलकूपों के लिए ठीक प्रकार की अच्छी जाली और व्यधन का उत्तम ढंग का निश्चय करने के लिए खान-काट के पास, १०० फुट की दूरी पर स्थित और वर्तुल ढंग में व्यधित कुओं पर पम्पन प्रयोग प्रगति पर है। पश्चिमी जर्मन सरकार के कार्यालयों द्वारा निगम को तीन महीन के लिए प्रयोजना कर्मचारियों को व्यधन की आधुनिकतम प्रणालियों में शिक्षा देन के लिए जर्मन व्यधन विशेषज्ञों की सेवायें निशुल्क प्राप्त कीं। यह दो व्यधन विशेषज्ञ दिसम्बर १९५७ के प्रथम सप्ताह में नैवेली पहुंचे और उन्होंने कार्य आरम्भ कर दिया है।

३—शक्ति जनन के लिये योजना—केन्द्रीय जल और शक्ति आयोग (Central W. & P.C) के आयोजना अनुभाग, जो तापीय शक्ति संयन्त्र (Thermal Power Plant) का डिजाइन बनाने में व्यस्त था, ने शक्ति केन्द्र और संयन्त्रों के लिए आवश्यक सभी रेखाचित्र और हिसाब तैयार कर लिए थे। शक्ति संयन्त्रों के विस्तृत विशिष्ठताओं सहित एक प्रायोजना प्रतिवेदन भी तैयार कर लिया गया था। दिनांक ९-११-१९५७ को की गई भारतीय-रूसी सहमति के अन्तर्गत, रूस द्वारा प्रदत्त ५०० मिलियन रुबलों के उधार में से तापीय शक्ति केन्द्र (Thermal Power Station) योजना में धन लगाना निश्चित किया गया है। दिनांक १४ दिसम्बर, १९५७ को मैसर्स टैक्नोऐक्सपोर्ट, मास्को के साथ लिगनाइट निगम द्वारा एक गौण अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया जिसके निबन्धनों व शर्तों के अनुसार रूसी विशेषज्ञ नेवेली में तापीय संयन्त्र के निर्माण के लिए अन्य विवरणों के अतिरिक्त क्षेत्र देखने और अन्य प्रारम्भिक न्यास एकत्रित करने के लिए नेवेली में दिसम्बर, १९५७ में गए, रूसी विशेषज्ञ केन्द्रीय जल और शक्ति आयोग(C.W. & P.C.)द्वारा पहले से ही तैयार की गई विशिष्ठताओं का प्रयोग करते हुए भारतीय विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर, रूस में विद्यमान उपकरणों के मानदण्डों और विशेषताओं और नमूने बनाने की तकनीकी अवस्थाओं और भारत की स्थानीय अवस्थाओं और नियमों को दृष्टि में रखते हुए एक विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करेंगे जो उपकरण प्राप्त करने के लिए आदेश देने में सहायता देगा। यह प्रतिवेदन रूसी प्राधिकारियों द्वारा सितम्बर, १९५७ तक उप स्थापित किया जायगा।

४—उर्वरक उत्पादन के लिए योजना—ऐसा निश्चित किया गया है कि नेवेली में होनी उत्पादित की जाने वाले नाइट्रोजिनीय उर्वरकों की सम्पूर्ण मात्रा यूरिया के रूप में होनी चाहिए। ७०,००० टन के निश्चित नाइट्रोजन अंश से युक्त प्रति वर्ष १,५२,००० टन यूरिया बनाने के लिए एक विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन, एक विशिष्ट अनुभाग द्वारा तैयार किया गया है। तदनुसार विदेशी विनिमय आवश्यकताओं की योजना के लिए पर्याप्त उधार सुविधाओं के उपलब्ध होने पर नेवेली में एक उर्वरक संयन्त्र की स्थापना करना स्वीकृत किया है।

उर्वरक कारखाने में चार्जमैन, चालक आदि को पदों पर कार्य करने के लिए सिन्धरी

अध्याय ४

लिगनाइट

भूमिका—नेवेली लिगनाइट प्रयोजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष ३½ मिलियन टन लिगनाइट का खनन, २५०,००० किलोवाट विद्युत जनन के लिए इसका परिष्करण और प्रयोग प्रतिवर्ष ७०,००० टन के निश्चित नाइट्रोजन अंशयुक्त यूरिया के रूप में नाइट्रोजीनीय उर्वरकों का उत्पादन और घरेलू और अन्य कार्यों के प्रयोग के लिए प्रतिवर्ष ३,८०,००० टन कार्वन युक्त लिगनाइट की छोटी ईंटें वनाने और कई एक उपसृष्टों को पैदा करने के लिए शेष उत्पादन का कार्वनीकरण और उससे छोटी ईंटें बनाना, हैं। दिनांक ६ दिसम्बर, १९५६ से नेवेली लिगनाइट निगम (निजी) लि० ने प्रयोजना के कार्यों को हाथ में लिया।

२—खनन योजना—भारतीय सरकार ने योजना के खनन भाग के लिए १६.९० करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की। क्षेत्रीय मशीनरी केन्द्र और मरम्मत कारखाने में प्रबन्ध करने में विशेष ध्यान दिया गया था। एक दो छोटे कार्यों को छोड़कर इनका निर्माण और उपकरण मई, १९५७ को समाप्त हुआ। खनन योजना के प्रारम्भिक प्रक्रम के लिए आवश्यक कर्मचारी समय पर ही नियुक्त किये गये और क्षेत्र में ही प्रशिक्षित किये गये।

दिनांक १० मई, १९५७ से ३½ साल की अवधि की खनन योजना के लिए मैसर्स पावल डफरिन टैकनीकल सर्विसस, परामर्शी इन्जीनियरों के रूप में नियुक्त किए गए। दिनांक २०-५-१९५७ को प्रधान मन्त्री द्वारा भूसंक्षोभन (Earth moving) प्रवर्तन उद्घाटित किये गये थे। सन् १९६० के मध्य तक इस कार्य के अन्तर्गत २७,०००,००० घन गजों से निरर्थक पदार्थ को हटाना है जिसके पश्चात ही लिगनाईट का मिलना सम्भव होगा। भूसंक्षोभन मशीनरी के द्वारा दो शिफ्टों में कार्य करने का विचार था, जिसके परिणाम स्वरूप मशीनरी से प्रति दिन दस घंटे कार्य लिया जा सकता था। इस आधार पर सन् १९५७-५८ के लिए निरर्थक पदार्थों को हटाने के लिए ४,०००,००० घन गजों का लक्ष्य निश्चित किया गया था। मशीनरी के अधिकतम चालक जो पूर्ण होने वाली अन्य प्रायोजनाओं से चुने गए थे, समय पर न आ सके और खनन क्षेत्र में विद्युत का विस्तार करने के लिए आवश्यक ट्यूबलैक्स स्तम्भ (Tublax Poles) जैसे वैद्युतिक पदार्थों के आयात के लिए विदेशी विनिमय प्राप्त करने में भी कुछ कठिनाई उपस्थित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सितम्बर १९५७ के मध्य से ही दूसरी शिफ्ट नियमित रूप में आरम्भ की जा सकी। इसके अतिरिक्त मौनसून के कारण दो वैद्युतिक फावड़े (Shovels) के कार्यकरण में भी देरी हो गई थी और बहुतसा समय नष्ट हो गया। जिसके कारण लक्ष्य को कम कर ३ मिलियन घन गज निश्चित करना पड़ा। जिसमें से जनवरी १९५८ के अन्त तक २.१७७ मिलियन घन गजों से निरर्थक पदार्थ हटा दिये गये हैं। विशेष खनन मशीनरी के सम्बन्ध में प्रदायकों ने उनके कारखानों में चार महीनों के लिए हड़तालें होने के कारण उपकरण के भेजने में देरी

सूचित की। क्षेत्र में मशीनरी के कुछ एक पद प्राप्त हो चुके हैं जो जर्मनी से उनके लगान के विशेषज्ञों के पहुँचने पर ही लगाये जायेंगे। सन १९५८-५९ के लिए लक्ष्य ५ मिलियन घन गजों से निरर्थक पदार्थ हटाना निश्चित किया गया है। लिगनाइट तल के नीचे आर्टिसियन जल वेग को कम करने के लिए लगाए गए नलकूपों के लिए ठीक प्रकार की अच्छी जाली और व्यघन का उत्तम ढंग का निश्चय करने के लिए खान-काट के पास, १०० फुट की दूरी पर स्थित और वर्तुल ढंग में व्यधित कूओं पर पम्पन प्रयोग प्रगति पर है। पश्चिमी जर्मन सरकार के कार्यालयों द्वारा निगम को तीन महीन के लिए प्रयोजना कर्मचारियों को व्यघन की आधुनिकतम प्रणालियों में शिक्षा देन के लिए जर्मन व्यधन विशेषज्ञों की सेवायें निशुल्क प्राप्त कीं। यह दो व्यधन विशेषज्ञ दिसम्बर १९५७ के प्रथम सप्ताह में नैवेली पहुंचे और उन्होंने कार्य आरम्भ कर दिया है।

३—शक्ति जनन के लिये योजना—केन्द्रीय जल और शक्ति आयोग (Central W. & P.C) के आयोजना अनुभाग, जो तापीय शक्ति संयन्त्र (Thermal Power Plant) का डिजाइन बनाने में व्यस्त था, ने शक्ति केन्द्र और संयन्त्रों के लिए आवश्यक सभी रेखाचित्र और हिसाब तैयार कर लिए थे। शक्ति संयन्त्रों के विस्तृत विशिष्ठताओं सहित एक प्रायोजना प्रतिवेदन भी तैयार कर लिया गया था। दिनांक ९-११-१९५७ को की गई भारतीय-रूसी सहमति के अन्तर्गत, रूस द्वारा प्रदत्त ५०० मिलियन रुबलों के उधार में से तापीय शक्ति केन्द्र (Thermal Power Station) योजना में धन लगाना निश्चित किया गया है। दिनांक १४ दिसम्बर, १९५७ को मैसर्स टैक्नोऐक्सपोर्ट, मास्को के साथ लिगनाइट निगम द्वारा एक गौण अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया जिसके निबन्धनों व शर्तों के अनुसार रूसी विशेषज्ञ नेवेली में तापीय संयन्त्र के निर्माण के लिए अन्य विवरणों के अतिरिक्त क्षेत्र देखने और अन्य प्रारम्भिक न्यास एकत्रित करने के लिए नेवेली में दिसम्बर, १९५७ में गए, रूसी विशेषज्ञ केन्द्रीय जल और शक्ति आयोग(C.W. & P.C.)द्वारा पहले से ही तैयार की गई विशिष्ठताओं का प्रयोग करते हुए भारतीय विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर, रूस में विद्यमान उपकरणों के मानदण्डों और विशेषताओं और नमूने बनाने की तकनीकी अवस्थाओं और भारत की स्थानीय अवस्थाओं और नियमों को दृष्टि में रखते हुए एक विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करेंगे जो उपकरण प्राप्त करने के लिए आदेश देने में उप सहायता देगा। यह प्रतिवेदन रूसी प्राधिकारियों द्वारा सितम्बर, १९५७ तक स्थापित किया जायगा।

४—उर्वरक उत्पादन के लिए योजना—ऐसा निश्चित किया गया है कि नेवेली में होनी उत्पादित की जाने वाले नाइट्रोजिनीय उर्वरकों की सम्पूर्ण मात्रा यूरिया के रूप में होनी चाहिए। ७०,००० टन के निश्चित नाइट्रोजन अंश से युक्त प्रति वर्ष १,५२,००० टन यूरिया बनाने के लिए एक विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन, एक विशिष्ट अनुभाग द्वारा तैयार किया गया है। तदनुसार विदेशी विनिमय आवश्यकताओं की योजना के लिए पर्याप्त उधार सुविधाओं के उपलब्ध होने पर नेवेली में एक उर्वरक संयन्त्र की स्थापना करना स्वीकृत किया है। सिन्धरी उर्वरक कारखाने में चार्जमैन, चालक आदि को पदों पर कार्य करने के लिए

उर्वरक व रसायन लि० और यदि आवश्यक हो तो उर्वरक व रसायन (ट्रावनकोर) लि० जलवायु, में प्रशिक्षण के लिए १०० शिक्षार्थियों का एक जत्था चुना गया है।

५—छोटी ईंटों के निर्माण और कार्बनीकरण के लिए योजना—टी० सी० एम० के अन्तर्गत छोटी ईंटों के निर्माण और कार्बनीकरण के लिए एक जांच सयन्त्र प्राप्त हुआ। नेवेली लिगनाइट पर परीक्षण करने के लिए नेवेली में सहायता पहुँच गई हैं। संयन्त्रों को रखने के लिए छादक (Sheds) वनाए जा रहे हैं। मई १९५८ में जब तक संयन्त्र के तैयार हो जाने की आशा है, जांच संयन्त्र पर प्रयोग आरम्भ होने की आशा है।

६—सामान्य—खानों, कारखानों और कस्बों के लिए अर्जित की जाने वाली कुल २६,७५० एकड़ भूमि में से दिसम्बर, १९५७ तक ४,०२३ एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है। सन १९५८-५९ में अग्रेतर ४,२०० एकड़ भूमि अर्जन की जाने की आशा है।

निगम के मुख्य कस्बा आयोजक (Chief Town Planner) ने नेवेली कस्बे की विस्तृत योजना तैयार की है। प्रायोजना के मुख्य वास्तुशास्त्री (Chief Architect of Project) ने कस्बे में निर्मित करने के लिए विभिन्न प्रकार के भवनों के नमूने तैयार किए हैं। यह डिजाइन स्वीकृत हो चुके हैं। नए कस्बे में सन् १९५८-५९ में १ करोड़ रु० के मूल्य के निवासी व अ-निवासी भवनों का निर्माण उपक्रमित करना प्रस्तावित है। ईंट निर्माण सयन्त्र की प्राप्ति के लिए भी प्रवन्ध किया जा रहा है।

नई टाउनशिप के लिए चार मील लम्बे रेल पथ का भी निर्माण हो रहा है। जिसके निर्माण में १६.२५ लाख रु० व्यय होगा।

प्रायोजना के लिए भूमियों के अर्जन द्वारा विस्थापित लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए मद्रास सरकार ने निगम को, विस्थापितों को, सफाई के पश्चात भूमि देने के लिए लगभग ११,६०० एकड़ जंगली भूमि दी है। इस भूमि में से दिसम्बर, १९५७ के अन्त तक निगम द्वारा १९२७ एकड़ भूमि साफ की जा चुकी थी। अग्रेतर सफाई प्रगति पर है। प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को, जिसकी भूमि अर्जित की गई है, उतनी ही भूमि जितनी कि अर्जित की गई है, निशुल्क दी जायगी, कुल भूमि केवल दो क्षेत्रों में ही ली जा सकेगी, अधिक में नहीं। यह भूमि उससे अर्जित भूमियों और बनावटों के लिए दी गई क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त दी जायगी। विस्थापितों को उनके पुराने घरों से उपयोगी भवन निर्माण सामग्री निशुल्क उठाने की अनुमति दी गई है, परन्तु वह सामग्री निश्चित समय में ही वहां से उठा लेने की अनुमति दी है। विस्थापितों को पुराने घरों से नई अर्जित भूमियों पर सामग्री ले जाने के लिए निशुल्क परिवहन सुविधाएँ भी दी गई हैं।

कर्मचारियों के लिए आवास सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए वर्तमान नेवेली गाँव के समीप २०० हटमैंट और ५०० क्वार्टर बनाये जा रहे हैं। निगम कर्मचारियों के बच्चों के लाभ के लिए एक प्रारम्भिक और एक माध्यमिक स्कूल भी खोला गया है। चिकित्सा आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक ८ बिस्तर वाला एक छोटा सा

अस्थायी अस्पताल भी निर्मित किया गया है। कर्मचारी वृन्द के लाभ के लिए मनोरंजन क्लब, कर्मचारियों के सहकारी संग्रहालय आदि जैसी सुविधायें भी उपलब्ध की गई हैं। प्रयोजन के प्रवर अधिकारियों को प्रयोजना से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अध्ययन करने और अच्छा ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता देने के लिए पश्चिमी जर्मन सरकार की निगम के अफसरों के चार समूहों के भेजने का व्यय उठाने की उदारता को स्वीकार करने का निश्चय किया गया था। इस अवसर से लाभ उठाया गया और एक समूह के लिए पूर्वी जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र में कुछ सप्ताह के अध्ययन का प्रबन्ध किया गया। प्रबन्ध चालक और अन्य समूह प्रत्येक लगभग दो महीने का अध्ययन दौरा कर विदेश से लौट आये हैं। टी० सी० एम० प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधीक्षक इन्जीनियर (खान) लिगनाईट खानों के प्रवर्तन आयोजन अध्ययन करते हुए तीन महीने तक संयुक्त राज्य अमरीका में रहे और उसके पश्चात ६ सप्ताह प० और पूर्व जर्मनी में व्यतीत किए।

विशिष्ट खनन मशीनरी प्रदान करने के लिए मैसर्स एल० एम० सी० के साथ ठेके के अन्तर्गत और पश्चिमी जर्मनी की सरकार की सहायता से दो वैद्युतिक इन्जीनियर और दो यान्त्रिकी इन्जीनियर बाल्टी चक्र उत्खनक (Bucket Wheel Excavators) और विस्थापनयोग्य प्रथक (Slewable Spreader) के नमूने बनाने, प्रवर्तन और संधारण में तीन मास की अवधि के लिए प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजे गए।

निगम का प्रथम वित्तीय वर्ष दिनांक १४-११-१९५६ से ३१-७-१९५७ के बीच की अवधि का निश्चित किया गया है। प्रथम सामान्य बैठक के सम्बन्ध में निगम के प्रथम वित्तीय वर्ष का प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

अध्याय ५

खान व खनिज नीति

(Mines and Mineral Policy)

खनिज नीति—दिनांक ३० अप्रैल, १९५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार प्रस्ताव की अनुसूची 'ए' में विशिष्ट खनिजों के भावी विकास का उत्तरदायित्व पूर्णत: राज्य सरकार पर निर्भर है। इसके अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने खान व ईंधन विभाग के संयुक्त सचिव के सभापतित्व के अधीन एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की है जो अनुसूची 'ए' के खनिजों के सम्बन्ध में राज्य द्वारा खनन के लिए उपयुक्त क्षेत्र सरकार को सुझाएगी। समिति को खनिजानुसार प्रत्येक राज्य का प्रतिवेदन अलग से उपस्थापित करना है। इस समय समिति, उड़ीसा की लोह-अयस संचितियों पर कार्य कर रही है। तत्पश्चात, यह अन्य खनिजों के सम्बन्ध में कार्य करेगी।

इस समय खनिजों के उत्पादन में कमी न आने देने और वर्तमान मांग को पूर्ण करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों को, राज्य द्वारा खनन के लिए अनुपयुक्त समझे गए क्षेत्रों के लिए, निजी संस्थाओं (पार्टियों) को खनिज समनुदानों के अनुदान देने की प्रार्थना की गई है। समनुदानों से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों की छानबीन भूतात्विक समीक्षा विभाग और भारतीय खान विभाग के परामर्श से खान व ईंधन विभाग द्वारा की जाती है और यदि उनके विचार में कोई क्षेत्र राज्य द्वारा खनन के अनुपयुक्त है तो ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्य सरकारें खनिज समनुदान (Mineral Concession) अनुदान करने की अधिकारी हैं।

खान व खनिज (विनियमन व विकास) बिल, १९५७, जो लोक सभा में दिनांक २९ जुलाई, १९५७ को पुन: स्थापित किया गया था, दिसम्बर, १९५७ में संसद द्वारा पारित किया गया। दिनांक २८, दिसम्बर, १९५७ को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और सन् १९५७ के विधेयक क्रमांक ६७ के रूप में लागू हुआ।

नए विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(क) इस विधेयक के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के अधीन किसी भी क्षेत्र में किसी भी खनिज का पूर्वेक्षण व खनन प्रवर्तनों को, उपक्रमित करने का अधिकार मिला है।

(ख) यह किसी भी खनिज, खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसैंसों के लिए अधिकतम सीमा निश्चित करती है। खनन पट्टों के लिए भी सीमा निर्धारित करती है।

(ग) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधिकार शुल्क की दरों में परिवर्तन कर सकती है और राज्य सरकारों से भूमि राजस्व के बकायों की तरह ही अधिकार शुल्क और मृत भाड़ा (Royalty and Dead Rent) आदि उगाह सकती है।

(घ) यह राज्यों सरकारों को गौण खनिजों के सम्बन्ध में नियम बनाने की अनुमति देता है।

(च) दिनांक २५ अक्तूबर, १९४९ से पूर्व अनुदत्त सभी खनन पट्टों को इस विधेयक के उपबन्धों के अनुरूप लाना होगा।

२—पुनरीक्षा प्रार्थना पत्र—(Rewiew applications)—प्रथम अप्रैल, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ की अवधि में खनिज समनुदान आनियम, १९४९ के नियम ५७ के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा पारित किए गए आदेशों की पुनरीक्षा के लिए १८६ प्रार्थना पत्र प्राप्त किए गए जबकि पूर्व वर्ष में इसी अवधि में २११ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे इस अवधि में २४० प्रार्थना पत्रों का निर्णय किया गया। अंक प्रथम अप्रैल, १९५७ से पूर्व प्राप्त किए गए और इस अवधि में निर्णित प्रार्थनापत्रों से सम्बन्धित हैं।

३—खनिज परामर्शी बोर्ड—(Mineral Advisory Board)—जून १९५७ में खनिज परामर्शी बोर्ड की बैठक शिमला में हुई। इसके द्वारा की गई सिफारिशों में से महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं :—

(क) भारतीय खान विभाग और राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को संयुक्त रूप में विचार कर सांख्यिकी सामग्री प्राप्त करने के लिए अधिक सन्तोषजनक ढंग निकालने के लिए एक कार्यकरण समूह की स्थापना की जाय, जिसमें उद्योग का एक प्रतिनिधि, राज्य का एक प्रतिनिधि और संचालक, भारतीय खान विभाग हो।

(ख) अभ्रक परामर्शी समिति (Mica Advisory Committee) का अन्त कर और खनिज परामर्शी बोर्ड की एक उप-समिति बना कर उसे समिति के सब कार्यों को सौंप दिया जाय।

खनिज परामर्शी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार अक्तूबर, १९५७ में एक कार्यकरण समूह की स्थापना की गई जिसमें उद्योग के प्रतिनिधि श्री एल० डी० नायथानी, राज्य के प्रतिनिधि डा० एम० आर० मान्डेलकर, उद्योग संचालक, बम्बई सरकार, और संयोजक के रूप में श्री सी० एम० पटेल, खनिज अर्थ-शास्त्री भारतीय खान विभाग हैं। यह समूह अल्पकाल में ही अपना प्रतिवेदन उपस्थापित करेगा।

अभ्रक परामर्शी समिति का अन्त किया जा चुका है और इसके कार्यों को उपक्रमित करने के लिए खनिज परामर्शी बोर्ड की एक उप-समिति बनाई जा रही है।

जून, १९५६ में खनिज परामर्शी वोर्ड की सिफारिश पर स्थापित की गई निम्न श्रेणी अयस अभिशोधन समिति (Beneficiation of Low Grade Ore Committee) ने अपना प्रतिवेदन उपस्थापित किया है जो परीक्षाधीन है।

सन् १९५७ में खनिज खनन और सामान्यत: विकास के कार्यक्रमों पर सरकार को परामर्श देने के लिए चार प्रादेशिक परामर्शी परिषदें स्थापित की गई, जिनके प्रधान कार्यालय क्रमशः अजमेर, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास में है दक्षिणी प्रादेशिक परिषद की बैठक अक्तूबर, १९५७ में पूर्वी प्रादेशिक परिषद की नवम्बर, १९५७ में, उत्तरी प्रादेशिक परिषद की दिसम्बर, १९५७ और केन्द्रीय प्रादेशिक परिषद की जनवरी १९५८ में हुई।

४—उड़ीसा खनन निगम (निजी) लि०—विक्रय और निर्यात के लिए उड़ीसा में लोह अयस का उत्पादन बढ़ाने, संग्रहण और परिवहन के लिए १६ मई, १९५६ को केन्द्रीय सरकार (वाणिज्य व उद्योग मन्त्रालय) और उड़ीसा की सरकार ने संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित किया। अप्रैल, १९५७ में केन्द्रीय मन्त्रालयों के पुनर्संगठन के साथ निगम का प्रशासकीय नियन्त्रण इस्पात, खान व ईंधन मन्त्रालय के खान व ईंधन विभाग के अधीन है। निगम को उड़ीसा राज्य में लोह अयस के लिए अब तक दो खनन पट्टे अनुदत्त हुए हैं। प्रथम जनवरी, १९५८ तक इन दोनों क्षेत्रों से अयस का कुल उत्पादन २१,६४८ टन था। निगम ने राज्य व्यापार निगम के साथ जून, १९५८ तक २०,००० टन लोह अयस प्रदान करने का ठेका लिया है। निगम के साथ एक निजी ठेकेदार ने भी ५,००० टन लोह अयस परिवहन करने का ठेका लिया है। निगम दो और क्षेत्रों का, पूर्वेक्षण उपक्रमित कर रही है।

५—खनन पट्टों का संशोधन—खनन पट्टा (निबन्धों के संशोधन) आनियम १९५६ (Mining Leases) (Terms of Modifications Rules) के अनुसरण में २५ अक्तूबर, १९४९ के पूर्व अनुदत्त खनन पट्टों में संशोधन के लिए खनन पट्टों के दो नियन्त्रक नियुक्त किए गए, जिनके प्रधान कार्यालय क्रमशः राँची और नागपुर में निश्चित किए गए। मितव्ययता के लिए राँची का कार्यालय प्रथम दिसम्बर, १९५७ से बन्द कर दिया गया है और सारा कार्य नागपुर कार्यालय में केन्द्रित कर दिया गया है।

संशोधन के लिए सूचित ९३३ पुराने पट्टों में से ३६२ को, उनमें और खनिज समनुदान आनियम, १९४९ में कोई अन्तर न होने के कारण फाइल कर दिया गया है। ३९६ खनन पट्टों के सम्बन्ध में पट्टधारियों (Lessors) को खनन पट्टा (शर्तों का संशोधन) आनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित परिवर्तन और संशोधन करने के लिए स्पष्टीकरण नोटिस प्रेषित कर दिए गए हैं।

अध्याय ६

भारतीय खान विभाग
(Indian Bureau of Mines)

भूमिका—वर्ष में व्यवस्थित विकास, खनन की उन्नत पद्धतियां अपनानें, व्यर्थता को दूर करने, अयसों की श्रेणियों और मात्राओं के परीक्षण, खनिज स्टाकों के अध्ययन, खनिजों की विक्रयता और सांख्यिकी न्यास एकत्रित करने के लिए भारतीय खान विभाग खानों का निरीक्षण करता रहा। खान, पट्टे प्राप्त करने, खनिज सम्बन्धी सूचना आदि से सम्बन्धित समस्याओं पर विभिन्न खनन संस्थाओं को सहायता दी गई। बहुत से प्रतिवेदन, विशेषकर लोह अयस के निर्यात पर, तैयार किए गए।

२—खनिज अर्थ-शास्त्र (Mineral Economics)—ब्यूरो संरक्षण व विकास आनियम के अन्तर्गत भेजे गए विभिन्न विवरणों द्वारा सूचित आंकड़ों और सूचनाओं का संकलन करता रहा और उनके विषय में अध्ययन करता रहा। सन् १९५५ और १९५६ के खनिज उत्पादन के आंकड़े विवरणों से संकलित और प्रकाशित किए गए। हिन्दी में भी सन् १९५५ का खनिज उत्पादन प्रकाशित किया गया और सन् १९५६ का हिन्दी में तैयार किया जा रहा है।

रेखन अनुभाग (Drawing Section) द्वारा भारतीय खान विभाग के प्रकाशनों में सम्मिलित करने के लिए बहुत से रंगीन चार्ट और नक्शे और खनिज प्राप्तिस्थानों के विभाजन के विभिन्न नक्शे तैयार किये गये।

३—खनिज प्रौद्योगिकी (Mineral Technology)—निम्नलिखित पर गवेषणा जांचें की गई :—

(१) आंध्र से प्राप्त इलमेनाइट रेतों का अभिशोधन
(२) उत्तरी कनारा जिले, मैसूर और हैथोरा गर्रा खानों, मध्य प्रदेश से निम्न श्रेणी मैंगनीज अयस का अभिशोधन,
(३) औद्यियन खानें, तिरुचिरापोल्ली से प्राप्त जिपसम का अभिशोधन। और भी गवेषणा जांचें प्रगति पर हैं।

४—खनिज अन्वेषण—(पूर्वेक्षण, खनन व व्यधन) निम्नलिखित स्थानों पर विस्तृत अन्वेषण किया गया है :—

(क) कोयला	—कोरबा	मध्य प्रदेश
	चिरिमिरि	,,
	सरगूजा	,,
	पूर्वी बोकारो	बिहार
	करनपुरा	,,
	तालचर	उड़ीसा
	गिरिडिह	बिहार
(ख) ताम्र	—दरीबो	राजस्थान
	खेतरी	,,
(ग) मैग्नाजाइट	—अल्मोड़ा,	उत्तर प्रदेश
(घ) माक्षीक	—अमजोर	बिहार

अमजोर में माक्षीक मुख्य निर्गममार्ग (Adit) के लगभग २,१०० फुट दक्षिण में एक व्यधन छिद्र में ७९१ फुट की गहराई में और एक अन्य में व्यधन छिद्र में ३० फुट ५ इंच की गहराई पर प्राप्त हुई हैं। मुख्य निर्गममार्ग (Adit) के १९५० फुट पूर्व में स्थित तीसरे छिद्र में माक्षीक ७६ फुट ७ इंच की गहराई पर मिली।

ब्यूरो का कारखाना चालू किया गया।

अध्याय ७

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग

(Geological Survey of India)

भूतात्विक मानचित्रण—खनिज अन्वेषण और इंजीनियरी भूतत्व में खोज कार्य की अधिक मांग होने के कारण बड़े क्षेत्रों में व्यवस्थित भूतात्विक मानचित्रण नहीं किया जा सका। तथापि, आंध्र, आसाम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी बंगाल के भागों में ३,५०० वर्ग मील के क्षेत्र पर १ इंच = १ मील के पैमाने पर मानचित्रण किया गया। बिहार, मध्य प्रदेश, मैसूर और राजस्थान के कुछ एक महत्व-पूर्ण खनिजयुक्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने (४ इंच = १ मील, १ इंच = १०० फुट, आदि) पर विस्तृत मानचित्रण उपक्रमित किया गया।

२—व्यावहारिक भूतत्व विज्ञान—देश के विभिन्न भागों में आर्थिक दृष्टि से महत्व-पूर्ण खनिज भंडारों की विस्तृत खोज की गई थी :—

कोयला और लिगनाइट

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में खनन के लिए कोयले की संचितियों को प्रमाणित करने के दृष्टिकोण से विभिन्न कोयलाक्षेत्रों में उपक्रमित अन्वेषणात्मक व्यधन वर्ष भर किया जाता रहा और अब भी प्रगति पर है।

कुल ....व्यधन छिद्र व्यधित किए गए, परिणामस्वरूप कुल............ फुट व्यधित किया गया।

दक्षिणी करनपुरा—व्यधन कार्य निम्नलिखित इलाकों में जारी रहा :—

	ए	ब्लाक
गिडि	सी	,,
गिडि	बी	,, और
सौन्दा	ए	,,
सयाल	डी	,,
सयाल		

गिडि ए और सौन्दा बी में व्यधन लगभग पूर्ण होने को है।

उत्तरी करनपुरा—मौनसून के कारण वचरा ब्लाक में दिसम्बर, १९५६ में आरम्भ किया हुआ व्यधन कार्य जुलाई, १९५७ को वन्द करना पड़ा।

झरिया—मई में किरकन्द में व्यधन आरम्भ किया गया था और अब भी जारी है।

रानीगंज—ओन्डल क्षेत्र में व्यधन पूर्ण किया गया था।

बांकुरा—बांकुरा जिले के बैजोरा कोयला क्षेत्र में व्यधन पुनः आरम्भ किया गया और लगभग पूर्ण होने को है।

आसाम—गैरो पहाड़ियों के क्षेत्र में डारानागिरी कोयला क्षेत्र में व्यधन किया गया परन्तु, मई में मौनसून के कारण बन्द किया गया।

वाराकलाई (केरलाल)—फरवरी में लिगनाइट के लिए व्यधन आरम्भ किया गया था और अब भी जारी है। ७ वर्ग मील के क्षेत्र विस्तार में १० छिद्र व्यधित किए गए हैं।

जम्मू और काश्मीर—कोयला और लिगनाइट के कुछ एक क्षेत्रों का विस्तृत अन्वेषण किया गया। जंगलगालोकाला कोट क्षेत्रों में व्यधन आरम्भ हो चुका है।

कोयला समितियाँ—गिडि में २५० मिलियन टन, सौन्दा में ५२ मिलियन टन और बाचर में २१ मिलियन टन की संचितियाँ प्रमाणित की जा चुकी हैं। आसाम में कम भस्म और उच्च भस्म कोयले की कार्य योग्य तहें पाई गई है। रानीगंज कोयला क्षेत्र में, व्यधन ने, ३,००० फुट की गहराई पर, जो अब तक व्यधित की जा चुकी है, कोयला तहों की उपस्थिति प्रमाणित की। ३ फुट मोटी ११ तहें अभिलेखित की गई हैं। झरिया में ३,००० फुट की गहराई के नीचे भी कोयला तहें पाई गई हैं।

भारत में प्रथम वार प्रयोग के रूप में तहों के सह सम्बद्ध में सहायता देने के लिए और ऐसे रचनात्मक दोषों को जानने के लिए विद्युत लौग (Log) करने की प्रणाली पर्याप्त संतोषजनक पाई गई है। इस प्रणाली का सफलतापूर्वक व्यवहार कोयला क्षेत्रों में आन्तरक व्यधन (Core Drilling) को अनावश्यक कर देगा।

तेल—तेल व्यधन के लिए उपयुक्त रचनाओं को निश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान में स्थित जैसलमेर जिले में विस्तृत व्यवस्थित मानचित्रण जारी है। जैसलमेर जागिया क्षेत्र में किए गए मानचित्रण में पर्याप्त दोष हैं। त्रिपुरा के गैस क्षरणों (Gas Seepages) की परीक्षा की गई थी। सन् १५८४ फुट की गहराई तक ज्वालामुखी में रचनात्मक व्यधन जारी रखा गया। छिद्रों के गुहाकरण (Caving of hole) और उत्थम्भ (डेरिक) नींव के नष्ट हो जाने के कारण कार्य बन्द करना पड़ा। नलों और सहायक छड़ों की प्राप्ति प्रगति पर है।

सोना—कोलार सोना क्षेत्र की केन्द्रीय खनन पट्टी में २४ इंच = १ मील के पैमाने पर मानचित्रण पूरा किया गया। चितुर जिले में प्रवेश करने वाले कोलार सोना क्षेत्र के दक्षिणी विस्तार का प्रादेशिक मानचित्रण ४ इंच = १ मील के पैमाने पर हवाई मानचित्रों

(Aerial Photographs) पर पूरा किया गया था। खनन पट्टी के उत्तरी विस्तार के साथ साथ लगभग ३५ वर्ग मील के क्षेत्र का भी मानचित्रण पूरा किया गया।

मैंगनीज—काजलिडान्गारी, रहम्बापुर, नागनवाट और नाहरपुरा के समीप के क्षेत्रों में मुख्यतः मैंगनीज अयस निक्षेपों के होने के कारण झरिया मैंगनीज अयस पट्टी का २ इंच = १ मील के पैमाने पर मानचित्रण जारी रखा गया। मध्यप्रदेश और बम्बई में मैंगनीज पट्टी के विस्तृत मानचित्रण ने ऐसी रचनाओं पर पर्याप्त प्रकाश डाला जो नए निक्षेपों को ढूंढने में निर्देशों के रूप में उपयोगी हैं।

बाक्साइट—प्रदेश में प्रस्तावित ऐल्युमीनियम संयन्त्र के सम्बन्ध में सालेम जिले की शिकोई पहाड़ियों में विस्तृत कार्य किया गया।

ताम्र—उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में विस्तृत मानचित्रण और भू-रसायनिक न्यादर्शन (Geochemical Sampling) किया गया। सिंहभूम ताम्र पट्टी और खेतरी में विस्तृत रचनात्मक मानचित्रण किया गया। खेतरी में सूक्ष्म कणमय (Pelitic) शिलाओं के स्तरण के समान्तर कृन्तन (Snear) प्रदेशों के साथ-साथ बिस्तार में विद्यमान हैं।

जिपसम भूमिगत जिपसम की राशि को निश्चित करने के लिए नागपुर, और राजस्थान में व्यधन कार्य किया गया। लगभग ६ व्यधन छिद्र व्यधित किए गए, परिणामस्वरूप २,६०० फुट कुल व्यधन हुआ। विभिन्न जिपसम प्रदेश सूचित किए गए।

चूना पत्थर—वर्ष में जम्मू और काश्मीर की महा चूना-पत्थर पट्टी (Great-Lime Stone Belt) की विस्तृत खोज जारी की गई। रोहतास चूना-पत्थर घेगर घाटी, मिर्जापुर जिला, उत्तर प्रदेश और धर्मकोट, कांगड़ा जिला, पंजाब के चूना पत्थर निक्षेपों की विस्तृत खोज आरम्भ की गई।

वर्ष में निम्नलिखित खनिजों की अल्पकालीन खोजें भी उपक्रमित की गई। बिहार में चूनापत्थर, ऐसबैस्टोज, विरल मिट्टी खनिज, आसाम में चूना पत्थर, कोयला और अभ्रक, उड़ीसा में मैंगनीज, जलोढ़ सोना और मिट्टी, मद्रास के रामनद जिला में जिपसम, आन्ध्र में बैराइटस, केरल में कांच रेत, हिमाचल प्रदेश में फिटकरी और उत्फुल्लन (Efflorescence) उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी आदि।

३. इन्जीनियरी भूतत्व विज्ञान—इस अनुभाग द्वारा बान्धों सुरंगों, पुलों आदि की स्थिति नींव अन्वेषण और निर्माण से सम्बन्धित अनेक क्षेत्रीय खोजें की गई। उत्तर प्रदेश में प्रमुख इन्जीनियरी प्रयोजनाओं अर्थात् पूर्वी पंजाब में भाकड़ा नांगल, उत्तर प्रदेश में रिहन्द, आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, बम्बई में कोयना और जम्मू और काश्मीर में बनिहाल सुरंग से सम्बन्धित कार्य भी किया गया। लगभग ५० अन्य इन्जीनियरी प्रायोजनाओं से सम्बन्धित अल्प कालीन खोजें उपक्रमित की गई। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पूर्वी पंजाब में दीर्घ कालीन आधार पर प्रादेशिक भूजल खोजें जारी रखी गई। कृषि मन्त्रालय के

सहयोग में टी० सी० एम सहमति के अन्तर्गत वम्बई, राजस्थान; मध्य प्रदेश, मद्रास, विहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी बंगाल में गहरे और व्यवस्थित भू-जल अध्ययन और अन्वेषणीय व्यधन कार्य किया गया। वौल्स (Wolls) का वैद्युतिक परिवेष्ठन (lagging) किया गया और जल और पंक नमूने अनुभाग से सम्बन्धित प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषित किए गए। दक्षिण आरकोट जिले के नेवेली लिगनाइट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पम्पन परीक्षण पूरे किए गए थे।

४. **भूभौतिकी पूर्वेक्षण** (Geophysical Prospecting)—कैम्बे क्षेत्र में पैट्रोलयुक्त (Petroliferous) रचनाओं के लिए परावर्त्तन भूकंप (Reflection Seismic) खोजें जारी की गई। और इस क्षेत्र में ही प्रमुख रचना की विस्तृत रूप रेखा तैयार की गई थी। मद्रास राज्य की पूर्वी घाटीय पट्टी (Eastern Coastal Belt) में तलछटीय (Sedimentary) क्षेत्रों की वैद्युतिक और चुम्बकीय खोजें जारी रखीं गई। इन सर्वेक्षणों द्वारा मुख्य म्वाकृष्टि (Gravity) और चुम्बकीय विषमतायें (Magnetic anomalies) निर्देशित की गई हैं, जो पारगामी भूकंप परावर्त्तन (Reflection Seismic Traverse) द्वारा अनुपूरित की जा रही है। राजस्थान की खेतरी ताम्र पट्टी में ताम्र अयस के लिये वैद्युतिक और चुम्बकीय जाचों को जारी रखने के परिणाम-स्वरूप अनेक प्रबल वद्युतिक और चुम्बकीय संकत मिले हैं जो अत्यन्त आशाजनक दिखाई देते हैं। पन्ना क्षेत्र में अतिरिक्त हीरक युक्त नालों को और मैसूर के कोलार सोना क्षेत्रों में नई धातु रेखाओं को ढूंढने के लिए वैद्युतिक और चुम्बकीय सर्वेक्षण उपक्रमित किए गए थे। दिल्ली राज्य के शाहदरा और अलीपुर विकास ब्लाकों में सीमान्तिक प्रदेशों के लिए पान-योग्य जल प्राप्त करने के लिए विस्तृत भू-जल खोजें की गईं। सम्पूर्ण दिल्ली अब इन सर्वेक्षणों के अधीन अपेक्षतया ताजे पानी की एक्वीफोरस (Acquifors) की गहराई और व्यधन (Disposition) से सम्बन्धित अमूल्य सामग्री प्राप्त की गई है।

५. **अभियान**—(Expedition) अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष के कार्यक्रम के सम्बन्ध में हिम-विज्ञान सम्बन्धी (Glacialogical) अध्ययनों के लिए तीन समुदाय हिमालय पर भेजे गए। लाहौल में सोना पानी ग्लेशियर, काश्मीर में मैंचौय ग्लेशियर और उत्तर प्रदेश में मिलान और बोटिंग ग्लेशियरों का विस्तृत अध्ययन किया गया। ग्लेशियरों के अध्ययन के अतिरिक्त इन समुदायो ने व्यावहारिक भतत्व (Economic Geology) पर सामग्री एकत्रित करने के दृष्टिकोण से क्षेत्र का प्रारम्भिक भूतात्विक निरीक्षण किया। एक समुदाय ने लेह से मनाली तक एक निर्थक (Traverse) पूरा किया।

६. **शैल विज्ञान अनुभाग** (Petrological Section)—रश्मि प्रयोगशाला पुनर्संगठित की गई और भू-मंजिल पर स्थापित की गई। टी० सी० एम० के अन्तर्गत प्राप्त एक नया फिलिपास एकक और एक अणु-मानचित्रमान (Micro photographmeter) भी प्रतिष्ठापित किया गया। नित्यचर्या और गवेषणा कार्य के लिए शिलावीक्षण (Petrography) और खानिजी (Minerology) प्रयोगशाला स्थापित की गई। शिलाओं के उचित विश्लेषण करने के लिए एक शिला विश्लेषण प्रयोगशाला, आधुनिकतम यन्त्रों से सज्जित

और संगठित की जा रही है। शिलाओं व खनिजों को पहचानना, रत्न प्रस्तरों की परीक्षा करना, टिप्पणों और प्रतिवेदनों का संकलन, आदि दैनिक कार्य करने के अतिरिक्त इस अनुभाग के सदस्य विभिन्न गवेषणा समस्याओं में संलग्न रहे। विभिन्न चट्टानों व खनिजों के नमूने भारत और विदेश में विभिन्न वैज्ञानिक व शैक्षिक संस्थाओं को भेंट किए गए थे।

७. **प्राचीन भूगर्भीय प्रभाग** (Paleontology Dn.) इस प्रभाग के अंतर्गत एक अपृष्टवंशी प्राचीन भूगर्भीय प्रयोगशाला (invertebrate paleontology laboratory) एक पृष्टवंशी प्राचीन भूगर्भीय प्रयोगशाला (Vertebrate Paleontology laboratory) एक प्राचीन वनस्पतीय प्रयोगशाला (Paleobotanical laboratory) एक आण्विक प्राचीन वनस्पतीय प्रयोगशाला (Micro Paleobotanical laboratory) स्थापित की गई है। अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त नमूनों के नित्य प्रति दिन चिन्हन के अतिरिक्त उपर्युक्त क्षेत्रों में अनेक गवेषणा प्रयोजनाओं में संलग्न रहे।

८. **रसायनिक प्रयोगशाला**—(Chemical laboratory) रसायनिक अनुभाग ने क्षेत्रीय अधिकारियों और निजी संस्थाओं द्वारा भेजे गए लगभग १,७१० नमूनों का रसायनिक और भू-रसायनिक विश्लेषण किया।

९. **भूकम्पकीय अनुभाग**—दिनांक १० अक्तूबर, १९५६ को दिल्ली और संबलन क्षेत्रों में आए भूकंपों पर ही रही खोज पूर्ण की गई। आन्ध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में कुचुरकल में क्षणिक प्रकम्पों (Tremors) पर भी खोज की गई।

१०. **भूतात्विक व खानिजी सामग्री का प्रसार**—खनिजों और अयसों के विभाजन, उनकी उपलब्धि, और प्रयोगों से सम्बन्धित ४,००० से अधिक पूछताछों के उत्तर इस विभाग द्वारा दिए गए।

११. **मानचित्र, प्रकाशन आदि**—रेखन कार्यालय (Drawing Office) ने मानचित्रण (फोटोग्राफी), खोदने की विधियों, चादरों पर छपाई आदि के दैनिक कार्य के अतिरिक्त ५८०० से अधिक संख्या में मानचित्र, रेखाचित्र, चार्ट आदि तैयार किये। हवाई मानचित्रों से बड़े पैमाने पर भू-मानचित्र (topo-maps) भी तैयार किये। वर्ष में संस्मरण बन्ध ८४, भाग १ और २, अभिलेख बन्ध-८४, भाग ४ आर्थिक खनिजों पर बुलेटिन, क्रमांक १३, इन्जीनियरी भूगर्भीय बुलेटिन, क्रमांक ७ काशित किए गये। विभागीय प्रकाशनों की एक सूची भी प्रकाशित की गई। मैंगनीज पर एक बुलेटिन और "पैलानटोलोजिका इण्डिका" के दो बन्ध शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले हैं। पुस्तकालय ने ७७,००० से अधिक पुस्तकें अध्ययन के लिए विभिन्न व्यक्तियों को दी और लगभग ५,००० पूछताछों के उत्तर दिए। अतिरिक्त पुस्तकें, प्रतिवेदन, पुनः प्रकाशित पुस्तकें २,००० से अधिक पुस्तकालय में बढ़ा दी गई। छः पुस्तकालय बुलेटिन भी निकाले गए।

१२. **भूतत्वज्ञों का प्रशिक्षण, वैज्ञानिक पत्रिकाएं और भाषण**—झरिया कोयला क्षेत्र और घाटसिला ताम्र खान में लगभग क्षेत्र दो महीनों के लिए दो अवस्थाओं में क्षेत्र

प्रशिक्षण के वार्षिक शिविर का प्रबन्ध किया गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों और विभागीय अवर अधिकारियों ने शिविर में भाग लिया। शिविर के कार्य-क्रम में भूताtत्विकी मानचित्रण, सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण (भूभौतिकी और भू-रसायनिक) और खनन इत्यादि की विविध विधियों में प्रशिक्षण सम्मिलित था।

१३. सन् १९५८ में किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य—सन् १९५८ में विभाग द्वारा क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों में से कुछ अग्रलिखित हैं :—

आर्थिक भूतत्व—सयाल "डी" और गिड्डि "सी" में कोयला व्यधन कार्य जारी रखे जायेंगे। सिंगरौली और सिंगरेनी कोयलाक्षेत्रों के लिए अन्वेषणात्मक व्यधन और अनुसंधान आयोजित हैं। कामथी, वार्धा, घाटी, परनहिता, गोदावरी घाटी और कान्हन घाटी में व्यधन से पूर्व खोज कार्य उपक्रमित करना है। बम्बई के जालौद जिलों, बिहार में डाल्टन गंज और पश्चिमी बोकारो, और पश्चिमी बंगाल के दार्जलिंग जिले में व्यधन आयोजन के लिए खोजें की जानी है। तैलयुक्त रचनाओं को ढूंढ़ने के उद्देश्य से जैसलमेर क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन, जापान को निर्यात करने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में बेलाडिला लोह अयश की खोज, सीसे के लिए अलमोड़ा निक्षेपों और बाक्साइट के लिए अमरकन्टक निक्षेपों का व्यधन भी उपक्रमित किये जाएंगे। मैंगनीज के लिए झबुआ, नागपुर, छिन्दवाड़ा, बन्सवाड़ा, उदयपुर, उत्तरी किनारा और धारवार जिलों में व्यवस्थित मानचित्रण, सिंहभूम ताम्र पट्टी, बिहार और खेतरी, राजस्थान में विस्तृत मानचित्रण का जारी रखना, कोलार शिस्ट पट्टी का रचनात्मक मानचित्रण, वायनाद सोना क्षेत्रों का अनुसन्धान, गढ़वाल, उत्तर प्रदेश के मैंगनासाइट निक्षेपों का परीक्षण भी कार्यक्रम के अन्तर्गत हैं।

इन्जीनियरी भूतत्व विज्ञान—थाईन बांध क्षेत्र, भाकरा बांध, रिहन्द बांध, रामगंगा बांध क्षेत्र, गोदावरी बांध कोयना प्रयोजना चम्बल प्रयोजना, नागार्जुनसागर प्रयोजना, कोसी प्रयोजना, सालन्दी प्रयोजना भीमकुन्द बांध क्षेत्र और गंगापुल के अनुसन्धान जारी रखे जायेंगे। इनके अतिरिक्त रेलपथ, पुल क्षेत्र और सड़क सम्बन्धी बहुत सी प्रयोजनाएँ भी उपक्रमित की जाएगी।

भू-जल—फिरोजपुर में जलसंचयन, मन्डी के भू-जल, नई दिल्ली के क्षेत्र में जल की अवस्था, देहरादून में जल प्रदाय की स्थितियाँ, पश्चिमी राजस्थान के भू-जल संसाधन, मध्य प्रदेश के कुछ भागों के जल प्रदाय संसाधन आन्ध्र और बिहार के कुछ भागों में भू-जल स्थिति, और गर्म जल के झरनों के अनुसंधान का कार्य किया जायेगा।

भूभौतिकी कार्य (Geo-Physical Work)—महत्वपूर्ण किये जाने वाले कार्यों [illegible] पेट्रोलियम युक्त रचनाओं को ढूंढ़ने के लिए विस्तृत [illegible] भूकंपीय अनुसन्धान (Reflection Seismic Investigation) मद्रास के [illegible] रचनाओं में आकर्षण (Gravity) और चुम्बकीय (Magnetic) अनुसन्धान, खेतरी ताम्र पट्टी में वैद्युतिक और चुम्बकीय अनुसन्धान, पन्ना में अतिरिक्त हीरक युक्त नालों को ढूंढ़ने के लिए चुम्बकीय और वैद्युतिक सर्वेक्षण हैं।

१४. एशिया और सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग सत्र (Ecafe Sessions)—
नवम्बर, १९५७ में कलकत्ता में आयोग के प्रवर भूतत्वज्ञों के कार्यकरण समुदाय (Work-
ing Party of the Senior Geologists) के सत्र में श्री वी० पी० सोन्धी,
संचालक भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग सहकारक (Co-ordinator) के रूप में नियुक्त
हुए। दिनांक ११ और १६ नवम्बर के मध्य में कलकत्ता में आयोग की खनिज संसाधन
विकास की उप-समिति (Sub-Committee of Mineral Resources Develop-
ment के तृतीय सत्र Session) के सभापति चुने गए। भारतीय भूतात्विकी सर्वेक्षण के
कार्यालय द्वारा एक एशिया और सुदूर पूर्व के भूतात्विकी मानचित्र का प्रारूप तैयार किया
गया। एशिया और सुदूरपूर्व के प्रादेशिक भूतात्विकी मानचित्र की तैयारी के लिए आयोग के
उपर्युक्त समुदाय और उप-समिति के सम्मेलन में प्रदर्शन के लिए भी एक प्राविधिक मान-
चित्र तैयार किया गया था। इस अवसर के लिए विभिन्न उद्योगों के लिए देशीय कच्चे
पदार्थों, प्राचीन भूगर्भीय नमूनों, मानचित्रों, चार्टों इत्यादि की एक प्रदर्शनी का प्रबन्ध किया
गया था। भारत में भूतात्विकी मानचित्रण की प्रगति दिखाने के उद्देश्य से बहुत से मान-
चित्र भी प्रदर्शित किये गये थे। इस अवसर के लिए एक खनिज मानचित्र भी तैयार किया
गया था। शक्ति योजनाओं और बाँध क्षेत्रों के चित्र प्रदर्शनी में रखे गए थे।

अध्याय ८

तेल व प्राकृतिक गैस आयोग व इन्दो–स्टैंवाक प्रैट्रोलियम आयोजना (Oil and Natural Gas Commission and Indo-Stanvac-Petroleum Project)

तेल व प्राकृतिक गैस आयोग—सन् १९५६-५७ के सत्र (Session) में आयोग ने ८ भूगर्भीय, ४ म्वाकृष्टि (Gravity) व चुम्बकीय (Magnetic) और १ भू-कम्पीय समुदायों को क्षेत्र में कार्य पर लगाया। इन समुदायों ने पंजाव में हिमालय की पहाड़ियों के विभिन्न भागों के, जैसलमेर क्षेत्रों और कैम्बे—कच्छ में ९२४ वर्ग मील का भूतात्विक मान-चित्रण किया। १३ गैस क्षरणों (Gas Seepages) का निरीक्षण भी किया गया। पंजाब के मैदानों के गुरदासपुर और होशियारपुर क्षेत्रों में रूस से एक म्वाकृष्टि व चुम्बकीय सर्वेक्षण समुदाय और एक भूकम्पीय समुदाय ने सर्वेक्षण किए। अन्य समुदायों ने जैसलमेर और कैम्बे—कच्छ में सर्वेक्षण किए। इन समुदायों ने ४४७१ वर्ग मील के क्षेत्र पर म्वाकृष्टि-चुम्बकीय सर्वेक्षण किया। पंजाव में भूकम्पीय वाह्य रेखाओं का २३० मील का सर्वेक्षण भी किया। हिमालय की पहाड़ियों के निम्न तलों के मानचित्रण के परिणामस्वरूप जनौरी की रचनाओं की रूप रेखा तैयार हो गई और मण्डी में श्रोत शैलों की स्थिति और तेल क्षरणों (Oil Seepages) का आविष्कार भी हो गया। होशियारपुर में दो रचनाएं रूपरेखित की गई थी और कैम्बे प्रदेश में कुछ विषमताओं और एक संवृत रचना (Closed Structure) का पता चला। चालू क्षेत्र सत्र (Current Field Session) में, जो अक्तूबर, १९५७ को आरम्भ हुआ था, १५ भूतात्विकी, ८ म्वाकृष्टि चुम्बकीय और ६ भूकम्पीय समुदाय कार्य में लगाए गए और उपर्युक्त क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश (बरेली और मुरादाबाद क्षेत्रों) और आसाम (सिबसागर) में सर्वेक्षण जारी रख रहे हैं।

प्रथम अप्रैल, १९५७ को ज्वालामुखी परीक्षण कूप संख्या १ स्पाद्र (Spud) किया गया था, जुलाई, १९५७ मे टर्बी—व्यधन आरम्भ किया गया था और जनवरी, १९५८ के अन्त तक कुआं १८४३—५ मीटर (६०५० फुट) की गहराई तक पहुँच गया था। वर्ष में होशियारपुर, कैम्बे और जनौरी में आरम्भ करना प्रस्तावित है। बहल में रचनात्मक व्यधन भी किया गया था और पंजाब और कैम्बे में जारी करना प्रस्तावित है। सन् १९५८-५९ में भूतात्विकी और भूभौतिकीसर्वेक्षण किए जाएगे और पंजाब कैम्बे और आसाम में गहरा व्यधन उपक्रमित किया जायगा।

देहरादून, कलकत्ता, ज्वालामुखी और जैसलमेर के विद्यमान कार्यालयों के अतिरिक्त देहली होशियारपुर और बम्बई में शाखा कार्यालय स्थापित किए गए हैं। देहरादून में एक भूभौतिक कारखाना और एक सांख्यिकी अनुभाग स्थापित किए गए थे और केन्द्रीय व्यधन कारखाने (Central Drilling Workshop) का स्थापन विचाराधीन है।

कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण और उपकरण की प्राप्ति में प्रगति हुई है। उपकरण और प्राविधिज्ञों (Technicians) की सेवाएं प्राप्त करने के लिए रूस और रूमानिया की वाणिज्य संस्थाओं से सहमतियां उपसंहारित की गई।

देहरादून में स्थापित विभिन्न प्रयोगशालाओं ने पंजाब, जैसलमेर, कैम्बे—कच्छ इत्यादि के विभिन्न क्षेत्रों से बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त नमूनों की परीक्षा की।

मई, १९५७ में डा० ऐगोकस द्वारा कैनाडियन हवाई चुम्बीय सर्वेक्षण (Canadian Aeromagnetic Survey) का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में और सिन्ध गंगा के मैदानों में शिवालिक शृंखला के समक्ष गहरे फैले हुए पथों की द्रोणी (Basin) में तेल मिलने की सम्भावना है। यह द्रोणी (Basin) जो चार भागों में विभिक्त है अर्थात :—

(१) पंजाब के मैदान और उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग,

(२) मुरादाबाद के उत्तरी-पश्चिमी भाग से लखनऊ के उत्तरी पश्चिमी भाग तक,

(३) बस्ती से पटना तक, और

(४) पटना के पूर्व से पुरनिया की सीमा तक, में, विशेषकर मुरादाबाद लखनऊ भाग में तेल प्राप्त होने की सम्भावना है।

रूस, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इत्यादि से विभिन्न विदेशी विशेषज्ञों ने भारत के तेल युक्त क्षेत्रों को देखा और तेल व प्राकृतिक गैस आयोग के साथ बहसें की। अल्प अवधियों के लिए इन्स्टीच्यूट फ्रांकायस ड्यू पैट्रोल (Institute Francais Du Petrol) और संयुक्त राज्य अमरीका के श्री हैनरी कार्टर राइ की सेवाएँ प्राप्त की गई। श्री आयान्कू होरोशेयू (Iancu Horatiu) पैट्रोलियम उद्योग के रूमानी उप मन्त्री (Rumanian Deputy Minister of Petroleum Industry) अक्तूबर, १९५७ में भारत आए और ज्वालामुखी में व्यधन गति बढ़ाने के लिए अनेक उपयोगी सुझाव दिए।

८ व्यधक (Drillers) जो दिसम्बर १९५६ में, प्रशिक्षण के लिए रूस गए थे, एक वर्ष के प्रशिक्षण उपरान्त भारत लौट आए। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग के ८ अधिकारी फ्रैंच पैट्रोलियम संस्था (French Petroleum Institute) में प्रशिक्षण ले रहे हैं। कोलम्बो योजना और टी० सी० एम सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत और भी प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्तियों को बाहर भेजने की आशा है। एक अन्य अधिकारी इसी हेतु संयुक्त राज्य अमरीका में है।

२. **हिन्द-स्टैंवाक पैट्रोलियम प्रयोजना (Indo-Stanvac Petroleum Project)**—इस प्रायोजना ने पश्चिमी बंगाल में १०,००० वर्ग मील के पढ़ने वाले क्षेत्र में तैल अन्वेषण जारी रखा।

वर्ष में दो परीक्षण कुएँ व्यधित किए गए और तीसरा व्यधित किया जा रहा है। उनके विवरण निम्नलिखित हैं :—

कूप का नाम	स्पाद्रण (स्पडिंग) की तिथि	पूर्ण होने की तिथि	कूप की गहराई
बर्दवान १०-१	१८-४-५७	९-८-५७	८९२१ फुट
गालसी १०-१	२७-८-५७	३-१०-५७	४२५० फुट
जालंगी	२४-११-५७	(अभी अपूर्ण)	

जनवरी, १९५८ में भूकम्पीय कार्य अधिक कर दिया गया है और दूसरा समुदाय कार्य में लगा दिया गया और कर्मचारियों और उपकरण के परिवहन के लिए ३ हैलीकौप-टरज अर्जित किए गए।

सन् १९५७-५८ में प्रायोजना में भारत सरकार ने ५०.८७ लाख रु० अंशदान दिया, अबतक भारत सरकार इस प्रयोजना में कुल १,१८,७२,८३६ रु० लगा चुकी है।

अध्याय ६

तेल शोधनशालायें व पैंट्रोलियम संभरण
(Oil Refineries and Petroleum Supplies)

मुद्रा कम्पनी का निर्माण—आसाम में नाहरकटिया, हुगरीजन और मोरान क्षेत्रों में अपरिष्कृत तेल के उत्पादन और परिवहन के लिए एक "मुद्रा कम्पनी" स्थापित करने के लिए ब्रिटिश तेल कम्पनी के साथ समझौता किया गया और सहमति को कार्यान्वित किया गया। समझौते के निबन्धनों के अनुसार आसाम में शीघ्र ही निजी समिति कम्पनी अर्थात "आयल इंडिया लि०" की स्थापना की जायगी और इसमें भारत सरकार ३३⅓ प्रतिशत पूंजी, अंशदान करेगी और शेष विदेशी विनिमय सहित ब्रिटिश तेल कम्पनी द्वारा लगाई जाएगी।

२. **नाहरकटया अपरिष्कृत तेल के लिए शोधनशालाओं की स्थापना**—आसाम के अपरिष्कृत तेल का शोधन करने के लिए सरकारी क्षेत्र में दो तेल शोधनशालायें स्थापित करने का निर्णय किया गया है। शोधनशालाओं के लिए प्रयोजना अध्ययनों के उपक्रमित करने के लिए एक विदेशी तकनीकी परामर्शक नियुक्त किया गया है। प्रयोजना प्रतिवेदनों के परीक्षण के पश्चात शोधनशालाओं की वास्तविक स्थिति, परिमाण और उत्पादन ढंगों पर निर्णय किया जायगा।

३. **विद्यमान तेल शोधनशालायें** : विसाखापटनम में मैसर्स कालटैक्स तेल शोधनशाला का निर्माण हो चुका है। दिनांक १५-४-१९५७ की शोधनशाला में कार्य आरम्भ हो गया और २०-१२-५७ से कार्य पूर्ण रूप से प्रगति पर है। समीक्षाधीन वर्ष में तीनों शोधन-शालाओं में, अर्थात स्टैन्डर्ड वैक्यूम, बर्मा शैल और कालटैक्स में निरन्तर उत्पादन बनाये रखा गया है।

सन् १९५९ तक स्टेन्डर्ड वैक्यूम शोधन कम्पनी के विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वित हो जाने की आशा है, फिर भी समीक्षाधीन वर्ष में शोधनशाला ने विद्यमान उपकरण के साथ पैगासोल (Pegasol) और सोवासाइड (Sovacide) की थोड़ी मात्राएं पैदा कर ली है और उत्पादन में ३० प्रतिशत वृद्धि करने के योग्य हो गई है।

देश में अभी भी मिट्टी का तेल, डीजल तेल, घर्षण-निरोधकों, (Lubricants) हवाई जहाजों का प्रैट्रोल, बिटुमन आदि की कमी है। आशा की जाती है कि नई दो शोधन-शालाओं द्वारा उत्पादन आरम्भ होने से यह कभी पर्याप्त दूर हो जायगी।

४. **पैट्रोलियम संभरण** (Petroleum Supplies) सन् १९५७ के मध्य में आरंभ हुई विसाखापटनम की कालटैक्स शोधनशाला द्वारा देश में पैंट्रोलियम पदार्थों की संभरण अवस्था सुधरी। प्राचीन ड़िगबोई शोधनशाला और तीन नई शोधनशालाओं द्वारा किए गए

उत्पादन ने केवल आयात निर्भरता (अपरिष्कृत को छोड़ कर, जो तीन शोधनशालाओं के लिए आयात करना ही पड़ता था) से ही छुटकारा नहीं मिला अपितु मोटर पैंट्रोल और भट्टी तेल की पर्याप्त मात्राओं का निर्यात करना भी संभव हो सका। समीक्षाधीन वर्ष में मोटर व पैंट्रोल और भट्टी तेल की लगभग निम्नलिखित मात्राओं का निर्यात करने की सिफारिश की गई है; —

मोटर पैंट्रोल	२४७-८०० टन (फरवरी, ५८ तक)
भट्टी तेल	२५०, ६०८ टन (फरवरी, ५८ तक)

इनके अतिरिक्त भारत पैराफीन वैक्स का भी निर्यात कर रहा है जो देशी अपरिष्कृत तेल से डिगबोई में पैदा किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि में लगभग २६,७३५ टन पैराफीन वैक्स निर्यात के लिए सिफारिश किया गया है।

५. **मूल्य**—मैसर्स वर्माशैल लि०, के निश्चित मूल्य स्टाक लेखे (Valued Stock Account) के अन्तर्गत कुछ एक पैंट्रोलियम पदार्थों के विक्रय मूल्य निश्चित हैं। कंपनी ने दिनांक ९-२-५७ को सरकार से मुख्य मुख्य पदार्थों के मूल्य वढ़ा देने की प्रार्थना की। मूल्य बढ़ाने का आधार मुख्यतः स्वेज झगड़े के कारण नौतल पर्यन्त निशुल्क (F. O.B.) कीमतों और समुद्री किरायों का बढ़ जाना व्यक्त किया। मैसर्स वर्मा शैल लि० के प्रस्ताव की सरकार ने परीक्षा की और दिनांक १३-५-५७ से मूल्यों में अंशता वृद्धि की अनुमति दी जो निम्नलिखित है :—

पदार्थ	एकक	दिनांक ९-२-५७ को बर्मा शैल द्वारा प्रस्तावित वृद्धि	दिनांक १३-५-५७ से सरकार द्वारा अनुदत्त वृद्धि
मोटर पैंट्रोल	१ गैलन	०—२-० रु०	०-१-० रु०
बढ़िया मिट्टी का तेल	८ भारतीय गैलन	०-१३-० रु०	०-६-० रु०
घटिया मिट्टी का तेल	,,	१—०—० रु०	०-७-० रु०
एच० एस० डी० तेल	१ गैलन	०—१—९ रु०	०-०-६ रु०
वाष्पन तेल (Vaporising oil light)	१ गैलन	०—१—५ रु०	०-०-६ रु०
डीजल तेल	प्रति टन	२०-१४- ० रु०	१०-०-० रू०
भट्टी तेल	प्रति टन	९—४—० रु०	४-८-० रु०

अधिक सन्तोषजनक मूल्यन विधि निकालने के लिए मैसर्स बर्मा शैल लि० द्वारा बहसें भी की जा रही हैं।

६. **आसाम में पैंट्रोलियम पदार्थों की दरों में कमी**—आसाम में दिनांक १५-१०-५७ से डिगबोई तिनसुकिया दरों से, स० प० नि० से दरें संयान पर्यन्त निशुल्क (F. O. R.) बजबज (कलकत्ता) दरों को सम करने के लिए कम की गई थी। यह कमी (F. O. R.) त्रिपुरा और मनीपुर राज्यों में भी साथ ही साथ हुई। अनुमान किया गया है कि इन राज्यों में पैंट्रोलियम पदार्थों की दरों में कमी के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष ५२ लाख रुपये का लाभ होगा। आसाम में मोटर पैंट्रोल के लिए निश्चित एक दर त्रिपुरा और मनीपुर के राज्यों को भी लागू हुई।

७. **तेल उद्योग प्रदाय समिति—(Oil Industry Supply Committee) और इसकी उप-समितियों की समाप्ति और रेलवे और अन्तर्देशीय पैंट्रोलियम वहन समिति (Railway and Inland Petroleum Movement Committee) का निर्माण**—तेल उद्योग प्रदाय समिति एक व्यापार समिति थी और व्यापार और सरकार में सहकारी एकक के रूप में कार्य करती रही और सरकार को पैंट्रोलियम उद्योग से सम्बन्धित सभी विषयों पर उपयोगी सूचनाएं प्रदान करती रही। इस समिति के 'दो प्रमुख भागीदारों के इसे छोड़ देने के कारण दिनांक १-९-१९५७ से इस समिति और इसकी उप-समितियों का अन्त करने का और सब मामलों पर, जिनसे उपयुक्त समिति सम्बन्धित थी, प्रत्येक तेल कम्पनियों से पृथक २ प्रत्यक्ष व्यवहार करने का निर्णय किया गया था। टैंक-वैगनों के परिवहन से सम्बन्धित मामलों में रेलवे को सहायता देने के दृष्टिकोण से एक केन्द्रीय समिति अर्थात् 'रेलवे व अन्तर्देशीय पैंट्रोलियम वहन समिति "की बम्बई में स्थापना की गई है और अल्पकाल में ही बन्दरगाहों पर इसकी उप-समितियों के निर्माण की सम्भावना है।

८. **तेल उद्योग को सामान्य सहायता**—देश में विदेशी विनिमय की अवस्था जटिल होने पर भी, तेल उद्योग के लिए आवश्यक पैंट्रोलियम और पदार्थ और अन्य आवश्यकताओं के आयात के लिए संतोषजनक प्रबन्ध करना संभव हो सका। इस्पात, सीमेंट, टिन वस्तरां आदि की प्राप्ति में भी सहायता दी गई, जिससे तेल उद्योग की आवश्यकतायें जहां तक सम्भव हो सके पूर्ण हों।

९. **संश्लिष्ट तेल प्रायोजना** (Synthetic Oil-Project) सरकार को संश्लिष्टतेल के निर्माण के लिए एक योजना बनाने का परामर्श देने के लिए सन् १९५४ में भारत सरकार ने एक समिति की स्थापना की और श्री के० डी० मालवीय को समिति का सभापति नियुक्त किया। मैसर्स लर्गी व हेनरिच कोपर, जर्मनी और मैसर्स कैलोग्स, संयुक्त राज्य अमरीका से प्रयोजना प्रतिवेदन प्राप्त भी किए गए थे। एक विशेष विशेषज्ञ समिति, जिसके सभापति डा० जे० सी० घोस थे, ने योजना को उपक्रमित करने की क्षमता की परीक्षा की और स्वीकृति के लिए कुछ योजनायें सरकार को प्रस्तावित की।

विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की सरकार ने परीक्षा की है। इन योजनाओं के अन्तर्गत एक दीर्घ कालीन और एक अल्प कालीन योजना है। प्रथम योजना के अन्तर्गत ६०० करोड़ रुपये की पूंजी द्वारा कम ताप कार्बनीकरण द्वारा ५० मिलियन टन घरेलू कोक, उप-सृष्ट तेलों, दर्शव (फिनोल) तारकोल इत्यादि का उत्पादन करना है। अल्प कालीन योजना में ८ मिलियन टन घरेलू कोक का उत्पादन और परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए उप-सृष्टों का प्रयोग करने की सिफारिश की गई।

परिशिष्ट १

राज्य कोयला खानों के खनन से लाभ व हानि

कोयला खान का नाम	१९५४-५५ लाभ (+) हानि (–)	१९५५-५६ लाभ (+) हानि (–)	१९५६-५७ (वास्तविक) (लाभ) (+) हानि (–)
१—कारगाली	(+) ६,५६,४२७	(+) २१,८३,१४९	(+) ४,९९,६९६- ९-०
२—बोकारो	(+) ८१,८३,१८२	(+) ६५,४१,५३०	(+) ७४,६८,७२९- ६-०
३—जरांगघी	(–) ३,०९,३४६	(+) ४०,३२४	(–) ६५,२६३-१३-०
४—स्वांग	(+) १,२१,०३४	(–) २,०४,२४८	(–) ९७,०३४-१२-८
५—कुरूबेरी	(–) २२,९२,९२६	(–) २४,८९,५१५	(–) २७,०९,१४०- ०-८
६—सीरामपुर	(–) २२,७१,०८१	(–) २४,५१,१४०	(–) २१,८८,७०१- ४-२
७—भुरकुण्डा	(–) ५८,१३६	(–) ३४,५२२	(–) ४७,१८१- ६-९
८—अरगादा	(–) ३,५४,९५८	(–) २,२२,७०३	(+) ६९,१२१- ६-१
९—तालचर	(–) ६,२९,०१५	(–) ५,६०,५६१	(–) ३,४८,५९९- ८-०
१०—दियुलबेरा	(–) ७,१७,०३८	(–) ३,००,३७७	(–) ३,७६,४९८- ६-९
११—कुरासिया	(+) ९,०७,९२७	(+) १०,०४,७२६	(+) १७,१३,९३८-१०-११
१२—प्रधान कार्यालय संगठन			(–) ६,९७,८७७-१२-७+
	(+) २९,९४,००२	(+) ३५,०६,६६३	(+) ३२,२१,१८८-१४-७*

+ दिनांक ३०-९-५६ तक प्रधान कार्य सिब्बन्दी के कारण हुआ व्यय पृथक लेखा शीर्ष अर्थात् ४३—उद्योग व संभरण (४३ Industries and Supplies) में डाला गया।

*लेखा परीक्षकों (Auditors) द्वारा प्रमाण पत्रण तक आंकड़े अन्तर्कालीन हैं।

परिशिष्ट २

सन् १९५२-५३ से १९५६-५७ के लिये ११ विद्यमान कोयला खानों का कोयला उत्पादन

कोयला खान	१९५२-५३ टन	१९५३-५४ टन	१९५४-५५ टन	१९५५-५६ टन	१९५६-५७ टन
१	२	३	४	५	६
१—कारमाली	६,०८,६७३	६,८५,९२२	६,५५,९१६	७,०१,३७३	६,९४,२५४
२—बोकारो	१४,९९,४८१	१३,८४,१३२	११,९७,९११	११,१४,२४०	११,००,०२०
३—जरांगधी	२७,७८८	३६,६०१	४५,६८८	७२,४८५	९५,५८४
४—स्वांग	६३,६१३	७५,९४४	८७,४२२	९३,४८३	१,१२,९८२
५—कुरासिया	२,३२,८८७	२,३०,५०९	२,८४,५०१	२,९३,७५६	३,३३ ५४६
६—अरगादा	९०,०७०	७६,८९४	४४,७८१	४६,६३७	६१,८१५
७—भुरकुन्डा	१,६८,२१२	१,४३,५८२	१,४४,७०५	१,४४,८४३	१,६०,६७९
८—तालचर	१,३३,९६७	१,२६,४३०	१,२८,०१७	१,३३,७४६	१,३७,३६६
९—दियूल बेरा	९०,२०७	९६,८६४	८३,८०८	८२,५२८	९०,२३१
१०—कुरहुरबेरी	१,१५,९४२	१,२२,२१३	१,४२,९६४	१,२१,०९८	१,७८,२९९
११—सीरामपुर	१,१६,६६४	९८,६४९	१,१३,१५०	१,११,४९०	१,३९,०७९
	३१,३९,९६७	३०,८६,२१५	२९,२९,८६३	२९,१५,६७९	३१,०३,८५५

भारत सरकार

इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय

(खान और ईंधन विभाग)

संक्षिप्त प्रतिवेदन, १९५७-५८

१. कोयला

(१) **संग्रहण और भेजना** :—१९५७ में लगभग ४३.२ मिलियन टन कोयले का संग्रहण किया गया और लगभग ३७.६ मिलियन टन कोयला भेजा गया। जबकि १९५६ में कोयले का एकत्रण ३९ मिलियन टन और कोयले का प्रेषण ३५ मिलियन टन था। १९५७ में प्रशासन क्षेत्र और व्यक्तिगत क्षेत्र में उत्पादन क्रमशः ३.३८ मिलियन टन और ४०.११ मिलियन टन रहा जबकि १९५६ में इन क्षेत्रों में उत्पादन क्रमशः २.९९ मिलियन टन और ३६.४४ मिलियन टन था।

(२) **परिवहन की स्थिति** :—१९५७ में बंगाल/बिहार में प्रति दिन औसतन ३६६९ रेल-डिब्बों पर माल लादा गया जबकि १९५६ में ३४०५ रेल-डिब्बों पर माल लादा गया था। बाहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन माल लादने की औसत १९५६ में ८५० डिब्बे थी जो १९५७ में ९०८ डिब्बों तक बढ़ गई।

(३) **निर्यात** :—१९५७ में कोयले का निर्यात १.७५ मिलियन टन था जबकि १९५६ में १.७३ मिलियन टन था।

(४) **द्वितीय योजना में उत्पादन** :—द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में कोयले का उत्पादन १९६०-६१ तक प्रतिवर्ष २२ मिलियन टन तक बढ़ाना है जिसमें से १० मिलियन टन व्यक्तिगत क्षेत्र में और १२ मिलियन टन प्रशासन क्षेत्र में बढ़ाया जायेगा। सबसेबाद की स्थिति के आधार पर यह आशा की जाती है कि १९६०-६१ तक प्रशासन क्षेत्र में १०.७८ मिलियन टन पहले से अधिक उत्पादन होगा जिसमें सिंगरैनी से १.१४ मिलियन टन उत्पादन भी सम्मिलित है। वर्तमान कोयला-खदानों से उत्पादन में वृद्धि के अतिरिक्त निम्न नये कोयला क्षेत्रों से भी अधिक उत्पादन करने की आशा है :—

(१) कोरबा
(२) कथारा
(३) गिडि (करनपुरा)
(४) कोरिया
(५) बचरा/सौंधा

परिशिष्ट २

...ला खानों का कोयला उत्पादन

	१९५५-५६ टन	१९५६-५७ टन
	५	६
	७,०१,३७३	६,९४,२५४
	११,४४,२४०	११,००,०२०
	७२,४२५	९५,५२४
	९३,४८३	१,१२,९८२
	२,९३,७५६	३,३३,५४६
	४६,६३७	६१,८९५
	१,४४,८४३	१,६०,३६१
	१,३३,७४६	१,३७,३६६
	८२,५२८	१०,२३२
	१,२२,०१८	१,७८,२२२
	१,११,४२०	१,३९,०६९
	२९,२५,६७१	३१,०३,८५५

...किया गया। इस एक्ट में ... ने यह अधिकार दे दिया है कि वह उन कोयले वाले क्षेत्रों को अपने नियन्त्रण में ले सकती है जिन पर अभी तक काम नहीं किया गया है और जो खनि-पट्टों और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत दिये हुए हैं। इस एक्ट के भाग ९ के अन्तर्गत कथारा क्षेत्र (पूर्वी बोकारो), और गिडी-सौंधा क्षेत्र (करनपुरा) में कुछ भूमि लेने के लिये अधिसूचना (Notification) जारी कर दी गई है और भूमि पर अधिकार कर लिया गया है। ता० १६-१२-५७ को कथारा में काम शुरू किया गया था और ६ लाख घन फुट पर से अधिक भार हटा दिया गया है।

(७) **प्रशिक्षण स्कूल** :—लगभग ४५० जूनियर कर्मचारियों के लिए खोले गये चार खान प्रशिक्षण स्कूलों ने एक साल समाप्त कर लिया है। दूसरे साल के लिए प्रशिक्षार्थियों को भरती किया जा रहा है।

(८) **कोयला धोने के संयंत्र** (Coal Washing Plant):—प्रति घण्टा ५०० टन की ताकत वाला एक कोयला धोने का संयंत्र बोकारो/करगली कोयला खान क्षेत्र में इन कोयला खानों के सारे उत्पादन को धोने के लिए बनाया जा रहा है। यह लगभग अब पूरा होने वाला है और मार्च १९५८ के अन्त तक इसके आयोग में आने की सम्भावना है।

(९) **परिवहन परियोजना** :—नई कोयला खानों को विकसित करने के लिए आवश्यक मुख्य रेल-परियोजनायें अनुमोदित कर दी गईं और कुछ पर काम पहले ही शुरू कर दिया गया है।

(१०) **कर्मचारियों के लिए क्वार्टर** :—कई जगह निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जो योजनायें पहले ही स्वीकृत कर दी गई हैं, विशेषतया कथारा, गिडि और सौंधा में, उनके अन्तर्गत शुरू किये गये १२० खनिकों के क्वार्टरों का और अन्य निर्माण कार्य के ... १९५८ तक पूरे होने की ...

(११) **कोयला बोर्ड** :—१९५७-५८ में कोयला बोर्ड ने सुरक्षा और संरक्षण तथा ... लिए क्षेप्य भरण (Stowing) का कार्य पूरा करने को कोयला खानों को सहायता ...। इसने क्षेप्यभरण संयन्त्र (Stowing Plant) स्थापित करने के लिए ... रूप में सहायता देना जारी रखा। बोर्ड ने कोयला खानों और ... कोयला खानों में सफाई (Depillaring) ... विषयों पर कार्य भी किया। ...Metallur-

इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय
(खान और ईंधन विभाग)

...१९५७ को बैठक हुई। ... द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोयले के उत्पादन की रिपोर्टों पर विचार किया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोयले के उत्पादन की प्रगति का पुनरावलोकन भी किया। परिषद ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कोयले के उत्पादन का उपयुक्त टारगैट निश्चित करने के प्रश्न पर भी बातचीत की। यह महसूस किया गया कि यह टारगैट अभी तो अस्थायी रहने चाहियें।

(१३) **कोयले के मूल्य** :—मजदूर पुनः विचार न्यायाधिकरण (Labour Appellate Tribunal) के निर्णय को लागू करने की लागत पूरा करने के लिए आसाम के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों से प्राप्त कोयले और हार्ड कोक (Hard Coke) की कीमतें ता० ८-७-१९५७ से समान रूप से क्रमशः १ रुपया ८ आना और २ रुपया ८ आना प्रति टन बढ़ा दी गई। कोयले और कोक की कीमत के सम्बन्ध में सलाह देने और इसके अध्ययन के लिए सरकार द्वारा बनाई कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति ने अपना विचार-विमर्श जारी रखा। यह आशा की जाती है कि यह समिति सरकार को शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

२. लिगनाइट (Lignite)

पहले प्रयोग में आनेवाली मशीनरी की मदद से २०-५-५७ से ३१-१२-५७ तक पहली काटी हुई खान से कुल १७.६५ घन गज पर से अतिभार हटा दिया गया है। विशिष्ठ खान मशीनरी का पहला अदद निश्चित स्थान पर पहुँच चुका है और यह शीघ्र ही स्थापित कर दी जायेगी। खुदाई की सर्वोत्तम प्रणाली निश्चित करने के लिए १९५७-५८ में नल कूप और प्रेक्षण कूप की मदद से किये गये खुदाई प्रयोग और भूस्थित जल नियन्त्रण के लिये आवश्यक कुओं की चिनाई का कार्य प्रगति पर है।

२५०,००० किलोवाट (K.W.) बिजली उत्पन्न करने वाला नयवैली तापीय

कोरबा कोयला क्षेत्रों के एक भाग के विकास के लिए नवम्बर, १९५७ में हुए भारत-रूस ऋण समझौते के अन्तर्गत सर्वश्री टैक्नो-निर्यात, मास्को से एक समझौता किया गया। अतः यह सम्भावना है कि १९६०-६१ तक प्रशासन क्षेत्र में कुल उत्पादन ११.७८ मिलियन टन तक पहुंच जायेगा जबकि इसका टारगेट (Target) १२ मिलियन टन निश्चित किया गया है।

(५) **व्यक्तिगत क्षेत्र में कोयले का उत्पादन** :—द्वितीय योजना के अन्तर्गत २२ मिलियन टन कोयले के अधिक उत्पादन के टारगैट में से १० मिलियन टन व्यक्तिगत क्षेत्र को दिया गया है। यह उत्पादन रानीगंज, झरिया, करनपुरा और केन्द्रीय भारत कोयला-क्षेत्रों से प्राप्त किया जायेगा। कुछ और सम्भाव्यताओं पर राष्ट्रीय-कोयला विकास निगम विचार कर रहा है।

(६) **कोयले वाले क्षेत्र (प्राप्ति और विकास) एक्ट, १९५७** :—यह एक्ट मई, १९५७ में पास किया गया था और जून, १९५७ में लागू किया गया। इस एक्ट में केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दे दिया है कि वह उन कोयले वाले क्षेत्रों को अपने नियन्त्रण में ले सकती है जिन पर अभी तक काम नहीं किया गया है और जो खनि-पट्टों और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत दिये हुए हैं। इस एक्ट के भाग ९ के अन्तर्गत कथारा क्षेत्र (पूर्वी बोकारो), और गिडी-सौंधा क्षेत्र (करनपुरा) में कुछ भूमि लेने के लिये अधिसूचना (Notification) जारी कर दी गई है और भूमि पर अधिकार कर लिया गया है। ता० १६-१२-५७ को कथारा में काम शुरू किया गया था और ६ लाख घन फुट पर से अधिक भार हटा दिया गया है।

(७) **प्रशिक्षण स्कूल** :—लगभग ४५० जूनियर कर्मचारियों के लिए खोले गये चार खान प्रशिक्षण स्कूलों ने एक साल समाप्त कर लिया है। दूसरे साल के लिए प्रशिक्षार्थियों को भरती किया जा रहा है।

(८) **कोयला धोने के संयंत्र** (Coal Washing Plant):—प्रति घण्टा ५०० टन की ताकत वाला एक कोयला धोने का संयंत्र बोकारो/करगली कोयला खान क्षेत्र में इन कोयला खानों के सारे उत्पादन को धोने के लिए बनाया जा रहा है। यह लगभग अब पूरा होने वाला है और मार्च १९५८ के अन्त तक इसके आयोग में आने की सम्भावना है।

(९) **परिवहन परियोजना** :—नई कोयला खानों को विकसित करने के लिए आवश्यक मुख्य रेल-परियोजनायें अनुमोदित कर दी गई और कुछ पर काम पहले ही शुरू कर दिया गया है।

(१०) **कर्मचारियों के लिए क्वार्टर** :—कई जगह निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जो योजनायें पहले ही स्वीकृत कर दी गई हैं, विशेषतया कथारा, गिडि और सौंधा में, उनके अन्तर्गत शुरू किये गये १२० खनिकों के क्वार्टरों का और अन्य निर्माण कार्य के अप्रैल या मई १९५८ तक पूरे होने की आशा है।

(११) **कोयला बोर्ड** :—१९५७-५८ में कोयला बोर्ड ने सुरक्षा और संरक्षण तथा रक्षण के लिए क्षेप्य भरण (Stowing) का कार्य पूरा करने को कोयला खानों को सहायता देना जारी रखा। इसने क्षेप्यभरण संयन्त्र (Stowing Plant) स्थापित करने के लिए कोयला खानों को ऋण के रूप में सहायता देना जारी रखा। बोर्ड ने कोयला खानों और पट्टियों (Seams) के खोलने और पुनः खोलने, कोयला खानों में सफाई (Depillaring) का काम तथा कोयले के संरक्षण के अन्य प्रयत्नों से सम्बन्धित विषयों पर कार्य भी किया। हरेक कोयला खान के लिए उत्पादन की सीमा निश्चित कर धातु कार्मिक (Metallurgical) कोयले के उत्पादन की स्थिरता, जो १९५२ में लागू की गयी थी, १९५७ में भी जारी रखी गई। कोयला उत्पादन को बनाये रखने के लिये झरिया और रानी गंज क्षेत्रों में कोयले. की खानों का बड़े पैमाने पर क्षेप्यभरण (Stowing) की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने दोनों क्षेत्रों में क्षेप्यभरण की केन्द्रीय योजना बनाने के लिए खनि इन्जीनियरों की दो समितियाँ नियुक्त कीं।

(१२) **भारतीय कोयला परिषद्**—भारतीय कोयला परिषद की २७, दिसम्बर, १९५७को बैठक हुई। जिसमें इसने आमतौर पर अपनी चार समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक रिपोर्टों पर विचार किया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोयले के उत्पादन की प्रगति का पुनरावलोकन भी किया। परिषद ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कोयले के उत्पादन का उपयुक्त टारगैट निश्चित करने के प्रश्न पर भी बातचीत की। यह महसूस किया गया कि यह टारगैट अभी तो अस्थायी रहने चाहियें।

(१३) **कोयले के मूल्य**:—मजदूर पुनः विचार न्यायाधिकरण (Labour Appellate Tribunal) के निर्णय को लागू करने की लागत पूरा करने के लिए आसाम के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों से प्राप्त कोयले और हार्ड कोक (Hard Coke) की कीमतें ता० ८-७-१९५७ से समान रूप से क्रमशः १ रुपया ८ आना और २ रुपया ८ आना प्रति टन बढ़ा दी गई। कोयले और कोक की कीमत के सम्बन्ध में सलाह देने और इसके अध्ययन के लिए सरकार द्वारा बनाई कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति ने अपना विचार-विमर्श जारी रखा। यह आशा की जाती है कि यह समिति सरकार को शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

२. लिगनाइट (Lignite)

पहले प्रयोग में आनेवाली मशीनरी की मदद से २०-५-५७ से ३१-१२-५७ तक पहली काटी हुई खान से कुल १७.६५ घन गज पर से अतिभार हटा दिया गया है। विशिष्ठ खान मशीनरी का पहला अदद निश्चित स्थान पर पहुँच चुका है और यह शीघ्र ही स्थापित कर दी जायेगी। खुदाई की सर्वोत्तम प्रणाली निश्चित करने के लिए १९५७-५८ में नल कूप और प्रेक्षण कूप की मदद से किये गये खुदाई प्रयोग और भूस्थित जल नियन्त्रण के लिये आवश्यक कुओं की चिनाई का कार्य प्रगति पर है।

२५०,००० किलोवाट (K.W.) बिजली उत्पन्न करने वाला नयवैली तापीय

कोरबा कोयला क्षेत्रों के एक भाग के विकास के लिए नवम्बर, १९५७ में हुए भारत-रूस ऋण समझौते के अन्तर्गत सर्वश्री टैक्नो-निर्यात, मास्को से एक समझौता किया गया। अतः यह सम्भावना है कि १९६०-६१ तक प्रशासन क्षेत्र में कुल उत्पादन ११.७८ मिलियन टन तक पहुंच जायेगा जबकि इसका टारगेट (Target) १२ मिलियन टन निश्चित किया गया है।

(५) **व्यक्तिगत क्षेत्र में कोयले का उत्पादन** :—द्वितीय योजना के अन्तर्गत २२ मिलियन टन कोयले के अधिक उत्पादन के टारगैट में से १० मिलियन टन व्यक्तिगत क्षेत्र को दिया गया है। यह उत्पादन रानीगंज, झरिया, करनपुरा और केन्द्रीय भारत कोयला-क्षेत्रों से प्राप्त किया जायेगा। कुछ और सम्भाव्यताओं पर राष्ट्रीय-कोयला विकास निगम विचार कर रहा है।

(६) **कोयले वाले क्षेत्र (प्राप्ति और विकास) एक्ट, १९५७** :—यह एक्ट मई, १९५७ में पास किया गया था और जून, १९५७ में लागू किया गया। इस एक्ट में केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दे दिया है कि वह उन कोयले वाले क्षेत्रों को अपने नियन्त्रण में ले सकती है जिन पर अभी तक काम नहीं किया गया है और जो खनि-पट्टों और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत दिये हुए हैं। इस एक्ट के भाग ९ के अन्तर्गत कथारा क्षेत्र (पूर्वी बोकारो), और गिडी-सौंधा क्षेत्र (करनपुरा) में कुछ भूमि लेने के लिये अधिसूचना (Notification) जारी कर दी गई है और भूमि पर अधिकार कर लिया गया है। ता० १६-१२-५७ को कथारा में काम शुरू किया गया था और ६ लाख घन फुट पर से अधिक भार हटा दिया गया है।

(७) **प्रशिक्षण स्कूल** :—लगभग ४५० जूनियर कर्मचारियों के लिए खोले गये चार खान प्रशिक्षण स्कूलों ने एक साल समाप्त कर लिया है। दूसरे साल के लिए प्रशिक्षार्थियों को भरती किया जा रहा है।

(८) **कोयला धोने के संयंत्र (Coal Washing Plant)** :—प्रति घण्टा ५०० टन की ताकत वाला एक कोयला धोने का संयंत्र बोकारो/करगली कोयला खान क्षेत्र में इन कोयला खानों के सारे उत्पादन को धोने के लिए बनाया जा रहा है। यह लगभग अब पूरा होने वाला है और मार्च १९५८ के अन्त तक इसके आयोग में आने की सम्भावना है।

(९) **परिवहन परियोजना** :—नई कोयला खानों को विकसित करने के लिए आवश्यक मुख्य रेल-परियोजनायें अनुमोदित कर दी गई और कुछ पर काम पहले ही शुरू कर दिया गया है।

(१०) **कर्मचारियों के लिए क्वार्टर** :—कई जगह निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जो योजनायें पहले ही स्वीकृत कर दी गई हैं, विशेषतया कथारा, गिडि और सौंधा में, उनके अन्तर्गत शुरू किये गये १२० खनिकों के क्वार्टरों का और अन्य निर्माण कार्य के अप्रैल या मई १९५८ तक पूरे होने की आशा है।

(११) **कोयला बोर्ड** :—१९५७-५८ में कोयला बोर्ड ने सुरक्षा और संरक्षण तथा रक्षण के लिए क्षेप्य भरण (Stowing) का कार्य पूरा करने को कोयला खानों को सहायता देना जारी रखा। इसने क्षेप्यभरण संयन्त्र (Stowing Plant) स्थापित करने के लिए कोयला खानों को ऋण के रूप में सहायता देना जारी रखा। बोर्ड ने कोयला खानों और पट्टियों (Seams) के खोलने और पुनः खोलने, कोयला खानों में सफाई (Depillaring) का काम तथा कोयले के संरक्षण के अन्य प्रयत्नों से सम्बन्धित विषयों पर कार्य भी किया। हरेक कोयला खान के लिए उत्पादन की सीमा निश्चित कर धातु कार्मिक (Metallurgical) कोयले के उत्पादन की स्थिरता, जो १९५२ में लागू की गयी थी, १९५७ में भी जारी रखी गई। कोयला उत्पादन को बनाये रखने के लिये झरिया और रानीगंज क्षेत्रों में कोयले की खानों का बड़े पैमाने पर क्षेप्यभरण (Stowing) की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने दोनों क्षेत्रों में क्षेप्यभरण की केन्द्रीय योजना बनाने के लिए खनि इन्जीनियरों की दो समितियाँ नियुक्त कीं।

(१२) **भारतीय कोयला परिषद्**—भारतीय कोयला परिषद की २७, दिसम्बर, १९५७को बैठक हुई। जिसमें इसने आमतौर पर अपनी चार समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक रिपोर्टों पर विचार किया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोयले के उत्पादन की प्रगति का पुनरावलोकन भी किया। परिषद ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कोयले के उत्पादन का उपयुक्त टारगैट निश्चित करने के प्रश्न पर भी बातचीत की। यह महसूस किया गया कि यह टारगैट अभी तो अस्थायी रहने चाहियें।

(१३) **कोयले के मूल्य** :—मजदूर पुनः विचार न्यायाधिकरण (Labour Appellate Tribunal) के निर्णय को लागू करने की लागत पूरा करने के लिए आसाम के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों से प्राप्त कोयले और हार्ड कोक (Hard Coke) की कीमतें ता० ८-७-१९५७ से समान रूप से क्रमशः १ रुपया ८ आना और २ रुपया ८ आना प्रति टन बढ़ा दी गई। कोयले और कोक की कीमत के सम्बन्ध में सलाह देने और इसके अध्ययन के लिए सरकार द्वारा बनाई कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति ने अपना विचार-विमर्श जारी रखा। यह आशा की जाती है कि यह समिति सरकार को शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

२. लिगनाइट (Lignite)

पहले प्रयोग में आनेवाली मशीनरी की मदद से २०-५-५७ से ३१-१२-५७ तक पहली काटी हुई खान से कुल १७.६५ घन गज पर से अतिभार हटा दिया गया है। विशिष्ठ खान मशीनरी का पहला अदद निश्चित स्थान पर पहुँच चुका है और यह शीघ्र ही स्थापित कर दी जायेगी। खुदाई की सर्वोत्तम प्रणाली निश्चित करने के लिए १९५७-५८ में नल कूप और प्रेक्षण कूप की मदद से किये गये खुदाई प्रयोग और भूस्थित जल नियन्त्रण के लिये आवश्यक कुओं की चिनाई का कार्य प्रगति पर है।

२५०,००० किलोवाट (K.W.) बिजली उत्पन्न करने वाला नयवैली तापीय

बिजली केन्द्र ५०० मिलियन रूबल रूसी दीर्घकालीन ऋण से स्थापित किया जायेगा। भारतीय विशेषज्ञों के सहयोग से रूसी विशेषज्ञ बिजली केन्द्र के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और आवश्यक उपकरणों के नमूने निश्चित करने का कार्य करेंगे।

सरकार ने प्रति वर्ष १,५२,००० टन यूरिया (Urea) के उत्पादन के लिये नयवैली में २१ करोड़ रुपये अनुमानित लागत वाला एक खाद संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। लेकिन यह उस समय स्थापित किया जायेगा जब इसकी विदेशी मुद्रा की आवश्यकतानुसार काफी ऋण सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

नयवैली लिगनाइट के परीक्षणों के लिये टी० सी० एम० (T.C.M.) सहायता के अन्तर्गत जो पायलट ब्रिक्वेटिंग प्लाँट दिया गया था वह स्थापित करने के स्थान पर पहुँच गया है और अब इसको स्थापित किया जा रहा है।

नयवैली में स्थायी नगर के लिये योजनाएँ पूरी कर दी गई हैं और १९५८-५९ में १ करोड़ रुपये से भी अधिक लागत के मकान बनाये जायेंगे। खनन और अन्य संविधान योजनाओं के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्तियाँ तेजी से की जा रही हैं। परियोजना के लिए आवश्यक भूमि ले लेने से जो मनुष्य बे घरबार कर दिये गये हैं उनको पुनः बसाने के लिए भी कदम उठाये गये।

३. खानें (Mines)

(१) **भारतीय खनि विभागः**—भारतीय खनि विभाग के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में २१४ लाख रुपये की लागत की विस्तार-योजना का अनुमोदन कर दिया गया है ताकि इस विभाग को जो काम सौंपे गये हैं उनको पूरा करने के लिए वह नवीनतम उपकरण (Equipment) खरीद सके और आवश्यक कर्मचारी नियुक्त कर सके। इस योजना का उद्देश्य खुदाई और अन्य नवीनतम उपकरण, प्रयोगशाला की अधिक सुविधायें और अधिक उपयुक्त कर्मचारी वर्ग प्रदान करना है। पुनरावलोकित वर्ष में विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में कोयले, दरीबों और खेतरी में तांबे और अलमोड़ा में मैंग्नेजाइट के लिये खोज के अपने काम जारी रखे। दिसम्बर, १९५७ के अन्त तक कोयले के लिये लगभग कुल २,६४,००० फुट पर खुदाई की गई और ५.२९ मिलियन (Million) टन कोयले की मात्रा प्रमाणित की गई। इस वर्ष पाइराईट (Pyrites) के लिए अनुसंधान शुरू किया गया जिसका कार्य प्रगतिशील है।

यह विभाग कोयले के पाये जाने की सम्भावना और खेतरी तथा दरीबों में ताँबे के अनुसंधान से सम्बन्धित अपने हाथ में लिये हुए काम को जारी रखेगा। विभाग शायद तांबे और हीरों के भूभंडारों की सम्भाव्यताओं का निर्धारण करने के उद्देश्यों से आन्ध्र के धनी स्थान पर कच्चे तांबे और पन्ना में हीरे के भूभण्डारों के लिए खोज का कार्य भी करेगा।

(२) **उड़ीसा खान निगम** (Orissa Mining Corporation) :—उड़ीसा खान निगम को जो १६ मई, १९५६ को केन्द्रीय सरकार (वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय) और उड़ीसा की सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में संगठित किया गया था और जिसका उद्देश्य बेचने या बाहर भेजने के लिए उड़ीसा राज्य में कच्चे लोहे और अन्य खनिज पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाना, इकट्ठा करना और उनको एक जगह से दूसरी जगह लाना लेजाना था, ३१-१२-५७ से खान और ईंधन विभागके नियन्त्रण में ले लिया गया है। निगम ने जून १९५८ के अन्त तक २०,००० टन कच्चे लोहे की सप्लाई के लिये "राज्य व्यापार निगम" से समझौता कर लिया है।

(३) **भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग** (Geological Survey of India) आन्ध्र, असम, बिहार, बम्बई, मध्यप्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश और पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में लगभग ३,५०० वर्गमील पर वर्गीकृत भूगर्भीय मानचित्रकारी पूरी कर दी गई थी। बिहार, मध्यप्रदेश, मैसूर और राजस्थान के महत्वपूर्ण खनिजों से युक्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विस्तृत मानचित्रकारी का कार्य किया गया।

"भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग" के "इन्जीनियरी भौवृत्तिकी अनुभाग" ने पूर्वी पंजाब में भाकड़ा नांगल, उत्तर प्रदेश में रिहण्ड और रामगंगा, आन्ध्रप्रदेश में नागार्जुनसागर, बम्बई में कोयना और जम्मू और काश्मीर में बनीहाल सुरंग में बांध, सुरंग और पुलों इत्यादि के स्थानीयकरण, नींव, अन्वेषण और निर्माण से सम्बन्धित, कई क्षेत्रीय अनुसंधान किये।

आगामी वर्ष के कार्यक्रम (या प्रस्तावित कार्य) में आर्थिक खनिज पदार्थ, भूस्थिल जल की खोजें और इन्जीनियरी भौवृत्तिकी समस्यायें और विस्तृत मानचित्रकारी का मौलिक और आधारभूत कार्य सम्मिलित है।

४. तेल

(१) **रुपया कम्पनी का प्रवर्तन** :—आसाम के नाहरकाटिया, हग्रीजन और मोरान क्षेत्रों में कच्चे तेल के उत्पादन और परिवहन के लिये एक "रुपया कम्पनी" स्थापित करने के प्रश्न पर बी० ओ० सी० (B.O.C.) से बात चीत कर ली गई है और एक समझौता भी हो गया है। समझौते की शर्तों के अनुसार आसाम में शीघ्र ही एक "तेल भारत प्राईवेट लि०" (Oil India Private Ltd.) नामक कम्पनी संगठित की जायेगी। भारत सरकार इस कम्पनी को ३३.१/३ प्रतिशत आवश्यक पूंजी देगी और बाकी बी० ओ० सी० (B.O.C.) द्वारा दी जायेगी। जिसमें आवश्यक विदेशी विनिमय भी सम्मिलित है।

(२) **नए तेल की स्थापना** :—**नाहरकाटिया के कच्चे तेल के लिये परिष्करणियां** (Refineries):— आसाम के कच्चे तेल को साफ करने के लिये प्रशासन क्षेत्र में ही तेल परिष्करणियां स्थापित करने का निर्णय कर दिया गया है। परिष्करणियों के लिये परियोजना अध्ययन करने को एक विदेशी तकनीकी परामर्शदाता नियुक्त कर दिया गया है।

इन परिष्करणियों के उत्पादन के नमूने, इनके वास्तविक आकार और स्थानीयकरण के निश्चयका प्रश्न इन परियोजनाओं की रिपोर्टों की जांच के बाद किया जायेगा।

(३) **तेल परिष्करणियां** (Refineries)—"सर्वश्री काल्टैक्स तेल परिष्करणी' (M/s Caltex Oil Refineries) का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस परिष्करणी में १५-४-५७ से काम शुरू किया गया था और २०-१२-५७ से काम पूरे पैमाने पर किया जा रहा है। पुनरावलोकित वर्ष में स्टैन्डर्ड वैक्यूम, (Standard Vacuum) बर्मा शैल (Burma shell) और काल्टैक्स (Caltex) नामक तीनों परिष्करणियों में लगातार उत्पादन बनाये रखा गया।

स्टैन्डर्ड वैक्यूम परिष्करणी कम्पनी को विस्तार कार्यक्रम के १९५९ तक पूरे होने की आशा है। फिर भी, पुनरावलोकित वर्ष में वर्त्तमान उपकरणों की मदद से परिष्करणी से पैगासोल (Pagasol) और सोवासाइड (Sovacide) की थोड़ी थोड़ी मात्रा उत्पादन की गई और उनका ३० प्रतिशत उत्पादन बढ़ा। यह आशा की जाती है कि परिष्करणी शायद १९५८ में एल. पी. जी. (L.P.G.) पैदा कर सकेगी।

देश में अब भी मिट्टी का तेल, डीजल आयल लुब्रीकैन्ट्स (Diesel oil Lubricants) एवियेशन स्प्रीट (Aviation spirit) बिटुमन (Bitumen) इत्यादि की कमी है। यह आशा की जाती है कि जब दो परिष्करणियों में उत्पादन शुरू हो जायेगा तो ये त्रुटियां कम हो जायेंगी।

(४) **पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात**—तीन नई परिष्करणियों और डिगबोई में स्थित एक पुरानी परिष्करणी के उत्पादन से न केवल आयात (कच्चे तेल के अतिरिक्त जो नई परिष्करणियों को चलाने के लिये आयात करना पड़ेगा) कम करने में मदद मिली बल्कि मोटर स्प्रीट और फरनेस आयल (furnace oil) का जो हिस्सा हमारी आवश्यकता पूरी होने के बाद बचता था, निर्यात करना भी सुगम हो गया। स्वदेशी कच्चे तेल से डिगबोई की परिष्करणी में तैयार मोमबती के मोम (Paraffin wax) को ठीक तादाद में निर्यात करना भी सम्भव हुआ। बाद में भी ऐसे निर्यात जारी रखने की आशा है जिससे विदेशी मुद्रा देश में लाने में सहायता मिलेगी।

(५) **मूल्य**—स्वेज संकट के कारण जहाज पर माल लाने के दाम बढ़ जाने की वजह से पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को कुछ बढ़ाने के लिये सर्वश्री बर्मा शैल लि० फरवरी, १९५७ में सरकार के पास पहुंचे। उनके प्रस्तावों की जांच की गई और कीमतों में कुछ तेजी के लिये मंजूरी दी गई जो १३ मई, १९५७ से लागू हो गई। क्योंकि पैट्रोलियम उत्पादों की मौजूदा कीमतें ठीक करने का ब्योरा सन्तोषजनक नहीं था इसलिये अधिक सन्तोष जनक कीमतें लागू करने के उद्देश्य से सर्वश्री बर्मा-शैल लि० के साथ बातचीत शुरू की गई। ये बातचीत अभी जारी है।

(६) **भारत-स्टान्वैक पैट्रोलियम परियोजना**—सरकार ने १९५७-५८ में परियोजना को ५०.८७ लाख रुपया दिया। जांच के लिये दो खनक (drills) खोदे गये और तीसरे का काम प्रगति पर है। तेल खोजने के लिये भूकम्प सम्बन्धी काम तेजी से किये गये और एक दूसरी भूकम्प सम्बन्धी पार्टी बनाई गई और कर्मचारियों तथा उपकरणों को लाने लेजाने लिये तीन हैलीकोपटर्स (Helicopters) की प्राप्ति की गई।

(७) **तेल और प्राकृतिक गैस आयोग**—ज्वालामुखी में परीक्षणीय कुआं न० १ की खुदाई का काम १-४-५७ को शुरु किया गया था और जनवरी के अन्त तक कुएं की गहराई १८४३.५ मीटर तक पहुँच गई थी। इस वर्ष में होशियारपुर, कैम्बे और जनौरी में खुदाई का काम शुरू करने का प्रस्ताव है। बहल में रचनात्मक खुदाई का काम भी किया गया। १५ भूगर्भीय, ८ आकर्षण व चुम्बकीय और ६ भूकम्प सम्बन्धी पार्टियां पंजाब, जैसलमेर, कैम्बे, कच्छ, यू. पी. और आसाम में चालू वर्ष के क्षेत्र में काम करने के मौसम में भूगर्भीय, भूभौतिकी सर्वेक्षण कर रही हैं।

पैट्रोलियम भौवृत्तिकी इत्यादि के सम्बन्ध में आयोग को सलाह देने के लिये थोड़ेसमय के लिए "फ्रान्सिस डी पैट्रोल संस्था" के डा० द्रम्पी और संयुक्त राज्य अमेरिका के श्री हैन्ट्री कारटर री की सेवायें प्राप्त की गई।

दिसम्बर, १९५६ में प्रशिक्षण के लिये जो ८ खनक (drillers) रूस गये थे वे प्रशिक्षण लेकर लौट आये हैं। आयोग के अन्य ८ आफिसर "फ्रैंच पेट्रोलियम संस्था" में और अन्य आफिसर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और अधिक आफिसरों को प्रशिक्षण के लिये रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका भेजने की आशा है।

(८) **बनावटी तेल परियोजना**—डा० जे. सी. घोष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति ने उपोत्पाद तेलों, फिनोल (Phenols) और सड़क के तारकोल इत्यादि के उत्पादन के साथ साथ निम्न तापमान कार्बनीकरण (Low temperature Carbonisation) द्वारा साफ्ट कोक के उत्पादन के लिये एक अल्प कालीन और एक दीर्घकालीन योजनाओं की सिफारिश की सरकार इन योजनाओं को समर्थ समझती है परन्तु विदेशी मुद्रा और रुपया संसाधनों को प्राप्त करने की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये इन योजनाओं को कोई धनराशि देना सम्भव नहीं हुआ।

CPSISJ149—विश्व भारतीय प्रेस, पहाड़गंज, नई दिल्ली—2400

भारत सरकार

इस्पात खान और ईंधन मन्त्रालय

लोहा और इस्पात विभाग

संक्षिप्त कार्य विवरण

१९५७-५८

संगठन—१७ अप्रैल १९५७ को नए मन्त्रीमण्डल के निर्माण के फलस्वरूप लोहा
और इस्पात मन्त्रालय का पुर्ननिर्माण इस्पात, खान ओर ईंधन मन्त्रालय के लोहा और
इस्पात विभाग के रूप में हुआ। भूतपूर्व लोहा और इस्पात मन्त्रालय के रूरकेला, भिलाई
और दुर्गापुर और मैसूर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स, कार्यों के साथ साथ ही इस विभाग को
उद्योग एवं वाणिज्य मन्त्रालय से, निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों से सम्बन्धित कार्य री-
रोलिंग इण्डस्ट्रीज, दी फैरो-एलाय इण्डस्ट्रीज और आफिस आफ आइरन एण्ड स्टील कण्ट्रो-
लर, हस्तांत्रित कर दिए गए थे। विभाग का सचिवालय छोटा ही रहा जिसमें एक सचिव
दो उपसचिव तथा चार अवर सचिव हैं।

मार्च १९५७ के अन्त तक भिलाई और दुर्गापुर प्रायोजनाओं के आरम्भिक कार्य
समाप्त हो चुके थे। संयंत्र तथा मशीनों के लिए आर्डर दिये जा चुके थे और संयंत्रों के
मुख्य अनुभागों में सिविल इन्जीनियरी से सम्बन्धित कार्यों के प्रबन्ध हो चुके थे। सरकार
ने विचार किया कि इस समय के बाद यदि तीनों इस्पात प्रायोजनाओं को एक एकीकृत
कम्पनी के प्रबन्ध के अधीन कर दिया जाय तो यह लाभदायक होगा। फलस्वरूप १ अप्रैल
१९५७ को भिलाई और दुर्गापुर प्रायोजनाओं को हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड को
हस्तांत्रित कर दिया गया।

भारत सरकार के भिलाई तथा दुर्गापुर प्रायोजनाओं को हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट)
लिमिटेड को हस्तांत्रण के निर्णय के फलस्वरूप उस कम्पनी के संघ के अनुच्छेदों को सम्यक
रूप से संशोधित किया गया तथा डाइरेक्टरों के बोर्ड का भी पुर्ननिर्माण किया गया। कंपनी
की अधिकृत पूँजी बढ़ाकर ३०० करोड़ कर दी गई।

प्रगति की समीक्षा—सन १९५७-५८ में तीनों इस्पात संयंत्रों, रूरकेला, भिलाई
और दुर्गापुर के कार्य स्थलों के निर्माण की गति में पर्याप्त वृद्धि हुई। प्रगति प्रायः संतोष-
जनक थी और आशा की जाती है कि रूरकेला और भिलाई की प्रथम ब्लास्ट भट्ठियाँ
दिसम्बर १९५८ से पहले ही कार्यारम्भ कर देंगी। भिलाई और दुर्गापुर इस्पात प्रायोजनाएं

हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड नामक कम्पनी को हस्तांत्रित कर दी गई थी, यह पूर्ण रूप से सरकारी कम्पनी है जिसका निर्माण आरम्भ में रूरकेला इस्पात संयन्त्र के निर्माण तथा प्रबन्ध के लिए किया गया था। संघ के अनुच्छेदों को भली भांति संशोधित किया गया था तथा इस बृहत उत्तरदायित्व को सँभालने के लिये महानिदेशकों (डाइरेक्टरों) के एक बोर्ड का पुर्ननिर्माण किया गया था।

टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी की प्रसार योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों की प्रगति भी प्रायः सन्तोषजनक रही। सूचना मिली है कि जमशेदपुर की नई इकाई (यूनिट) जौलाई अथवा अगस्त १०.५८ में कार्यारम्भ कर देगी। बर्नपुर के इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी की कोक की नई बैटरीदार भट्टियाँ तथा ब्लास्ट भट्टियाँ १९५८ के आरम्भ में कार्य आरम्भ कर दिया था और आशा की जाती है कि कम्पनी के अन्य निर्माण कार्य कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण हो जायेंगे।

सन् १९५७ में परिरूपित इस्पात का उत्पादन न्यूनाधिक गतवर्ष की भांति उसी स्तर पर १३ लाख टन ही रहा। उत्पादन की लागत तथा एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि होने के कारण मई १९५७ से इस्पात के मूल्यों में ७० रूपये प्रति टन वृद्धि की गई थी, फिर भी सम्पूर्ण वर्ष कच्चे लोहे की कीमत वही रहीं - सन १९५७ में इस्पात का आयात गत वर्ष में आयातित १६.१ लाख टन की तुलना में १५.४ लाख टन रहा। विदेशी मुद्रा विनिमय की दशा जो अब है, वही होने के कारण, भावी आयात में भारी कमी करनी पड़ी है।

रूरकेला इस्पात प्रायोजना—सन १९५६ के आरम्भ में जर्मन डा० सी० ओटो एंड कम्पनी और जी० एच० एच० को क्रमशः कोक की भट्टियों के संयंत्र तथा ब्लास्ट भट्टियों के संयंत्र के लिए आर्डर दिए गये थे। १९५६ के अन्त में पच्छिमी जर्मन की २० फर्मों को स्टील मेल्टिंग शौप और रोलिंग मिलों के लिए आर्डर दिये गये थे। तभी से, सहायक कार्यों जैसे, ओवन गैस होल्डर, बाई प्रोडक्ट रीकवरी संयंत्र, रीफैक्टरी आदि के ठेके पर्याप्त संख्या में दिये जा चुके हैं, और इसी प्रकार विभिन्न अनुभागों में सिविल इंजीनियरी के कार्यों के लिये ठेके दिए जा चुके हैं।

सिविल इंजीनियरी के कार्य विशाल और जटिल हैं, अतः आवश्यक साधनयुक्त और अनुभवी ठेकेदारों के मिलने में कुछ कठिनाई थी। कुछ उपकरणों की सप्लाई और स्थापना में विलम्भ हो गया और यह प्रतीत होता था कि निर्माण की निर्धारित अवधि तक कार्य समाप्त हो सकने में शंका थी। एक प्रतिनिधि-मण्डल जर्मनी गया और वहां ठेकेदारों तथा जर्मन सलाहकारों से बातचीत की। मासिक कार्यक्रम में यह निश्चित करने के लिए और विश्वास दिलाने के लिए निर्णय किये कि प्रथम ब्लास्ट भट्टी १९५८ के अन्त तक कार्यारम्भ कर देगी। संयंत्र के अन्य अनुभागों में विशेषतया रोलिंग मिलों में कुछ कठिनाइयां हुईं और यह प्रतीत होता था कि ३ से ६ माह तक का विलम्भ हो जायेगा और अब यह भय है कि कुछ कार्यों में अधिक विलंभ भी हो जाये। इसके बहुत से कारण हैं। जर्मन सलाहकारों तथा ठेकेदारों से सर्वश्रेष्ठ कार्यकुशल व्यक्तियों को भेजने के लिए कहा गया है, जो कार्य

को निश्चित समय में तथा अधिक सावधानी से कर सकें, और विचार विमर्श करें कि इस विलम्भ को कम करने के लिए क्या प्रबन्ध हो सकते हैं।

शंख नदी पर बनाये जाने वाले बांध के निर्माण कार्य में अच्छी प्रगति हो रही है, यह बांध इस्पात कार्यों के लिये सफल जल पूर्ति करेगा। मुख्य इस्पात संयंत्र के लिये पानी की सप्लाई के लिए आवश्यक पम्प, सेटलिंग पौन्ड, और कूलिंग टावर के प्रबन्ध किए जा चुके है।

बस्ती में १५२९ मकान बनाये जा चुके हैं और २१८३ मकान बन रहे हैं। लगभग कुल ३२,००० एकड़ भूमि में से लगभग १८,००० एकड़ भूमि प्राप्त की जा चुकी है।

जनवरी १९५८ के अन्त में प्रायोजना के द्वारा लगाये गये प्रत्यक्ष कर्मचारियों में २०७ प्राविधिक अफसर, ५६ गैर-प्राविधिक अफसर और १५०२ प्राविधिक और गैर-प्राविधिक अन्य कर्मचारी थे। इनके अतिरिक्त ५४१८ वर्क-चार्जड कर्मचारी तथा ११४०४ ठेकेदारों के श्रमिक थे।

भिलाई इस्पात प्रायोजना—जनवरी १९५८ के अन्त तक, सोवियत संघ से १४३,६०० मेटरीक टन स्टोरों का उपकरण प्राप्त किया जा चुका है। इस्पात संयंत्र के सभी खण्डों में सिविल इंजीनियरी कार्यों के लिए ठेके दिये जा चुके हैं सोवियत संघ से कार्य की विस्तृत रूपरेखा आ चुकी है। संयंत्र तथा बस्ती के लिए आवश्यक तमाम भूमि प्राप्त की जा चुकी है जल और बिजली की सप्लाई के अस्थाई प्रबन्ध हो गये हैं।

भिलाई में, आरम्भ में ही कार्य करने के लिए उपयुक्त सिविल इंजीनियरी ठेकेदारों के मिलने की कठिनाई के कारण कुछ प्रारम्भिक विलम्भ हो गया था। सोवियत चीफ इंजीनियर के परामर्श से निर्माण के मासिक कार्यक्रम का समायोजन ठीक तरह से तय किया गया है, और यह आशा की जाती है कि प्रथम ब्लास्ट भट्टी १९५८ के अन्त के पहले ही कार्यारम्भ कर देगी।

बस्ती में जनवरी १९५८ के अन्त तक ११०४ मकान बन गये थे, और ७५४ मकान बन रहे हैं।

जनवरी १९५८ के अन्त तक प्रायोजना के द्वारा लगाये गये प्रत्यक्ष कर्मचारियों में ४७६ प्राविधिक एवं गैर-प्राविधिक अफसर, ३०७६ प्राविधिक एवं गैर-प्राविधिक कर्मचारी थे जिनमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी सम्मिलित है तथा ८५५२ विभागीय श्रमिक जिनमें वर्क-चार्जड भी सम्मिलित है। इनके अतिरिक्त २०,६०० ठेकेदारों के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

दुर्गापुर इस्पात प्रायोजना—जनवरी १९५८ के अन्त तक लगभग २४००० टन भट्टियों की ईटें, संयंत्र, मशीनें आदि योरप के विभिन्न बन्दरगाहों से जहाजों में लदाई जा चुकी थी।

दुर्गापुर में, सिविल इंजीनियरी के निर्माण में कुछ कठिनाईयां अनुभव की गई थी यह कठिनाईयाँ अधिकतर भूमि की दशा के कारण हुई जिनकी आशा भी नहीं की जाती थी। हाल ही, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक साधनों के बारे में ब्रिटिश ठेकेदारों तथा परामर्शदाता इंजीनियरों से बातचीत करने के उपरान्त अब यह कहा जा सकता है कि कार्य, कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। यह विश्वास करना व्यर्थ है कि निर्माण की निर्धारित तिथि पूर्ण न की जा सकेगी। यह तिथि एक अनुभाग में पूर्ण न होगी और वह अनुभाग व्हील टायर और एक्सील संयंत्र है जहाँ पर रेलवे की आवश्यकताओं में परिवर्तन के कारण आरम्भिक ब्योरों को बड़े पैमाने पर दोहराना आवश्यक समझा गया है।

जनवरी १९५८ के अन्त तक बस्ती में ४६२ मकान बन चुके थे और ३०४ मकान बन रहे हैं।

जनवरी १९५८ के अन्त तक ७५ प्राविधिक और १० गैर-प्राविधिक अफसर, ३४३ प्राविधिक और ५०९ गैर-प्राविधिक कर्मचारी और ७०६३ वर्क-चार्जड कर्मचारी थे। इनके अतिरिक्त ठेकेदारों के ३०,००० कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

यह स्पष्ट कर दिया जाय कि एक इस्पात संयंत्र में अनुभागों की संख्या बहुत होती है, और यदि वे सब कार्य करने लगे तो भी पूर्ण उत्पादन प्राप्त करने के लिए कई महीनों की आवश्यकता होती है। जब यह कहा जाता है कि लोहे का उत्पादन आरम्भ होगा इसका अभिप्राय यह नहीं है कि लोहा पूर्णमात्रा में उपलब्ध होगा। इसी प्रकार जब यह कहा जाता है कि इस्पात का उत्पादन आरम्भ होगा तो इसका अभिप्राय केवल यह है कि परिरूपित इस्पात की कुछ मात्रा उत्पादित होगी। इसके बाद विभिन्न प्रकार की इस्पात उत्पादित होने म कुछ महीने लगेंगे। पूर्ण उत्पादन तक पहुँचने के पहले अनुभाग को सुदृढ़ बनाने तथा व्यक्तियों के ठीक प्रशिक्षण में पर्याप्त समय लगेगा।

योजना का क्रियाकरण—सन् १९५७ के अन्त तक १८० इंजीनियरों को सोवियत संघ में प्रशिक्षणार्थ भेजा गया था। इनमें से ९१ प्रशिक्षण समाप्त करके भारत वापस आ गये हैं कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष भी इंजीनियर सोवियत संघ जायेंगे। और ६८६ व्यक्तियों की निश्चित अवधि से पूर्व ही प्रशिक्षण समाप्त करने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की जा रही है।

रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात प्रायोजनाओं के १००० इंजीनियर फोर्ड फाऊंडेशन की सहायता से अमेरिका में प्रशिक्षित किये जायेंगे २०० इंजीनियरों के प्रथम दल ने अमेरिका में प्रशिक्षण आरम्भ कर दिया है। कोलम्बो योजना के अधीन, दुर्गापुर इस्पात प्रायोजना के ३०० इंजीनियरों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध ब्रिटेन में हो गया है। ब्रिटेन में ४४ इंजीनियर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कोलम्बो योजना के अधीन, ५ इंजीनियर आस्ट्रेलिया तथा १ इंजीनियर कनाडा में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कनाडा और आस्ट्रेलियाने क्रमशः १४ और १२ अन्य इंजीनियरों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ देने की अनुमति दे दी हैं। रूरकेला इस्पात प्रायोजना के ८१ इंजीनियरों ने पश्चिमी जर्मनी में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। ५० इंजीनियरों का एक अन्य दल शीघ्र ही पश्चिमी जर्मनी जाने वाला है।

जमशेदपुर में प्रयाप्त मात्रा में प्रशिक्षण के लिए कार्य चल रहा है और प्रत्येक इंजीनियर जो कि प्रशिक्षण के लिए विदेश जाता है पहले एक ओरियेन्टेशन कोर्स के लिए जमशेदपुर में रखा जाता है ताकि वह आगे आने वाले कार्य के लिए प्रस्तुत हो जाय।

दुगडा में लगाई जाने वाली शोधनशाला के लिए ४ टेन्डर प्राप्त किये जा चुके हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि यह शोधनशाला १९६१ के पहले तीन महीनों में तैयार हो जायेगी। तब तक, रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों को चलाने के लिए झरिया खानों के छाँटे हुए बिना धुले कोयले को ही प्रयोग में लाना पड़ेगा।

रूरकेला और दुर्गापुर संयंत्रों के लिए अच्छी किस्म की कंकड़ीली चट्टान (लाईमस्टोन) की स्थापना में कठिनाइयाँ अनुभव की जा रही हैं। हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड पूर्ति के उपयुक्त साधनों की, विशेषतया संयंत्रों को आरम्भ में चालू करने की, खोज में है। यह स्पष्ट है कि लम्बी अवधि के प्रबन्ध में, आशातीत दूर के क्षेत्र की समस्त शोधनशालाओं के विकास की आवश्यकता पड़ेगी।

१९५८-५९ का पूर्वेक्षण—आने वाले वर्ष में, आशा की जाती है कि रूरकेला और भिलाई में एक-एक ब्लास्ट भट्टी पूर्ण रूप से कार्यारम्भ कर देगी और कच्चे लोहे का उत्पादन आरम्भ कर देगी। टाटा आइरन एन्ड स्टील वर्क्स के विकास का कार्य समाप्त हो जायेगा। इसी प्रकार इण्डियन आइरन एन्ड स्टील वर्क्स के कार्यक्रम भी पूर्ण हो जायेंगे। यह आशा की जाती है कि १९५८ में विक्रय किये जाने वाले इस्पात का उत्पादन लगभग १४.५ लाख टन तथा १९५९ में १८ लाख टन होगा। १९५८ में लगभग ३.२ लाख टन तथा १९५९ में १२.५ लाख टन कच्चा लोहा उत्पादित किया जायेगा। इस प्रकार आयात की कठिनाइयों के कारण, वर्तमान समय में इस्पात की कमी, किसी हद तक दूर हो जायेगी।

CPSI—SJ143(58)—विश्व भारतीय प्रेस, पहाड़गंज, नई दिल्ली—3,000

पृष्ट	लाइन	पढ़ो	वास्ते
४६	६	आत्विक	आत्विक
४६	२६	प्रकाशित	काशित
५१	४	विभाग	विगाग
५१	७	(Session)	Session)
५२	२६	देहरादून	देहरादुन
५३	१	मैं	म
५६	३	मोटर पैट्रोल	मोटर व पैट्रोल
६०	१	६०	३०

शुद्धियाँ

पृष्ठ	लाइन	पढ़ो	वास्ते
११	१८	इस्पात	इसपात
१४	७	विनिमय	नियम
१५	५	कारखानों	जारखानों
१६	१०	मानने	मानों
१६	१६	लक्ष्य	लज्ञय
२०	अंतिम	सिफारिशों	सफारिशों
२१	१३	तालगर में चार	तालवर चार
३१	२०	Engineer	Enginneer
३२	२१	शीघ्र	शीघ्र
३३	२६	के	के
३५	२६	समितियाँ गई १-८-० रू0	सन तियाँ गई १-८-०१ रू0
३५	१		
३८	५	में	में
४५	१७	कुल ३५४ व्ययन	कुल...... व्ययन
४५	[illegible]	कुल ६६३२३ फुट	कुल.....फुट
४८	१६	वैद्युतिक	व द्यु तिक
	२७	भूतत्व	भतत्व

P.T.O.